खण्ड-263, अंक-2
बुधवार, 27 माघ, शक संवत् 1887
(16 फरवरी, 1966 ई0)

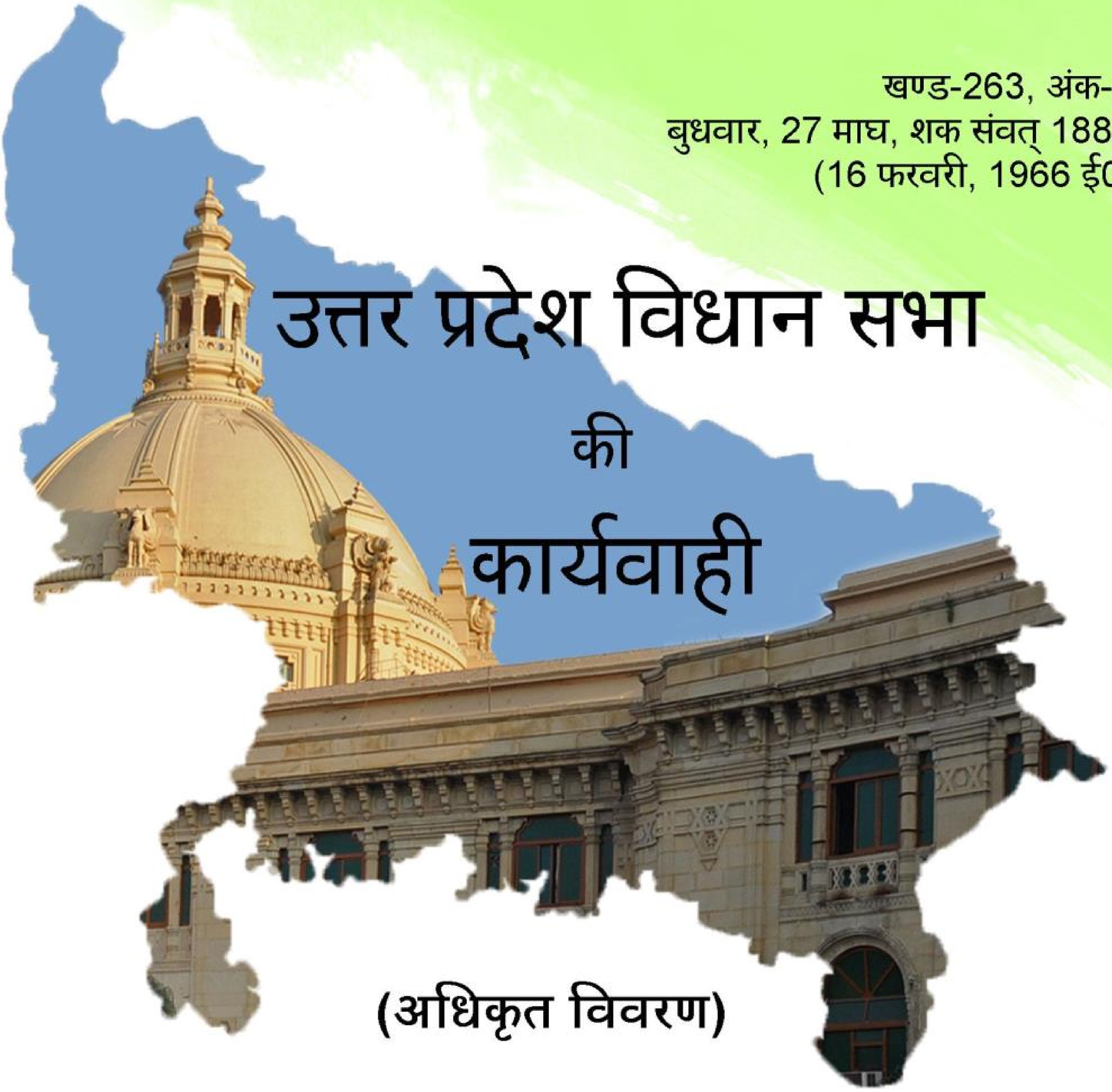

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल , श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द्र, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पोतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह , श्री
बलवंतसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालाजी अग्रवाल, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव,श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बैजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महाबीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री

माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह श्री (लल्लन जी)
रघुनाथ श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध श्री
रामआसरे वर्मा,श्री
रार्कांकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री,श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
राम मझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवबनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धा देवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम,श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री

हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन , श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर राम नारायण पांडेय तथा गृह उपमंत्री श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १६ फरवरी, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

हरिजन कल्याण अनुदान वितरण में बिलम्ब

**१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९ ५-६६ में हरिजन समाज को दिये जाने वाले ऋण तथा अनुदान के वितरण की आज्ञा जिला अधिकारियों को अब तक क्यों नहीं दी गय ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में हरिजन कल्याण के लिये दिये जाने वाले अनुदान के वितरण की व्यवस्था के संबंध में ३१ जनवरी, १९६६ को जिला अधिकारियों को आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । हरिजन सहायक विभाग में ऋण देने की कोई योजना नहीं है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मान्यवर, बजट को पास हुए ९ महीने हो गये हैं और यह प्रश्न होने के उपरान्त ही ये आदेश प्रसारित किये गये हैं, व्यवस्था करने के लिये, तो मैं माननीय मंत्री जी से य जानना चाहता हूं कि, जैसा कि मैंने अपने मूल प्रश्न में भी पूछा था, कि अब तक आदेश न देने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी तक क्षेत्रीय समितियों द्वारा यह अनुदान वितरित किया जाता था लेकिन आचार्य जगुल किशोर जी की अध्यक्षता में जो मूल्यांकन समिति बनी, उसका एक अन्तरिम प्रतिवेदन निकला । उसमें सिफारिश की गयी कि हरिजन समितियों द्वारा ही अनुदान देने की व्यवस्था हो ताकि उपयुक्त व्यक्तियों को ही अनुदान मिल सके । यह प्रतिवेदन २२ तारीख को मिला । इसके उपरान्त हमने न्याय विभाग और सामुदायिक विभाग से पुष्टि करायी और ३१ जनवरी, १९६६ को आदेश जारी किये ताकि १९६५-६६ का जो रुपया है उसका हम उपयोग करा सकें ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब तक बंट जायगा ? अभी तो कहा गया है कि आदेश प्रसारित हुए हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वैसे तो यह रुपया ३१ मार्च तक बंट जाना चाहिये । समिति को अधिकार है कि वे आवेदन-पत्रों को मंगाकर मीटिंग बुला लें और जब भी बांटना चाहे बांट दें ।

श्री छत्रपति अग्रवेश (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह प्रतिवेदन उनको सितम्बर, १९६५ तक मिल चुका था तो फिर क्या कारण है कि आदेश अभी तक नहीं पहुंचे और देरी होने का कौन जिम्मेदार होगा ।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

श्रीमन्, माननीय प्रश्नकर्ता उस समिति में एक सदस्य थे और उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सितम्बर के महीने में दी । उसके पश्चात् हमें न्याय विभाग और प्लानिंग विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ा क्योंकि क्षेत्रीय समितियों का जो ऐक्ट १९६१ का है, उसके सेक्शन ३१ (२) के अनुसार सरकार को अधिकार है कि जिन पावर्स को वह दे, उनको विदड्रा भी कर सकती है । इसलिये उन नियमों के अन्तर्गत प्लानिंग विभाग और न्याय विभाग की राय लेनी पड़ी । उसके पश्चात् ही आर्डर्स जिलों में भेजे गये ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि अक्तूबर–नवम्बर, १९६५ में सरकार की ओर से इस प्रकार के जिला परिषदों को आदेश प्रसारित किये गये कि वे इस मदद के रुपये को खर्च न करें ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, इसलिये किया गया कि चूंकि पुराने नियम में परिवर्तन होने जा रहा है और जैसी शिकायत मेम्बरों की थी उसको हमें दूर करना है, अतः अभी रुपया वितरित न किया जाय बल्कि आवेदन, पत्र मांग लिये जायं और ज्यों ही यहां से आर्डर जायगा त्यों ही रुपया वितरित होगा ।

जहां तक इस विभाग में शिक्षा संबंधी अनुदानों का प्रश्न है उसके लिये राज्य की ओर से आर्डर जुलाई के महीने में गये । इस के अलावा और अनुदान जो कि ब्लाक बांटते थे जैसे इंडस्ट्रीज के लिये, ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, माइनर इरीगेशन आदि के ये अनुदान ब्लाक से बदले थे उन के बारे में यह आर्डर गवर्नमेन्ट की ओर से ३१ जनवरी, १९६६ को गये हैं जिस के संबंध में बैकवर्ड क्लासेज और हरिजन क्लास के एम–पीज और एम० एल० एज होंगे वह वितरण करेंगे ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या यह सत्य है कि कुएं के लिये मकान और इंडस्ट्रीज के लिये तो आर्डर गये हैं लेकिन कृषि अनुदान अभी क्षेत्र समितियों को ही बांटने के लिये आदेश हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह देखते हुए कि बहुत देरी से आप की आज्ञा गयी है क्या मंत्री जी जिला परिषदों को इस बात के निर्देश देंगे कि वे अति शीघ्र मीटिंग बुलाकर रुपये को वितरित करा दें और क्या इस बात की भी व्यवस्था करेंगे कि यदि कहीं कोई भूल हो जाय तो आगे भी यह अनुदान दिया जा सकेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो आदेश प्रसारित हुए हैं ३१ जनवरी को उसी के मुताबिक १९६५–६६ का रुपया है वह सब का सब व्यक्तिगत खाते में चेयरमैन के रहेगा और उसको वितरित करने का मार्च के बाद भी अधिकार रहेगा ।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६५ के अनुदान किस नियम के अनुसार रोके गये जिसको १९६६ में वितरित करने की व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष—

रोकने का प्रश्न नहीं है । जिस परिस्थिति में नहीं दे सके उन परिस्थितियों का उल्लेख हो चुका है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मेरी यह शिकायत है कि हरिजनों को दी जाने वाली सहायता में प्रायः यह सिलसिला-सा बांध दिया गया है जिसकी वजह से अनुचित आदमी लाभ उठा लेता है । तो क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने पर विचार करेगी जिससे हरिजनों के प्रति हो रही उपेक्षा शासन की ओर से समाप्त हो जाय ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अध्यक्ष के पर्सनल लेजर में रुपया रहेगा । पर्सनल लेजर में कोई रुपया नहीं रह सकता यह फाइनेंशियल इर्रगुलैरिटी है । तो क्या सरकार ने तय कर लिया है कि वह रुपया पर्सनल लेजर में रखा जा सकेगा चाहे किसी विभाग से संबंधित हो ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

चूंकि ३१ मार्च को रुपया लैप्स हो जाता है और जो नया परिवर्तन हुआ है उसमें शंका थी कि जो आवेदन पत्र हैं उन पर ठीक ठीक क्षेत्रीय समिति में समय पर विचार न हो सके इस-लिए न्याय विभाग से राय ले करके चेयरमैन के पर्सनल लेजर एकाउन्ट में देने के लिये आदेश दिये गये हैं ।

श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

ग्र ट्स, से में जो डिस्ट्रिक्ट हरिजन सहकारी समिति है उसके द्वारा, बांटी जाती हैं । वह बड़ी लम्बी चौड़ी है अभी एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कुछ [illegible] पूर्व [illegible] ह था कि इस कमेटी के कलेवर को कुछ छोटा करना है जब मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट आ जायगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि अन्तरिम रिपोर्ट जो मूल्यांकन समिति की आयी है उस में इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी को कुछ छोटा करने की सिपारिश है ? यदि है, तो उस में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

८ फरवरी को एक जी० ओ० भेजा गया है उसमें कमेटी के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गयी है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री सन्तसिंह युसूफ (जिला कानपुर)—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बिलरियागंज विकास खण्ड में भेड़ें

*१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में विकास खंडों द्वारा १९६० से १९६४ तक राजकीय सहायता से कितनी और किन किन गांवों में भेड़े खरीदी गयी हैं ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

उक्त जिले में, उक्त अवधि में, केवल बिलरियागंज विकास खंड के बिजरवा ग्राम में १९६२-६३ में २५ भेड़े खरीदी गई थीं।

*२--श्री मंगलदेव--

उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई और अब तक कुल ऊन की पैदावार क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अब तक कुल भेड़ों की संख्या २५ से ४५ हो गई है तथा इनसे अब तक ४२ सेर ऊन प्राप्त हुआ है।

*३--श्री मंगल देव--

क्या राज्य की ओर से उन भेड़ों का ऊन खरीदने के लिये कुछ केन्द्र हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

श्री बंशीधर पांडेय--

राज्य की ओर से ऐसा कोई केन्द्र नहीं है।

श्री मंगलदेव--

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि पूरे जिले के एक गांव में २५ भेड़े खरीदी गयीं तो इसका क्या आधार था ?

विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

श्रीमन्, स्कीम भेड़ों के बढ़ाने की थी। पता यह लगा कि आजमगढ़ के लोगों को भेड़ों के पालने का ज्यादा शौक है। इसलिये वहां किया गया ढाई और २०० रुपये अनुदान देकर २५ भेड़े खरीद लीं।

श्री मंगल देव--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां कितने रुपये की भेड़े खरीदी गयीं और आपने जो बताया कि वहां पर ४२ सेर ऊन पैदा हुआ तो वह कितने रुपये की हुई ?

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, जिन सज्जन ने भेड़े खरीदीं उनसे पता चला कि ४० रुपये फी भेड़ के औसत से खरीदी गयीं और ८ रुपये के हिसाब से हमने अनुदान दिया।

श्री रघुनाथ सिंह--

श्रीमन्, आज से ४ साल पहले २५ भेड़ खरीदी गयी और इस बीच में केवल २० की संख्या बढ़ी यानी ४५ भेड़े हुई और उनसे ४२ सेर ऊन प्राप्त हुआ। इससे मालूम होता है कि मंत्री जी के उत्तर में गुंजायश है और बनावटी उत्तर मालूम होता है तो क्या वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस तरह का मजाकिया उत्तर न दिया जाय ?

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विभाग के लोगों को यह सब चीज मजाक मालूम पड़ी इसीलिये काम किया ही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहायता देने के बाद उनका विभाग नजर रखता है कि अच्छी नस्ल की भेड़े खरीदीं जायं और मामूली भेड़े न खरीदी जायं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, अच्छी भेड़ें खरीदने के लिये ही सलाह दी जाती है।

श्री इन्द्रासनसिंह—

जो भेड़े खरीदी गयीं वह कहां से खरीदी गयीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने २५ भेड़ें खरीदीं और ४ साल में केवल २० भेड़ें बढ़ी तो क्या उन्होंने वहां पर नर भेड़ें नहीं भेजी जिससे संख्या नहीं बढ़ी ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, सरकार का ऐसा खयाल था कि इस जिले में नर तो काफी हैं इसलिये मादा पहुंचा दी जायं जिससे संख्या बढ़ जायेगी।

रसूलाबाद विकास क्षेत्र में नलकूप

*४—श्री नित्यानन्द पांडेय (अनुपस्थित) (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत रसूलाबाद विकास क्षेत्र में कितने नलकूप इस समय स्वीकृत हैं और वह कब तक बन जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

कानपुर जिले के रसूलाबाद विकास क्षेत्र में इस समय १३ निजी नलकूप स्वीकृत हैं जिनमें से १० पूर्ण हो चुके हैं और शेष नलकूपों के बनने की कोई आशा नहीं है क्योंकि उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

सिंचाई के लिये कच्चे कुएं

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि कच्चे कुए खोदने की योजना का पालन किन-किन जिलों में हुआ है तथा १९६४–६५ में कुल कितने कुए खोदे गये तथा कितना धन खर्च हुआ और उनसे कितने एकड़ की सिंचाई अतिरिक्त होगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कच्चे कुए खोदने की योजना का पालन आगरा, रामपुर, बांदा तथा पहाड़ी जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में हुआ है। वर्ष ६४–६५ में प्रदेश भर में कुल ९०,५४४ कच्चे कुए खोदे गये तथा इनसे ९३,२६४ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इन कुओं के निर्माण पर शासन द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके पहले जब कच्चे कुए खोदने की योजना विचाराधीन थी और यदि सरकार ने ऐसे आदेश दिये थे कि प्रति कुए के पीछे २० रुपये दिये जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार ने इसमें खर्च नहीं किया तो क्या गांव सभाओं के फंड से खर्चा किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने तो पहले ही कह दिया कि इन पर सरकार का कोई खर्चा नहीं हुआ। यह तो ग्रो मोर फूड कैम्पेन चलता है और उसमें ये खोदे जाते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि सरकारी खर्चा नहीं हुआ तो सरकार के पास आंकड़े कहां से आ गये और यह सारी जांच किस प्रकार से हुई, क्या सरकार इसको बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---

माननीय सदस्य को मालुम होगा कि हमारे हर ब्लाक में स्टैस्टीशियन रहता है जो आंकड़े इकट्ठा करता है। लिहाजा जितने कुए ब्लाक में खोदे गये हैं उनके आंकड़े तैयार किये गये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एक कच्चे कुएं से कितनी भूमि की सिंचाई आसानी से हो सकती है ?

श्री राममूर्ति---

अंदाजन एक डेढ़ एकड़ के बीच में।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कच्चे कुएं खोदने की योजना के कार्य को मुनासिब समझा है इससे अन्नोत्पादन में सहायता मिली है तो जैसा कि माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने कहा इस पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन रूप में अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---

जब लोग बगैर अनुदान दिये काम करने के लिये तैयार हैं तो अनुदान देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं जानना चाहता हूं कि किस जिले में सबसे अधिक कुए खोदे गये और एक विकास खंड को लेकर पुनः उदाहरण के लिये जांच करवायेंगे कि सही आंकड़े हैं या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जिलों की सूची पढ़ दूं। गोरखपुर में १२०७६ १९६३-६४ में। फिर १२३७६। ३ सौ ४६। यह २० हजार तक पहुंच चुकी है। आजमगढ़ में....

श्री अध्यक्ष---

फेहरिस्त लम्बी होगी माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो कच्चे कुए खोदे गये हैं उनमें से वह कौन जिले हैं जिनमें एक साल खोदा गया कच्चा कुआं दो तीन साल बराबर काम दे दे ?

श्री राममूर्ति---

यह तो जमीन की किस्म पर मुनहसर है। जहां बलुई जमीन होती है कुआं पट जाता है। दुमट में कुआं ज्यादा चल जाता है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कच्चे कुओं की संख्या प्रोग्रेसिव है या हर वर्ष गिने जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—

यहां तो हर साल की जो फिगर है वह सुनायी गयी ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कच्चे कुए खोद कर सिंचाई की योजना किन-किन जिलों में सफल हुई और प्रान्त के किन जिलों में कच्चे कुओं से सिंचाई की योजना बनी ?

श्री राममूर्ति—

पहाड़ी जिलों में तथा और चार-पांच जिलों को छोड़ कर सभी में कुएं खोदे गये और काम लिया गया ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी एक विकास खंड को लेकर वहां पर उदाहरणार्थ जांच करवायेंगे कि जो कुएं खोदे गये थे वह हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

अगर माननीय सदस्य को शौक है तो इंतजाम कर दिया जायगा । जाकर वहां जांच कर लें ।

श्री उग्रसेन—

आप साबित कीजिये यह जिम्मेदारी आप की है कि यह फर्जी कुएं तो नहीं हैं । आप जांच कीजिये, हम लोग जायंगे और देखेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कच्चे कुए को एक सीजन में सिंचाई करने के बाद मरम्मत कराने की आवश्यकता होती है ? इसके बाद वह अगर खुदा भी रहे तो पानी नहीं दे सकता और फिर उसको व्यवस्थित रूप से खोदने और गहरा करने की आवश्यकता होती है तथा वह खुदा भी रहे तो उतना उपयोगी नहीं रहता तो इस बात को देखते हुये मन्त्री जी बतलायेंगे कि कितने कुए खुदाई करके सिंचाई के काबिल बनाये गये और कितने पड़े हुए हैं ।

श्री राममूर्ति—

यह कच्चे कुएं इसलिये खोदे जाते हैं कि थोड़े दिनों के लिये उनसे काम ले लिया जाय । वर्षा होने के बाद फिर वह सफाई चाहते हैं तो लोग उसकी सफाई कर लेते हैं और फिर काम में लाते हैं । पिछले जमाने में चूंकि सीमेंट की कमी थी इसलिये इस योजना को चलाया और इसका अच्छा परिणाम निकला । लोगों ने एक लाख कुएं बनाये उससे जनता का लाभ है, इसमें कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है । नुकसान न समाज का, न जनता का और न सरकार का इसमें है । तो फिर न मालूम माननीय सदस्य को क्यों परेशानी हो रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर इसकी जांच करेंगे कि गोरखपुर में कई हजार कच्चे कुएं खोदे गये और ब्रजमनगंज ब्लाक के अन्दर कसौली गांव में मेरे साथ परगनाधीश स्वयं गये थे और कसौली गांव में एक प्राइमरी स्कूल में ५–७ कुएं खोदे गये । उस ब्लाक की यह रिपोर्ट मौजूद है कि उन कुओं में कोई पानी नहीं है । यह फर्जी रिपोर्ट पाई गई और इसकी सूचना परगनाधीश और प्लानिंग अफसर को है तो मन्त्री जी इसको उदाहरण मानकर जांच करेंगे कि इस तरह से सारे प्रदेश के जो आंकड़े सरकार को दिये गये हैं, वह गलत हैं और इनकी फिर से जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यही सवाल माननीय उग्रसेन ने किया था तो मन्त्री जी ने कहा कि उदाहरण दीजिये तो जांच करा लेंगे।

श्री उग्रसेन—

माननीय मन्त्री जी ने हमसे हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जांच करा लेंगे तो कांग्रेस दल के माननीय नरसिंह नारायण जी ने बतला दिया तो इस पर मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

नये सेनेटरी इन्सपक्टरों के आवेदन-पत्र

*६—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सेनेटरी इन्सपेक्टर्स के रिप्रेटेशन अपने एरियर्स, इंक्रीमेंट तथा कन्फर्मेशन के लिये १९५९ तथा उससे पूर्व के दिये हुए अनिर्णीत हैं तथा बिलम्ब के क्या कारण हैं।

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊ दयाल खन्ना) (अनुपस्थित)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग चमोली में ऐपेडेमिक स्टाफ का भत्ता

*७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जन-स्वास्थ्य विभाग के एपीडेमिक स्टाफ का २-३ डेली अलाउन्स जिला स्वास्थ्य अधिकारी चमोली ने सन् १९६० से अभी तक स्टाफ को नहीं दिया जबकि हर साल स्टाफ अपना बिल डी० एम० ओ०, चमोली को देते रहे हैं ? यदि हां, तो अलाउन्स न देने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जन स्वास्थ्य विभाग का जो ऐपीडेमिक स्टाफ जिला चमोली में सन् १९६० से १९६४ तक तैनात था उसको सीमान्त जिले का विशेष वेतन Special Pay दे दिया गया था अतएव उनको डेली अलाउन्स देय नहीं था, सन् १९६५ में केवल ४ कर्मचारियों को उक्त अलाउन्स देय था।

*८—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उक्त अलाउन्स के बिलों का भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां।

[१६ फरवरी, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बिलथरा-दुबारी सड़क बनाने की प्रार्थना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान सभा, जिला बलिया ने विकास आयुक्त को दिनांक १५ फरवरी, १९६५ को एक पत्र लिख कर बिलथरा रोड, जिला बलिया से दुवारी, जिला आजमगढ़ तक विकास विभाग से योजना में सड़क बनाने की सिफारिश की थी, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, उसको प्राविधिक छान बीन के लिये मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित सड़क को ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत लिये जाने के लिये अधिक उपयुक्त नहीं ठहराया। यदि उन्होंने इसको लिये जाने की सिफारिश की भी होती तब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण जन शक्ति योजना के बजट में भारी कटौती के कारण इस सड़क का निर्माण इस योजना में संभव नहीं था।

जिला सहकारी संघ, देवरिया पर कोयले के मूल्य का बकाया

*२—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोयले की कीमत के मद में प्रदेशीय सहकारी संघ, लखनऊ को जिला सहकारी संघ लिमिटेड देवरिया से पिछले वर्षों का बकाया कितना लेना है? प्रदेशीय सहकारी संघ ने अपने रजिस्टरों में कितना पाना (वसूल) दिखाया है तथा जिला सहकारी संघ ने कितना देना दिखाया है?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

प्रदेशीय सहकारी संघ, लखनऊ को दिनांक ३०–६–६५ को जिला सहकारी संघ देवरिया से कोयले की कीमत की मद में रु० १८,४५१.७८ पैसा पाना था जो अब केवल रु० ८,०५१.७८ पैसे रह गया है।

प्रदेशीय सहकारी संघ, लखनऊ और जिला सहकारी संघ देवरिया के मध्य उक्त लेन-देन का समायोजन अभी नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में यह बतलाना कठिन है कि जिला सहकारी संघ देवरिया को, कोयले के मूल्य के मद में प्रदेशीय सहकारी संघ को, क्या देय अपनी किताबों में दिखा रहा है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सूबे का यहां पर संघ है उसको देवरिया संघ से कितना पाना है?

श्री बनारसीदास—

यह तो बतलाया कि अभी तक जो रुपया बाकी रह गया है वह इस वक्त तक देय ८०५८ रुपये ७८ पै० हैं।

श्री उग्रसेन—

इसमें लाखों रुपये की गड़बड़ थी, श्रीमन्, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी टेकनिकल एक्सपर्टस की कमेटी बैठावेंगे जिससे उसका सब हिसाब-किताब ठीक हो जाय?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी संघ को ६४–६५ में ७९ हजार ६१० रुपये २१ नये पैसे देना था कोयले की कीमत का और पिछले ३०–६–६५ तक का ७१ हजार ८४८ रुपये ९७ पै० पैसे था और इस प्रकार कुल मिलाकर १ लाख ५१ हजार४५९ रुपये २८ नये पैसे थे। ३०–६–६५ तक १ लाख ३३ हजार ७ सौ रुपये ५० नया पैसा पाना था और ३०–६–६४ तक १० हजार ४ सौ रुपये था। इस तरह कुल देवरिया सहकारी संघ से जो पाना बाकी है वह ८ हजार ५१ रुपये ७८ नये पैसे है। अभी तक यह फिगर्स हमारे यहां है। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अलावा देवरिया से इसके संबंध में अधिकृत फिगर्स नहीं मिले हैं। दोनों संस्थाओं के बीच में लिखा-पढ़ी चल रही है और वह ठीक हो जायगा।

आजमगढ़ जिला परिषद् कर्मचारी स्वर्गीय मुसाफिरराम का वेतन

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल, घोसी, जिला आजमगढ़ के वार्डबाय, श्री स्वर्गीय मुसाफिर राम की मृत्यु कब हुई थी और दिनांक १ सितम्बर, १९६३ से १५ अप्रैल १९६४ तक का वेतन उसकी स्त्री को अब तक भुगतान न करने का कारण क्या है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मृत्यु १५/१६ अप्रैल, १९६४ को हुई थी ।

स्वर्गीय मुसाफिर राम जिला परिषद् के कर्मचारी थे, जिनकी कथित अवधि की छुट्टी अभी तक स्वीकृत नहीं की है इसीलिये वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हो सका ।

आजमगढ़ जिला परिषद् के कम्पाउन्डरों का संशोधित वेतन

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, आजमगढ़ के अधीन एलोपैथिक अस्पतालों, कम्पाउन्डरों को वेतन मार्च, सन् १९६३ के नये वेतन-क्रम के अनुसार दिया जा रहा है कि नहीं ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद्, आजमगढ़ ने अपने प्रस्ताव संख्या १७ दिनांक ११-१२-१९६५ से कम्पाउन्डरों को संशोधित वेतन क्रम देने की स्वीकृति दे दी है तथा बजट में प्राविधान करके भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

बाराबंकी में आई० टी० आई० स्थापित करने की योजना

*५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले में आई० टी० आई० कालेज खोलने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो यह कालेज कब से अपना कार्य करने लगेगा ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । बाराबंकी में एक आई० टी० आई० चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इसके भवन निर्माण के लिये सरकार ने धन की स्वीकृत दे दी है और इसके लिये भूमि की भी व्यवस्था हो गई है ? यदि हां, तो यह भूमि कहां है और भवन निर्माण पर कितना धन व्यय किया जायगा और यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं । इस संस्था के भवन निर्माण हेतु कोई भी धन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है । फिलहाल भूमि की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह किस स्थान पर स्थापित किया जायगा, क्या यह निश्चिय हो गया है ? कब तक भूमि प्राप्ति का कार्य समाप्त हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—

जैसा मैंने अभी उत्तर में निवेदन किया है यह आई० टी० आई० चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर खोला जायगा और आशा की जाती है कि सन् ६८ के अन्दर खुल जायगा । मौजूदा बजट के अन्दर भूमि खरीदने के लिये व्यवस्था की गयी है और बाराबंकी में भी इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि भूमि हस्तगत कर ली जाय और वह जैसे ही हो गया, उसके बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस योजना पर कुल कितने रुपये व्यय करने का अनुमान है ?

श्री बनारसीदास—

३७६ लाख रुपये के करीब खर्च किया जायगा ।

प्रधान, गांव सभा बिनौर के विरुद्ध कार्यवाही

*७—श्री जेड० ए० अहमद तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री कृपया प्रश्न संख्या ५३ नत्थी (क) ४ अगस्त, १९६५ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि जब प्रधान गांव सभा बिनौर परगना व जिला कानपुर ने गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार को कोई रिपोर्ट नहीं की तो जो गांव सभा की सम्पत्ति को हानि हुई है उसके लिये सरकार ने प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा बिजनौर की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन की रिपोर्ट तहसीलदार को न देने से गांव सभा की संपत्ति को जो हानि हुई है, उसके लिये प्रधान को निलम्बित कर दिया गया था। चूंकि प्रधान ने उच्च न्यायालय से कार्यवाही स्थगित करा ली है अतः उसके विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

*८—श्री जेड० ए० अहमद तथा श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रधान गांव सभा बिनौर ने भ्रष्टाचार के कारण गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दोषपूर्ण अध्यासन हटाने हेतु तहसीलदार, कानपुर को नहीं की है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

प्रधान को दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट तहसीलदार को न देने के कारण ही निलम्बित किया गया है। उनके विरुद्ध पंचायतराज ऐक्ट की धारा ९५(१) (ज) के अधीन वैभागिक कार्यवाही की जायेगी।

दुबारी ग्राम में औषधालय

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न सं० १०६ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि दुबारी, जिला आजमगढ़ में राजकीय चिकित्सालय खोलने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह निश्चयात्मक ढंग से नहीं कहा जा सकता कि ग्राम दुबारी में कब तक औषधालय की स्थापना हो सकेगी।

रायबरेली जिले में नलकूपों व रहट के कुओं का निर्माण

*१०—श्री चौधरी रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में बछरांवा, राही, ऊंचाहार, जगतपुर, लालगंज व सतांव ब्लाकों में कितने ऐसे नलकूपों व रहट के कुओं का निर्माण नहीं हो पाया है जिनके प्रार्थियों की ६ मास से भी अधिक पहले कर्जा व अनुदान क्षेत्र समितियों द्वारा स्वीकृत हो कर पहली किस्त भी मिल गयी थी और उन्होंने गड्ढे आदि खुदवाकर ईंट आदि भी मंगवा ली थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*११—श्री चौधरी रतीपाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त कुओं का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है? क्या यह सही है कि नियोजन विभाग ने निर्माताओं के बार-बार प्रार्थना करने पर भी अभी तक सीमेंट नहीं दी है?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२—श्री चौधरी रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के नियोजन विभाग के पास ३", ४" व ६" बोरिंग के लिये कितने सेट हैं? क्या यह सही हैं कि इनकी संख्या जिले की मांग पूर्ति के मुकाबले में अत्यन्त नगण्य हैं? यदि हां तो, क्या सरकार इस कमी को अविलम्ब दूर करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिले में ३" एवं ४" बोरिंग सेटों की संख्या २२ है और ६" के कुल ८ हैं। इस प्रकार कुल ३० सेट हैं। इतने सेट उक्त जिले के लिये पर्याप्त हैं।

*१३–१५—श्री सारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

(५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

प्रधान, ग्राम सभा हल्लूराय के विरुद्ध आरोप

*१६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा हल्लू सराय, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध जो दरख्वास्तें जनता ने सन् १९५८ से अब तक गबन के मामले में जिलाधीश और संचालक, पंचायती राज को दी उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला मुरादाबाद की गांव सभा हल्लू सरांय के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध सन् १९५८ से १९६० तक प्राप्त शिकायती पत्रों की वैभागिक जांच कराई गई थी जिसमें गबन का सन्देह तो हुआ पर जिला शासकीय परामर्षदात्री (District government counsel) की राय के अनुसार गबन का आरोप सिद्ध करना कठिन था इसलिये अग्रिम कार्यवाही उचित नहीं समझी गई। सन् १९६५ में प्राप्त शिकायती पत्र की जांच की जा रही है।

*१७—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि भूत पूर्व प्रधान ग्राम सभा हल्लू सरांय ने ढाई हजार रुपया वाचनालय के लिये लिया परन्तु आज तक कोई वाचनालय नहीं बना?

श्री बंशीधर पांडय—

गांव सभा हल्लूसरांय के भूतपूर्व प्रधानों को केवल वाचनालय के नहीं बल्कि कन्या पाठशाला एवं वाचनालय हतु जिला नियोजन समिति द्वारा ढाई हजार रुपये का अनुदान दिया गया था। दोनों भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

श्री रियासत हुसैन—

उनको यह भी शिकायत थी कि प्रधान ने अपने पद का नाजायज इस्तेमाल कर के सरकारी रुपया भिन्न-भिन्न प्रकार से ले लिया है। उसके लिये तहसीलदार ने उसे हवालात में बन्द किया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उस प्रधान से रुपया वसूल किया जा चुका है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले निवेदन किया था कि अब वह प्रधान नहीं रहे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सिल ने यह राय दी थी कि ६,०९४ रुपये के जो वाउचर उन्होंने दाखिल किये थे उनको जाली साबित करना संभव नहीं है इसलिये उन पर गबन का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि विभाग की राय इस मामले में हो रही है कि किसी अफसर को वहां फिर भेजा जाय और वह तहकीकात करे कि कोई कार्यवाही इसमें की जा सकती है या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं एक सूचना आपको इजाजत से दे दूं कि अब यह प्रधान नहीं रहे, इन्होंने अपनी बीवी को प्रधान बनवा दिया है। इसके अलावा क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो वाचनालय तथा कन्या पाठशाला के लिये २,५०० रुपया उनको दिया गया था वह उनको कब दिया गया और उसका कंप्लीशन सार्टिफिकेट उन्होंने कब सबमिट किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सन् ६० के पहले दिया गया था। तिथि पूरी याद नहीं है, लेकिन यह मामला १६-७-६० को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सिल को दिया गया था और उनकी राय २७ जुलाई, १९६० को आ गई है। इसलिये यह रुपया ५८ और ६० के बीच में उनको दिया गया होगा।

श्री रियासत हुसैन—

हर पैसा जो अनुदान के रूप में दिया जाता है उसके लिये डी० पी० ९ का फार्म भरा जाता है, उसी के अनुसार मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया उनको कब दिया गया था और उनका कंप्लीशन सर्टिफिकट कब प्राप्त हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

तिथि उनको पता नहीं है। वह कहते हैं कि जुलाई, १९६० के आसपास दिया गया होगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जब तहसीलदार ने उसको गबन के मामले में हवालात में बन्द कर दिया तो उसके बाद उस पर मुकदमा चला होगा और वह न्यायालय से दोषी सिद्ध हुआ होगा। अगर वह निर्दोष सिद्ध हुआ होगा तो छूटा होगा। इसके बाद भी उस पर मुकदमा चलाने की बात क्यों विचाराधीन है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

न्यायालय की बात मैंने नहीं कही। हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सिल के पास यह मामला भेजा था कि इसमें मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा नहीं। उनकी राय में मुकदमा चलाना ठीक नहीं था, इसलिये मुकदमा नहीं चलाया गया।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस काम के लिये उनको छ हजार रुपया दिया गया वह काम पूरा हो गया अथवा नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके दूसरे प्रश्न से साफ मालूम हो जाता है कि उन्हें पाठशाला और वाचनालय के लिये रुपया दिया गया था और वह दोनों काम पूरे हो गये।

विकास खण्ड, फतेहपुर मडाव में ग्राम प्रधानों को दिया गया अनुदान

*१८—श्री लखीसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, फतेहपुर मंडाव के ग्राम काठतरांव और नंमडाड़ के प्रधानों ने यातायात तथा जन-स्वास्थ्य के मद में प्राप्त अनुदानों की धनराशि को ग्राम कोष में (पासबुक) जमा किया था कि नहीं ? तथा किये गये कार्यों के भुगतान रसीदों पर पंचायत मंत्री तथा ग्राम सेवक से पुष्टि करायी गयी है कि नहीं ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड, फतेहपुर मंडाव की ग्राम सभा काठतरांव को क्षेत्र समिति से यातायात एवं स्वास्थ के मद में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इस गांव सभा के प्रधान द्वारा उक्त मदों की किसी धनराशि को गांव कोष में (पासबुक में) जमा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । गांव सभा नेमडांढ़ को क्षेत्र समिति के यातायात की मद से ५००-०० (पांच सौ रुपये) तथा जन-स्वास्थ्य की मद से १५० (एक सौ पचास) रुपये के अनुदान मिले हैं । यह दोनों धनराशिया गांव सभा की सेविंग्स बैंक पास बुक में जमा की गई थीं ।

उक्त दोनों अनुदानों से संबंधित कार्यों के प्रसंग में किये गये व्यय के भुगतान की रसीदों (वाउचरों) को प्रधान गांव सभा तथा पंचायत मंत्री ने प्रमाणित किया है । ग्राम सेवक से इन रसीदों को प्रमाणित नहीं कराया गया है, क्योंकि नियमानुसार यह आवश्यक नहीं है ।

*१९—श्री लखपतराम शर्मा—

(४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।)

अस्पतालों में पुरानी औषधियां

*२०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में ऐसी दवाइयों और इन्जेक्शन्स का भी प्रयोग किया जाता है कि जो सब स्टैन्डर्ड हैं या जिनकी प्रयोग करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जांच करने पर मालूम हुआ है कि राजकीय अस्पतालों में सब स्टैन्डर्ड या जिनकी प्रयोग करने की तिथि समाप्त हो गई हो, ऐसी दवाइयों तथा इन्जेक्शनों का प्रयोग नहीं किया जाता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दवाइयों की तारीख खत्म हो जाती है उनको क्या सरकार नष्ट कर देती है ? यदि हां, तो तकरीबन कितनी कीमत की दवाइयां हर साल सरकार द्वारा नष्ट की जाती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हमारे पास दवाइयों की इतनी इफरात ही नहीं है कि नष्ट करने की नौबत आवे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

ऐसे ३०० के करीब अस्पतालों में, जिनमें डाक्टर नहीं रहे तो वहां ऐसी दवाओं के संबंध में जिनकी अंतिम तिथि समाप्त हो गयी हो, सरकार ने क्या किया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो दवाइयां कम्पाउन्डर इस्तेमाल कर सकता है वह करता है और बाकी दूसरे अस्पतालों में भेज दी जाती हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और माननीय सदस्य से भी जानना चाहती हूं कि क्या उनका तात्पर्य यह है कि जो दवाइयां जिनकी अंतिम तिथि बीत चुकी है और सब-स्टैंडर्ड हैं वह भी अस्पतालों में इस्तेमाल की जायं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट है कि ६३ में दवा बनी, हमने तभी खरीदी तो वह सन् ६४ तक ही समाप्त हो जाती है, भले ही उसकी अंतिम प्रयोग की तिथि सन् ६६ तक रहे। वह बचती ही नहीं तो वह नौबत ही नहीं आती।

श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

कितने हास्पिटल्स ऐसे हैं जहां से आप दूसरे अस्पतालों को दवायें भेजते हैं और क्या आपको सूचना है कि किस हास्पिटल के अन्दर टाइम-वार्ड औषधियां अब भी मौजूद हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर माननीय सदस्य बतायें कि कौन-सा ऐसा अस्पताल है तो उसको देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास सूचना है या नहीं कि दवा भेजी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीराम—

क्या यह भी जानकारी है कि सरकारी दवाओं और बाजारू दवाओं में कोई पहचान है या नहीं, या सरकारी दवायें बाजार में बेंची जा सकती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जाने-बूझे तो नहीं बिक सकतीं, लेकिन गड़बड़ी हो सकती है।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ सिविल हास्पिटल में २५,००० रुपये की दवाओं की गड़बड़ी हुई, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि दवाओं में गड़बड़ी हो सकती है और बाजार में बेंची जा सकती हैं, तो इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजियेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

क्या सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश हैं कि कोई सब-स्टैंडर्ड दवा या जिसकी अंतिम तिथि बीत चुकी हो वह कम्पाउन्डर के द्वारा भी किसी अस्पताल में इस्तेमाल न की जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वास्तविकता यह है कि जिन दवाओं को इस्तेमाल करने का अधिकारी है वह केवल उन्हीं को उसी समय तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक कि उनकी तारीख न बीती हो और अवधि रही हो।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या इस प्रकार का कोई रजिस्टर अस्पताल में मेनटेन किया जाता है जिसमें यह दर्ज रहता हो कि अमुक दवा की अंतिम तिथि कौन सी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो हर दवाई के ऊपर लिखा रहता है ।

श्री क्षत्रपति अम्बेश--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसका आधार क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उसका आधार यह है कि हमने अधिकारियों को बुलाकर उनसे इसकी मालूमात कीं ।

श्री बृजेश्वर सहाय--

श्रीमन्, यहां करीब में हम लोगों के लिये दारुलशफा में जो अस्पताल है वहां कितनी ही दवाइयां ऐसी अल्मारी में हैं जो टाइमबार्ड हो गयी हैं और मेरे मैनेपुरी जिले में जो अस्पताल है, वहां भी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी जांच कराने के लिये माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, दारुलशफा के लिये कह रहे हैं तो उसको देख लेंगे ।

चेचक उन्मूलन विभाग, जिला जालौन के कर्मचारी

*२१--श्री विजय सिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चेचक उन्मूलन विभाग, जिला जालौन में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको १९६५ में नियुक्ति किया गया और बाद में उन्हें निकाल दिया ? इसका कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है ।

*२२--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में सन् १९६५ में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कितने वेक्सीनेटरों को नियुक्त किया गया तथा उस नियुक्ति का आधार क्या था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आठ वैक्सीनेटरों को नियुक्त किया गया था । ये वे वैक्सीनेटर थे जो जालौन जिले में योजना के प्रथम चरण में काम कर चुके थे और उस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् छटनी में आ गये थे ।

श्री विजयसिंह--

माननीय मंत्री जी को मान्यवर, जो सूचना है वह गलत है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी फिर से जांच करा लेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अगर माननीय सदस्य कोई इस्पेसिफिक बात लिख कर देंगे तो उसकी जांच पुनः करा लेंगे

*२३--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

(४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।)

सीतापुर विकास खण्ड में पंचायत मंत्रियों का वेतन

*२४—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील, सीतापुर के प्रत्येक विकास खंड के पंचायत मंत्रियों का गत मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, १९६५ का वेतन किस-किस तिथि को दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

जिला सीतापुर की तहसील सीतापुर के प्रत्येक विकास खंड के पंचायत मंत्रियों का गत मार्च, १९६५ से अगस्त १९६५ तक के वेतन भुगतान का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८७ पर)

बरेली जिला परिषद् द्वारा शंखा नदी पर पुल निर्माण योजना

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पंचायत राज (१) विभाग के पत्र-संख्या १०३३०-ए/३३-११बी-(२२-६४), तिथि १० मार्च, १९६५ के उत्तर में जिला परिषद् बरेली ने अपने पत्र-संख्या २८२६-पी-डबल्यू० डी०, तिथि, १८ नवम्बर, १९६५ द्वारा यह सूचित कर दिया है कि वह ५० रु० व्यय वहन करने को तैयार हैं ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

शंखा नदी पर ग्राम थिरिया ठाकुरान में पुल निर्माण के संबंध में जिला परिषद्-बरेली के प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है। शासन द्वारा निर्णय होने पर परिषद् को केवल ५० प्रतिशत पुल बनाने हेतु सहायता दी जा सकेगी। पुल निर्माण का कार्य परिषद् को ही करना होगा।

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, बरेली में गबन

*२६—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली के केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार में अभी हाल में २८ हजार रुपये का गबन हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। भंडार के संचालक मण्डल को निलम्बित करने के संबंध में नियमानुसार संचालक मण्डल के सदस्यों से जवाब तलब किया गया है।

मोदी वनस्पति कम्पनी में बोनस

*२७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या श्रम मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि मोदी बनस्पति कम्पनी, मोदी नगर, जिला मेरठ में सन् १९६०-६१ व १९६१-६२ का बोनस मजदूरों को दिया गया है या नहीं और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, कथित दोनों वर्षों का बोनस श्रमिकों को दिया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बोनस किस तारीख को दिया गया और किस दर से दिया गया ?

श्री बनारसीदास—

यह जो सन् ६०–६१ का बोनस दिया गया है यह कन्सालिडेटेड आय होगी और उसका तीन महीने का बोनस दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस साल के बारे में ट्रब्युनल का एक एवार्ड था उसके अनुसार ३ महीने का बोनस ६०–६१ के लिये मिलेगा और इसी प्रकार ६१–६२ के लिये २ महीने का मिलेगा। १९६१–६२ में संहिता (कन्सालिडेटेड) वेतन का २० परसेंट मिलेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं जानना चाहता हूं कि सन् ६१–६२ का बोनस किस तारीख को दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

यह तो मैं बतला चुका हूं कि दोनों सालों का बोनस दिया जा चुका है। वह नियत तारीखों पर दिया जा चुका है। उसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

निश्चित तारीख कौन सी थी ?

श्री बनारसीदास—

निश्चित तारीख का कायदा यह होता है कि जो बोनस ड्यू होता है उसके साल भर बाद वह देय हो जाता है। किस तारीख को दिया गया, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन दोनों सालों का बोनस दे दिया गया है।

श्री राम चन्द्र विकल—

किस साल में दिया गया, यही कम से कम बतला दीजिये, अगर आप तारीख नहीं बतलाते ?

श्री बनारसीदास—

यह तो आपने पूछा नहीं था।

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री जी ने बकाया बतलाया है। वह कब तक दे देंगे ?

श्री बनारसीदास—

उसके बारे में जैसा मैंने अर्ज किया वहां पर एवार्ड इंफोर्स जो किया गया था, उतना दे दिया गया। अब एवार्ड-एवार्ड इंफोर्स करने के बाद में यह प्रयास किया जा रहा है कि वह जल्द दे दिया जाय।

पूर्वी ज़िलों में जनशक्ति उपयोग, योजनान्तर्गत मजदूरी में अमरीकी गेहूं

*२८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में चलने वाली रूरल मैन पावर यूटीलाइजेशन योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी मजदूरी में आधा पी०एल० ४८० का गेहूं दिया जाता है जिसके लिये जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा कूपन जारी किये जाते हैं जिन पर यह लिखा रहता है कि यह अमरीका द्वारा दान दिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, निम्न ६ पूर्वी जिलों में ऐसा हैं।

१—गोंडा २—बस्ती ३—प्रतापगढ़ ४—मिर्जापुर ५—वाराणसी ६—इलाहाबाद। कूपन ट्रेजरी सब-ट्रेजरी द्वारा जारी किये जाते हैं।

*२९—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमरीका के उच्च अधिकारी श्री के० लीवर्स और श्री स्टीलवेल अभी हाल में मौके पर कार्य का निरीक्षण करने गये थे और श्री के० लीवर्स ने जिलाधीश बस्ती को लिखा है कि वह प्रति मास कार्य की प्रगति का नक्शा उनके पास भेजा करें जिसमें अमरीका के गेहूं के दान के प्रचार का विशेष विवरण दिया हो और जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले कूपनों पर अमरीकी दान का विशेष उल्लेख भी श्री लीवर्स के आग्रह पर ही किया गया है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार के इस संबंध में क्या आदेश हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, गये थे। परन्तु श्री के० लीवर्स ने जिलाधीश बस्ती को ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है। कूपनों पर अमरीका के दान का विशेष उल्लेख श्री लीवर्स के आग्रह पर नहीं किया गया है वास्तविकता यह है कि भारत सरकार से इस प्रकार के आदेश आये थे कि कूपन का डिजाइन यू० एस० ऐड मिशन के सदस्य श्री स्टोरी की राय से निश्चित किया जाय। तदनुसार श्री स्टोरी से विचार विमर्श के उपरान्त कूपनों पर अमरीकी जनता द्वारा दान किया हुआ गेहूं वाक्यांश अंकित किया गया।

लेबर कालोनी, ऐशबाग के ब्लाक ७ में बिजली की व्यवस्था

*३०—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी लेबर कालोनी ऐशबाग, लखनऊ को ब्लाक नं० ७ का बिजली का कनेक्शन, दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ से ११ अप्रैल, १९६५ तक कितने समय के लिये कटा रहा और कितने-कितने समय में बिजली दी गई और इसी अवधि में श्रम विभाग द्वारा कितने यूनिट का और कितने-कितने समय का बिल ब्लाक के रहने वालों से वसूल किया गया ?

श्री बनारसीदास—

ब्लाक नं० ७ में पहली बार दिनांक ६-९-१९६३ से १६-१२-१९६३ तक तथा दूसरी बार दिनांक १४-३-१९६४ से १०-४-१९६५ तक बिजली का कनेक्शन कटा रहा। इस अवधि के बाद बिजली बराबर मिल रही है।

२—बिल वसूली का ब्योरा निम्न प्रकार है

महीना	यूनिट	धनराशि	दिनांक वसूली
जून-जुलाई, १९६३ ..	१३७	३४.२५	१४-१२-१९६३
अगस्त-सितम्बर, १९६३ ..	५७	१५.२५	
दिसम्बर, १९६३ ..	३१५	७१.२५	१९-७-१९६४
जनवरी, १९६४			
फरवरी-मार्च, १९६ .	८३	२२.८३	१०-४-१९६५

उमर्दा विकास क्षेत्र मे मंत्रियों का वेतन

*३१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उमर्दा विकास क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद में काम करने वाले किन विकास मंत्रियों का वेतन, दिनांक १६ अगस्त, १९६४ से दिनांक ८ मार्च, १९६५ तक का नहीं मिला है ? क्या इस संबंध में इस बीच मंत्रियों के कोई प्रार्थना-पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास क्षेत्रों में विकास मंत्री का कोई पद ही नहीं है ।

चेस्ट वार्ड मेडिकल कालेज, लखनऊ के चौकीदार

*३२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेस्ट वार्ड मेडिकल कालेज, लखनऊ में कितने ऐसे चौकीदार हैं जो गत ८ वर्षों से बिना किसी साप्ताहिक या अन्य छुट्टी के रात्रि में ड्यूटी दे रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसा कोई चौकीदार नहीं है ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

यह उत्तर तो मुझे सही नहीं प्रतीत होता है । फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी वे जांच करा लें । जांच करने के बाद यदि कोई राहत पहुंचा सकें तो पहुंचाने की कृपा करें ।

गांव पंचायतों के आम चुनाव

*३३—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांव-सभाओं तथा गांव पंचायतों के चुनाव कब तक कराये जा सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रदेश में गांव पंचायतों के आम चुनाव दिसम्बर, १९६७ तक सम्पन्न कराये जाने का विचार है ।

डी० सी० एफ०, बस्ती के अन्तर्गत ईंट के भट्ठे

*३४—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला का डी० सी० डी० एफ० जो सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है उसने कलेन्डर वर्ष १९६३ तथा १९६४ में कितने ईंट के भट्ठे चलाये और उनमें कितना लाभ हुआ ? उपरोक्त समय के हिसाब का आडिट हुआ या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी संघ बस्ती एक स्वायत्त संस्था है जो अपने संचालक मंडल द्वारा संचालित है। यह सरकार द्वारा निर्देशित व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जाता। डी० सी० डी० एफ०, बस्ती ने कलैन्डर वर्ष, ६३ में ७ ईंट के भट्ठे तथा वर्ष ६४ में वही ७ ईंट के भट्ठे चलाये। वर्ष ६३ में कुल लाभ ४६,५४२ रु० तथा वर्ष ६४ में ४,४५५ रु० का लाभ हुआ। इन भट्ठों के हिसाब का वर्ष ६३ का आडिट हो चुका है और वर्ष ६४ का आडिट हो रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि वह किसी स्वायत्त संस्था द्वारा या सरकार द्वारा निर्देशित सेक्रेटरी द्वारा चलाया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वे रजिस्ट्रार के द्वारा मनोनीत होते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि आमदनी में जो इतना बढ़ा अन्तर है वह किस कारण से है ?

श्री बनारसीदास—

यह तो कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं।

झांसी में मेडिकल कालेज

*३५—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला झांसी में सरकार कोई मेडिकल कालेज १९६६ में खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और कितना रुपया उसमें व्यय होने की संभावना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजनाकाल में झांसी में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने की योजना है। इस पर लगभग २६५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

श्री विजयसिंह—

मैं यह जानना चाहूंगा कि जो काम प्रारम्भ हुआ है वह कितना हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें काम प्रारम्भ हो चुका है। इसमें जमीन का इन्तजाम हुआ है। यही नहीं बल्कि शिलान्यास की व्यवस्था भी हो चुकी है।

*३६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*३७—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

[६ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

भारत तिबिया कालेज, सहारनपुर

*३८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बतायेगी कि सहारनपुर स्थित भारत तिबिया कालेज कब बना, कौन कौन इसके चलाने वाले हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार इस संस्था को कब से सहायता दे रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

भारत तिब्बिया कालेज, सहारनपुर की स्थापना सन् १९२९ में हुई है। इस संस्था को चलाने वाली समिति "सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट" के अधीन रजिस्टर्ड है तथा उसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:—

(१) श्री मंगलकिरण जैन	..	.. अध्यक्ष
(२) ,, नाजिर हसन समीम	..	.. प्रधानाचार्य एवं सचिव।
(३) ,, रियाजुद्दीन	..	.. हकीम सदस्य
(४) ,, तिरखाराम	..	.. ,, ,,
(५) ,, लाईक मोहम्मद खां	..	.. ,, ,,
(६) ,, हामिद मियां	..	.. ,, ,,
(७) ,, मुजीब अहमद	,,	.. ,, ,,
(८) ,, नत्थू खां ..	..	.. ,, ,,
(९) ,, आज्ञाराम	..	.. ,, ,,
(१०) ,, मेलाराम	..	.. ,, ,,
(११) ,, इजहारुलहक	..	.. ,, ,,
(१२) ,, इजरूल हसन	..	.. ,, ,,
(१३) ,, इब्राहीम	..	.. ,, ,,
(१४) ,, बुद्ध प्रकाश	..	.. ,, ,,
(१५) ,, रफीक अहमद	..	.. ,, ,,
(१६) ,, अलीमुद्दीन	..	.. ,, ,,

उत्तर प्रदेश सरकार इस संस्था को वर्ष १९५२-५३ से केवल अनावर्तक अनुदान दे रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

१९२९ से ६६ तक कभी सरकार की ओर से जांच हुई कि इस संस्था में एक भी स्टूडेंट कभी नहीं रहा है और किस आधार पर सहायता दी जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आज भी वहां विद्यार्थी हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार जिलाधीश द्वारा जांच कराने के लिये तैयार है कि यह बिलकुल बोगस संस्था है और वहां कोई स्टूडेंट कभी नहीं रहा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस समय २० छात्र वहां मेरे हिसाब से हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार के पास वहां पढ़ाने वालों के नाम हैं?

डाक्टर रामनरायण पांडेय—

८ पढ़ाने वाले वहां हैं। हकीम नजीर हसन, शमीम अशरफ अली ....

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कार्यकारिणी के अलग हैं । दोनों को सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना यह है कि सिर्फ २० छात्रों पर १२ पढ़ाने वाले हैं, इसे देख लें ।

जिला परिषद्, देवरिया के अध्यापकों से सुरक्षा कोष की वसूली

*३९—श्री उग्रसेन—

क्या विकास मन्त्री बतायेंगे कि उन्होंने जिला परिषद्, देवरिया के अध्यक्ष द्वारा परिषद् के ७,००० अध्यापकों के अक्तूबर के वेतन में से ४, ५, ६ नवम्बर, १९६५ को जबरिया सुरक्षा कोष की साढ़े सात के वेतन की कटौती पर उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया द्वारा परिषद् में अध्यापकों के अक्तूबर के वेतन में से ४, ५ तथा ६ नवम्बर, १९६५ को सुरक्षा कोष के लिये कोई कटौती जबरिया नहीं की गई है। अतएव: उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४०—श्री उग्रसेन—

क्या विकास मन्त्री बतायेंगे कि इस प्रकार अध्यापकों का कितना वेतन काटा गया और क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

चूंकि अध्यापकों के वेतन से कोई कटौती जबरदस्ती नहीं की गई । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी के वहां के अध्यापकों की समिति के मंत्री द्वारा और प्रश्नकर्त्ता द्वारा कई बार यह लिख कर दिया गया कि जबरदस्ती उनसे १५ दिन का वेतन काटा जा रहा है और मंत्री जी ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

यह बात सही है कि मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी दी गई और मेरे पास भी शिकायत आई । जांच कराई गई और मैंने माननीय सदस्य को बताया भी कि शिकायत निराधार है । बाज बाज अध्यापक तो ऐसे भी थे जो सुरक्षा कोष में १ महीने का वेतन देना चाहते थे, लेकिन उनको सलाह दी गई कि केवल १५ दिन तक का दें । उनको लिखा गया है कि जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये, वे इच्छा से दें ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन अध्यापकों ने अध्यक्ष महोदय की उस आज्ञा का उल्लंघन किया है उन्हें स्थानान्तरित और सेवा से अलग करके दन्डित किया जा रहा है ?

श्री उग्रसेन—

६ को मुअत्तल कर दिया गया है ।

श्री राममूर्ति—

यह इत्तिला मेरे पास नहीं है। न ऐसा सवाल पूछा गया था।

बस्ती में ताड़ी पीने से कथित मृत्यु

*४१—श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)—

क्या आबकारी मन्त्री का ध्यान १५ अक्तूबर, सन् १९६५ के पूर्वी जिले नामक समाचार-पत्र के शीर्षक ताड़ी के नाम पर 'जहर' की ओर गया है जिसमें दिनांक २ सितम्बर, १९६५ को बस्ती में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा दो व्यक्तियों के बेहोश हो जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा ताड़ी के सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

जी हां। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २-९-६५ को बस्ती में न कोई व्यक्ति ताड़ी पीकर मरा और न कोई बेहोश हुआ। अस्तु सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी

*४२—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान महंगाई में प्रदेश में खेत मजदूरों की निम्नतम मजदूरी मासिक और दैनिक कुछ नियत की गयी है? यदि हां, तो क्या?

श्री बनारसी दास—

खेतिहर मजदूरों की वर्तमान न्यूनतम वेतन दरें इस प्रकार हैं:

(१) वाराणसी तथा गोरखपुर डिवीजन के जिलों व सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली, बहराइच, फैजाबाद, बाराबंकी, गोंडा, बांदा, हमीरपुर, जालौन और देहरादून के पहाड़ी क्षेत्र में रु० ३२.५० पैसे प्रतिमाह अथवा रु० १.२५ पैसे प्रतिदिन।

(२) पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी, तथा नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ कर प्रदेश के शेष जिलों में रु० ३९.०० प्रति मास अथवा रु० १.५० पैसे प्रतिदिन।

(३) बच्चों के लिये जिनकी आयु १८ वर्ष से कम है वयस्क कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली दरों का दो तिहाई।

(४) जिला अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमौली और उत्तर काशी के क्षेत्रों में रु० २६.०० प्रतिमाह अथवा १ रुपया प्रतिदिन। बच्चों के लिये जिनकी आयु १८ वर्ष से कम है रु० १६.२५ पैसे प्रतिमाह अथवा ००.६२ पैसे प्रति दिन।

*४३—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि १ जनवरी, १९६२ में जो महंगाई स्तर था उससे दिसम्बर १९६५ की महंगाई कितनी प्रतिशत में बढ़ी हुई है? क्या खेत मजदूरों की मजदूरी नियत करते समय इस बढ़ी हुई महंगाई का ख्याल रक्खा गया है?

---

†नोट—तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बनारसीदास—

१ जनवरी, १९६२ में जो महंगाई स्तर था उससे दिसम्बर, १९६५ की महंगाई में ४१ प्रतिशत वृद्धि हुई है इस महंगाई को ही दृष्टिगत रखते हुये खेतिहर मजदूरों की निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के पुनरीक्षण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर

*४४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार प्रदेश में ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के पद समाप्त करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

सहकारी बीज भण्डार, जौनपुर में गबन

*४५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि कोआपरेटिव सीड स्टोर्स, जौनपुर के आडिट आब्जेक्शन के बावजूद बैलेंश शीट में कई हजार रुपया दूसरी संस्थाओं के नाम दिखाया गया है और इस प्रकार १ लाख ५० हजार रुपया के लगभग गबन कर लिया गया है? क्या इस सिलसिले में कोई कर्मचारी भी फरार है?

श्री बनारसी दास—

कोआपरेटिव सीड स्टोर, जौनपुर के आडिट आब्जेक्शन के बावजूद बैलेन्स शीट में कई हजार रुपया दूसरी संस्थाओं के नाम दिखाये जाने और इस प्रकार लगभग १ लाख ५० हजार रुपया गबन कर लेने के विषय में चीफ आडिट आफिसर से सूचना मांगी गई है। यह अभी अपेक्षित है।

विभागीय लेखा अधिकारियों द्वारा जांच के समय जिला सीनियर आडिटर, जौनपुर द्वारा कुल ८ आपत्तियों के उद्धरण इस सम्बन्ध में दिये गये हैं, जिनमें कुल रकम रु० ८०३५३.८६ के गोल माल होने का संकेत मिलता है।

विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट से कुल रु० ४,१४,१३५.९७ का गोलमाल प्रकाश में आया है।

इस सम्बन्ध में जेष्ठ लिपिक (सीड) सहकारी सेक्शन, कार्यालय जिला नियोजन अधिकारी जौनपुर ४-११-६५ से फरार हैं।

*४६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सीड स्टोर्स की इमारत बनाने के लिये अब तक कितना अनुदान सहकारिता विभाग, जौनपुर को दिया गया है और उससे कितने सीड स्टोर्स की इमारतें बनाई गई हैं?

श्री बनारसी दास—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८८ पर)

*४७—श्री नाथूराम शिक्षक—

[३रे गुरुवार के लिये प्र० सं० ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४८-५०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

एटा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव

*५१—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला परिषद् का अध्यक्ष पद, जो दिनांक २३ जुलाई, १९६५ को रिक्त हुआ, उसके चुनाव के लिये जिलाधीश एटा ने क्या कोई प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य सरकार के पास प्रेषित किया ? यदि हां, तो वह क्या था ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, कार्यक्रम निम्नप्रकार था—

१—नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करना—११ सितम्बर, १९६५ (पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक)

२—नाम निर्देशन-पत्रों की जांच—११ सितम्बर, १९६५ (अपरान्ह ४ बजे से)

३—उम्मेदवारी वापस लेने की तिथि—१४ सितम्बर, १९६५ (पूर्वाह्न १० बजे से अपराह्न ३ बजे तक)

४—मतदान यदि आवश्यक हो—१८ सितम्बर, १९६५ (पूर्वाह्न ९ बजे से १ बजे तक)

*५२—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि एटा जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव कब होगा ?

श्री राममूर्ति—

शीघ्र ही होगा ।

प्रेम वीविंग तथा स्पिनिंग मिल्स, उझानी में वेजबोर्ड की सिफारिशें न लागू करना

*५३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६५ में सूती मिल मजदूर संघ के मन्त्री द्वारा लिखा गया कोई ज्ञापन, जिसमें कि उझानी स्थित प्रेम वीविंग तथा स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लि० में वेजबोर्ड (टैक्सटाइल्स) की शिफारिशों को न लागू किये जाने सम्बन्धी शिकायत की गई है, मिला ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेंगे तथा बतायेंगे कि उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां

प्रश्नगत ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

अभी श्रमिकों के महंगाई भत्ते तथा क्लर्कों के वेतन संबंधी वेज बोर्ड की सिफारिशें इस मिल के प्रबन्धकों द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई हैं । इसके लिये सम्बन्धित श्रमिकों को राय दी गई है कि वे अपने देय धन की वसूली के लिये सं० प्रा० औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट की धारा ६ के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२९ पर)

झांसी जिल में खाद वितरण

*५४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून तथा जुलाई, १९६५ में झांसी जिले में सरकार द्वारा कितनी खाद किसानों को वितरित की गई ?

श्री बनारसीदास—

माह जून तथा जुलाई ६५ में सहकारी संस्थाओं द्वारा १४२–८७३ मैट्रिक टन खाद कृषक सदस्यों को वितरित की गई ।

*५५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सत्य है कि झांसी जिले में जून तथा जुलाई, १९६५ में खाद देने के लिये किसानों से १० प्रतिशत धन अग्रिम लिया गया, परन्तु खाद नवम्बर, १९६५ तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। यह सत्य नहीं है कि कृषकों को नवम्बर, १९६५ तक खाद नहीं दी गई। बल्कि कुछ कृषकों ने स्वयं ही अपनी खाद देर में उठाई।

*५६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में कुओं की बोरिंग

*५७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुओं की बोरिंग हेतु गोरखपुर जिले के विकास खंडों में कुल कितने बोरिंग मैकेनिक हैं तथा कुल कितना सेट यन्त्र बोरिंग करने हेतु दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

गोरखपुर जिले के विकास खंडों में बोरिंग के लिये २३ बोरिंग मैकेनिक एवं ४३ सहायक बोरिंग मैकेनिक नियुक्त हैं। इन्हें बोरिंग कार्य हेतु ६४ सेट दिये गये हैं। हाल ही में नियुक्त मैकेनिकों के लिये सेटों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*५८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले में कुल कितने कुयें इस वर्ष ३० नवम्बर, सन् १९६५ तक गलाये गये ?

श्री राममूर्ति—

इस वित्तीय वर्ष (१९६५–६६) में नवम्बर, १९६५ तक कुल २०३० सिंचाई कुओं का निर्माण हुआ है।

*५९—श्री विपिन बिहारी तिवारी—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

बलरामपुर अस्पताल में एक्सरे मशीन

*६०—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर, मर्दाना अस्पताल, जिला गोंडा में एक्सरे मशीनें कब आई हैं और अब तक चालू क्यों नहीं की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

एक्सरे मशीन सितम्बर, १९६४ में प्राप्त हुई थी। बिल्डिंग तैयार न होने के कारण अभी तक चालू नहीं की जा सकी।

सहकारी विभाग, जिला जौनपुर में जांच

*६१--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जौनपुर के सहकारी विभाग में गड़बड़ी की जांच के संबंध में हाल ही में कोई कमेटी बैठाई गई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं और विभाग के संबंध में क्या-क्या आरोप हैं ?

श्री बनारसी दास--

जिला जौनपुर के सहकारी विभाग में गड़बड़ी की जांच के संबंध में कोई कमेटी हाल में नहीं बैठाई गई है।

संडीला नगरपालिका में वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम लागू न होना

*६२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हरदोई जिले की संडीला नगरपालिका में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वह अधिनियम लागू हो जायगा ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, इस संबंध में विचार हो रहा है और शीघ्र ही कोई निर्णय कि अधिनियम का प्रसार वहां किया जाय अथवा नहीं, लिया जायगा।

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के कर्मचारियों को समान सुविधायें न मिलना

*६३--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन के कार्यालय संबंधी कर्मचारियों (आफिस स्टाफ) को एडहाक वेतन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता मिलती है उसी तरह क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) को भी भत्ता इत्यादि सुविधायें क्यों नहीं मिलती जैसे सहकारी पर्यवेक्षक, कामदार, सहकारी प्रशिक्षक इत्यादि हैं ?

श्री बनारसीदास--

चूंकि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के आफिस स्टाफ तथा फील्ड स्टाफ दो अलग-अलग वर्ग है इसलिये आवश्यक नहीं है कि दोनों वर्गों को एक ही प्रकार की सुविधायें प्रदान की जांये।

पी० सी० यू० अपनी आर्थिक साधनों को ध्यान में रखते हुये हर संभव उपाय कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी के करती रहती है।

*६४--श्री उमाशंकर--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऊपर लिखे कार्यकर्ताओं को उल्लिखित सुविधायें देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन के कर्मचारी हैं, न कि शासन के, अतः प्रश्न नहीं उठता।

*६५—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा संबंधी सहायता यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के फील्ड स्टाफ को भी उपलब्ध हो सके ?

श्री बनारसीदास—

यूनियन की आर्थिक दशा इस समय ठीक नहीं है अतः इन कार्यकर्त्ताओं को राजकीय कर्मचारियों की भांति चिकित्सा संबंधी सहायता देना संभव नहीं है।

*६६-६७—श्री ऊदल—

(४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।)

क्वीन मेरी अस्पताल, लखनऊ में नवजात शिशु की हत्या

*६८—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नवम्बर, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ स्थित क्वीन मेरी अस्पताल में एक नवजात शिशु की हत्या अस्पताल में ही किसी के द्वारा गला घोंट कर कर दी गई है ? घटना का पूरा विवरण क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमती सुदेई, पत्नी श्री मनोहर सिंह, नवासी थहियागंज, लखनऊ दिनांक १८ नवम्बर, १९६५ को क्वीन मेरी अस्पताल, लखनऊ के मैटर्निटी वार्ड में भर्ती की गई थीं। उसी तिथि को उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया। २३ नवम्बर, १९६५ को रेजीडेन्ट डाक्टरों के राउन्ड के समय यह बालिका मरी पायी गई। उसके गले में कुछ निशान थे जिनसे यह शक होता था कि शायद मृत्यु का कारण गला घोटना था। इस शक के कारण तुरन्त पुलिस को सूचित किया गया तथा लाश का पोस्ट मार्टम करवाने का प्रबन्ध किया गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण गला घोटना विदित हुआ। अतः इस संबंध में थाना चौक पर अपराध संख्या ७५१, धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अंकित करके पुलिस द्वारा तफतीश की गई। पर उससे अपराधी के बारे में कुछ जानकारी न हो सकी। अतः तफतीश बन्द करके पुलिस ने दिनांक ११ दिसम्बर, १९६५ को केस में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी।

*६९—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

(४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।)

*७०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

(४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।)

बिजनौर जिले में ब्लाक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*७१—श्री श्रीराम—

क्या विकास मंत्री बिजनौर जिले के ब्लाक प्रमुखों तथा ग्राम प्रधानों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में जो अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिसें विधिवत आई उनके बारे में क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[श्री श्रीराम]

(१) कुल कितनी नोटिसें आईं, (२) कितने अविश्वास के प्रस्ताव पास हुये, (३) कितने प्रस्ताव गिर गये, (५) अविश्वास के कितने प्रस्ताव इसलिये गिर गये जिनमें कोरम नहीं पूरा था ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९० पर)

जिला सहकारी बैंक, आजमगढ़ में बट्टा खाता कोष

*७२—श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक की कार्य विवरण पुस्तिका (कार्य विवरण व लेखा वर्ष, १९६३–६४, १९६४–६५) में प्रकाशित बट्टे खाते की रकम ३० जून, १९६४ को १ लाख ५४ हजार रुपये व ३० जून, १९६५ तक की रकम २ लाख ४ हजार रुपया दिखाया गया है ? उक्त बट्टा किन अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है ? और इसका विवरण सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह रकमें इन वर्षों में बट्टा खाते (Bad Debt) की न होकर बट्टा खाता कोष (Debt Fund) की रकमें हैं ।

सहकारी अधिनियम के अनुसार अनपेक्षित वसूल न होने वाली रकमों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मुनाफे में से कुछ रकम इस कोष में डाल दी जाती है ।

*७३—श्री इन्द्रासन सिंह—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुस्तिका में प्रकाशित श्री मन्नीलाल श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट सीनियर आडिटर, कोआपरेटिव सोसाइटीज, आजमगढ़ द्वारा आडिट सार्टीफिकेट में, जो ३० जून, १९६४ की है, १,२५,३२७ रु० ६ पैसे बैड डेट दिखाया गया है ? उसका संक्षिप्त विवरण सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

वार्षिक आडिट के आधार पर आडिटर बट्टे खाते की रकम को अनुमानित करते हैं । ३० जून, सन् ६४ को ऐसी अनुमानित रकम १,२५,३२७ रुपया ६ पैसे थी परन्तु बाद में आडिटर ने इस रकम को संशोधित करके ८९,९१३.३३ रु० बैड डेट अनुमान किया है । जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९१ पर)

बी० डी० ओज०

*७४—श्री झारखंडे राय—

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि मितव्ययिता अभियान में मध्य प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकार बी० डी० ओज० के पद पूरे राज्य में समाप्त करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

स्याना तथा टनकपुर क्षेत्र में प्रान्तीय रक्षक दल

*७५—श्री अनीसुर रहमान (जिला नैनीताल) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में और विधान सभा क्षेत्र टनकपुर, जिला नैनीताल, पीलीभीत में कितने व्यक्ति प्रादेशिक रक्षा दल में हैं और कितने कितने किन-किन ग्रामों में हैं और उनके प्रशिक्षण पर तथा रख रखाव पर वार्षिक व्यय, १९६४–६५ में कितना हुआ ?

श्री राममूर्ति—

*वांछित सूचना संलग्न है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ जिले में सीमेंट वितरण

१—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या नियोजन मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि ब्लाक शिवगढ़, गौरा, भगरौरा पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में प्रत्येक ब्लाक को कितनी सीमेंट दो साल के अन्दर अर्थात् १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में दी गई है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना निम्न प्रकार है—

विकास क्षेत्र का नाम	सीमेन्ट की मात्रा १९६४–६५	जो दी गई १९६५–६६
	बोरी	बोरी
१—शिवगढ़	११६०	७९७
२—गौरा	७२४	८३२
३—मंगरौरा	१०८०	१२४९
४—पट्टी	९१५	८७५
योग	३८७९	३७५३

एटा जिले में खण्ड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण

२—श्री सुखलाल (लखनऊ)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में किस–किस खंड विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण वर्ष १९६४–६५ में किस-किस स्थान के लिये हुये ?

*छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राममूर्ति—

वर्ष १९६४–६५ में एटा जिले के निम्नलिखित खंड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के आगे लिखे स्थानों को हुआ :—

क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम		कहां से	कहां को	स्थानान्तरण की तिथि
सर्वश्री—				
१ बलवीर सिंह	..	अवागढ़ (एटा)	ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, हवालबाग (अल्मोड़ा)	१८–५–६४
२ सलीम अहमद खां	..	मारेहरा (एटा)	फतेहपुर सीकरी (आगरा)	१८–७–६४
३ एन० एस० चौहान	..	निधौली कलां (एटा)	मारेहरा (एटा)	१८–७–६४
४ रमेश चन्द्र चतुर्वेदी	..	सकीट (एटा)	करहल (मैनपुरी)	१५–७–६४
५ आर० सी० सागर	..	जेथरा (एटा)	निधौली कलां (एटा)	१८–७–६४
६ राम जी लाल	..	गंजडुन्डवारा (एटा)	अकिरोई (हरदोई)	२८–४–६४
७ नगेन्द्र सिंह	..	सहावर (एटा)	ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, लखावटी (बुलन्द-शहर)	१४–९–६४
८ रघुनाथ प्रसाद शर्मा	..	सिडपुरा (एटा)	शिकोहाबाद (मैनपुरी)	२३–६–६४
९ विनोद चन्द्र शर्मा	..	सिडपुरा (एटा)	फतेहाबाद (आगरा)	२९–७–६४
१० रामकुमार गुप्ता	..	कासगंज (एटा)	जसराना (मैनपुरी)	१६–७–६४

मुरादाबाद जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर

३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितने कोआपरेटिव सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनको इसी जिले में काम करते हुये दिनांक १ दिसम्बर, १९६५ को ५ साल से ज्यादा हो गये हैं ?

श्री बनारसीदास—

मुरादाबाद जिले में १–१२–६५ को ५ साल से अधिक अवधि से कार्य रहे कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की संख्या १५ थी ।

४—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच में वे और किन-किन कारणों से कैंसिल किये गये ?

श्री बनारसीदास—

उक्त १५ सुपरवाइजरों में से १२ सुपरवाइजरों के स्थानान्तरण आदेश हुये थे जो निम्नलिखित कारणों से निरस्त (कैंसिल) किये गये :

एक सुपरवाइजर का स्थानान्तरण इमर्जेंसी के कारण सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी की सिफारिश के आधार पर कैंसिल किया गया क्योंकि उसका भाई फौज में मोर्चे पर था और उसके परिवार आदि की देखरेख करने का भार इसी सुपरवाइजर पर था। ५ सुपराइजरों का स्थानान्तरण अनुकम्पा के आधार पर (On compassionate grounds) तथा ६ सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण प्रशासन की दृष्टि से कैंसिल किया गया।

पूर्वी जिलों में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत कार्य

५—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया के अन्तर्गत रूरल मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत किन-किन गांवों की पटाई गत ३ वर्षों में हुई है और कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

जिन गांवों की पटाई गत ३ वित्तीय वर्षों १९६२–६३, १९६३–६४ एवं १९६४–६५ में इन जिलों में हुई उनकी सूची †संलग्न परिशिष्ट (ख) में दी हुई है। इन पर उक्त ३ वर्षों में कुल ४६,७८,६२५ रुपया व्यय हुआ।

६—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार को गांव पटाई में हुये भ्रष्टाचार की शिकायतों की सूचना मिली है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, गोरखपुर जिले में गांवों को ऊंचा किये जाने के विषय में शिकायतें प्राप्त हुईं जिसकी जांच के फलस्वरूप १ सहायक अभियन्ता एवं ५ ओवरसियर्स को निलम्बित कर दिया गया। देवरिया जिले के श्री रवीन्द्रकिशोर शाही का शिकायती-पत्र मिला था उनकी मुख्य-मुख्य शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट (क) में दिया गया है। बस्ती जिले में किये गये कार्य में हुये भ्रष्टाचार के विषय में श्री शिव पूजन सिंह की शिकायत, अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण जन शक्ति सर्किल, बस्ती के कार्यालय में मिली थी जिसकी जांच चल रही है।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६५†

खाद्य मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० ए०एम०–१३००/२९–डी–६४, दिनांक २० दिसम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६५, को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, १९६५†

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८५०९–बी/३३–१–आर०–६१, दिनांक १० नवम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) संशोधन नियमावली, १९६५†

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष जी, मैं राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २९५७/१–क–२–एल–ए–१९६३, दिनांक ९ सितम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन) संशोधन नियमावली, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५२ (२) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित विधेयक की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९२ पर।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ५१ व ५२ के विषय से सम्बन्धित उत्तर है कि शीघ्र ही ऐसा होगा। अगस्त में भी यही उत्तर था। आज तक चुनाव नहीं हुआ है। तो इनके "शीघ्र" में कितना समय आता है? कोई निश्चित अवधि होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

प्रश्न ६० बलरामपुर के अस्पताल में एक्स-रे मशीन के लिये है कि सन् १९६४ में मशीन आ गई और अभी तक नहीं लगी है।

श्री अध्यक्ष—

आप हमसे मिल लीजियेगा, तो हम बता देंगे कि क्या करना चाहिये।

---

†छापी नहीं गई।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं संशोधन सहित उक्त विधेयकों के पारण के लिये २१-२-१९६६ को सदन के सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त १ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यह कार्य-मंत्रणा समिति ने जो निश्चय किया है वह मैं आदरणीय सदन के सामने रख रहा हूं। दिनांक १४ मार्च, १९६६ को शीतला अष्टमी की छुट्टी के कारण उस दिन सदन की बैठक निर्धारित नहीं की गयी थी। परन्तु अब दिनांक १४ मार्च, १९६६, उत्तर प्रदेश विद्युत कर विधेयक, १९६६ पर विचार एवं उसके पारण के लिये निर्धारित की गई है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि विरोधी दल के लोग इस प्रकार के सरकारी कार्य को बजट के ऊपर प्राथमिकता नहीं देना चाहते। इसलिये मैं इससे सहमत नहीं हूं। छुट्टी काटने के सवाल से भी मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए माननीया सुचेता जी की सरकार पुनः इस पर विचार करे और इसको कार्यमंत्रणा समिति के सामने पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं आदरणीय टेम्बेश्वर प्रसाद जी की बात का प्रतिवाद नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जब कार्य-मंत्रणा समिति ने एक मत हो कर यह निर्णय ले लिया था, तदुपरान्त माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कार्य-मंत्रणा समिति के सम्मुख आकर यह विचार प्रकट किये थे। हम लोगों ने इस संबंध में अपनी विवशता बतायी थी कि किस कारण से ऐसा किया जा रहा है। माननीय शांति प्रपन्न जी ने यह भी बताया था कि इस छुट्टी को हम विवश हो कर ले रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए यह कोई नियम या उदाहरण न होगा कि शीतला अष्टमी की छुट्टी नहीं दी जावेगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, यह छुट्टी मत काटिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को सदन के समक्ष रखता हूं। वह इस प्रकार है--

१--इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं संशोधनों सहित उक्त विधेयकों के पारण के लिये २१ फरवरी, १९६६ को सदन के सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त १ घंटे का समय निर्धारित किया गया है, तथा

२--दिनांक १४ मार्च, १९६६ को शीतला अष्टमी की छुट्टी के कारण उस दिन सदन की बैठक निर्धारित नहीं की गयी थी। परन्तु अब दिनांक १४ मार्च, १९६६ उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक, १९६६ पर विचार एवं पारण के लिये निर्धारित किया गया है।

आशा है कि माननीय सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय रामायण राय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस को यह सदन स्वीकार करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। १४ तारीख वाली बात को काट दिया जाय।

(घंटी बजाई गई।)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, एक निवेदन है कि.....

श्री अध्यक्ष---

एक नियम यह है कि जब घंटी बज रही हो तो कोई निवेदन नहीं सुना जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

अभी यहां बात हो रही थी, इसलिये मैंने कहा कि मैं भी निवेदन कर लूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय रामायण राय द्वारा प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में .. १०३,
विपक्ष में .. ४७।)

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद कराया जायगा और वह सदस्यों को वितरित किया जायगा और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी वायदा किया था कि सदन में उस पर बहस का भी मौका मिलेगा। यह सारा कार्यक्रम मैंने देखा इसमें न तो हमें हिन्दी की प्रतियां ही रिपोर्ट की उपलब्ध हुयीं हैं और न बहस के लिए उस पर कोई दिन ही मुकर्रर हुआ है। यह आज का बड़ा व्यापक प्रश्न है, बहुत से कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। मैं माननीया मुख्य-मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कृपया हमें सूचना दें कि कब इस पर बहस होगी और कब तक हिन्दी प्रतियां हमें मिल सकेंगी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने स्वयं इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की थी। मालूम हुआ है कि अभी इस में कुछ समय लगेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र यह अनुदित होकर आ जायं। हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वह आ जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यह जो आज का ज्वलंत प्रश्न है, उसके बारे में वह बता दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---

वह अंग्रेजी में आ चुकी है, हिन्दी में अनुवाद होने में समय लगेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

कितना समय लगेगा ? ६ मास लगेंगे या साल भर ?

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

हल्ला हो रहा है बात तो समझ में आये कि क्या चाहते हैं ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

प्रश्न यह है कि कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद हमें मिले और उस रिपोर्ट पर सदन में बहस कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष---

वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रश्न है कि उसकी हिन्दी कापी कब तक आ जायेगी ? इसके लिये मैंने स्वयं पुछवाया है, अभी इसमें कुछ समय लगेगा । हम चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र उसकी हिन्दी कापी आ जाय ताकि उसे इस आदरणीय सदन के सामने रखा जा सके ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे सामने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सूखे से रबी की फसल नष्ट हो जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये मैंने श्री टम्बेश्वरप्रसाद का एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जो इस प्रकार है :---

"उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र भयंकर सूखे का सामना कर रहा है । रबी की फसल एकदम नष्ट हो गई तथा खरीफ की भी कोई आशा सूखे के कारण नहीं है । परिणामस्वरूप टेहरी, गढ़वाल, चमोली आदि का पहाड़ी क्षेत्र अकाल-ग्रस्त हो गया है । वहां सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान बहुत कम मात्रा में हैं और जो हैं भी उनमें स्टाक की कमी है ।

परिणामस्वरूप स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई है, त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

अस्तु आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बीय प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं ।"

तो इस सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री को क्या कहना है, आप कब वक्तव्य देंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

वहां की स्थिति इनसे ज्यादा मुझे मालुम है, वैसे जब आप कहें तब मैं इस पर वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मालुम है, लेकिन वहां की चिन्ता नहीं है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

२३ तारीख को इस पर मैं वक्तव्य दूंगा ।

कतिपय विषय

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैंने भी कानपुर के राशनिंग के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिया था। कानपुर में आज से राशनिंग लागू हो गयी है और लोगों को गल्ला मिल नहीं रहा है। सारा गल्ला ब्लैक में जा रहा है। सारे शहर से गल्ला बिलकुल गायब हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

कानपुर में जब आज से राशनिंग लागू है तब इस प्रश्न का महत्व ही क्या रह गया ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

महत्व इसलिये है कि बाजार में कुछ नहीं मिल रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा भी एक प्रश्न था। डुमरियागंज में हरिजनों ने रविदास जयन्ती के अवसर पर एक जलूस निकाला जिस पर गुन्डों ने हमला कर दिया और हरिजनों को मारा-पीटा जिसकी वजह से ५-७ आदमी अस्पताल में पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, तीन दिन से वह आ रहा है और मैं बराबर उसको मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन--

इस पर एक बयान तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं विशेष ध्यान के लिये और सूचना के लिये भेज दूंगा।

माननीय पालीवाल जी, कल जो आपने शिकायत की थी उस सम्बन्ध में पायनियर प्रेस द्वारा एक स्पष्टीकरण भी छप चुका है और उन्होंने इस गलतफहमी के लिये खेद भी प्रकट कर दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

इसके लिये आपको धन्यवाद है।

ताशकन्द समझौते से संबंधित असरकारी संकल्प के अस्वीकृत किये जाने के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, एक प्रस्ताव मैंने स्वयं तथा माननीय शारदाभक्तसिंह आदि ने ताशकन्द घोषणा के सम्बन्ध में इस सदन में विचार करने के लिये भेजा था और मेरे सामने वह शलाका में निकला। आज जब एजेंडे को मैंने देखा तो ज्ञात हुआ कि आपने उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आप के द्वारा अस्वीकृत किये जाने के कारणों को भी देखा है। उसमें आपने यह लिखा है कि संविधान के सप्तम अनुच्छेद के मद १०, १४, १५, १६ के अधीन उस प्रस्ताव को बाधा समझते हैं इस सदन में आने में। वैसे परम्पराओं का जहां तक सम्बन्ध है संविधान में संशोधन के बिना काश्मीर को भारत वर्ष की भूमि से अलग नहीं किया जा सकता और वहां से फौजें हटाने का

किसी भी केन्द्रीय सरकार को अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बंगाल से बेरूबारी को अलग करने का प्रश्न आया था तो संविधान की धाराओं के अधीन केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित बंगाल सरकार से भी इसके लिये समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उसी तरह से इस प्रश्न पर भी विभिन्न प्रान्तीय सरकारों का समर्थन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होना चाहिये था। यह बात अलग है कि वह इस प्रदेश की विधान सभा हो या दूसरे प्रदेश की विधान सभा हो। विधान सभा के क्षेत्र में ऐसी बातें डिस्कस होती रही हैं। इस विधान सभा में भी जब चीन से आक्रमण हुआ तो माननीय विष्ट जी के प्रस्ताव पर २ दिन तक बहस चली निरन्तर। उस समय मैं भी इस विधान सभा का सदस्य था। यदि आज इस घोषणा के स्वागत करने का प्रस्ताव आ सकता है तो इसमें भी कोई बाधा किसी भी पक्ष से नहीं आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारा सवाल शलाका में आता है। मेरा यह निश्चित मत है कि यह सदन एक इकाई है जो प्रसन्नता से अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। जो संविधान की धारायें हैं जिनके अन्दर बहुत से अधिकार निहित हैं जिनका हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए तो मैं जानना चाहता हूं कि उनमें कौन सी बाधा आती है जिसके कारण माननीय अध्यक्ष ने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अतः मैं समझता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे और इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता से विचार किया और जितना अध्ययन हो सकता था, उतना किया। हमारे सदन के भी इस प्रकार के निर्णय हो चुके हैं उनमें मैं एक पढ़ कर सुना देता हूं। यह अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संहिता संकलन के पृष्ट ३५५ पर है। इसमें दिया हुआ है कि "अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से सम्बन्धित संकल्प, मतैक्य होने पर ही उपस्थित किया जा सकता है।" इसके अतिरिक्त संविधान की विभिन्न धारायें हैं, जिनके अन्तर्गत यह निश्चित रूप से हमारा विषय नहीं है। इन करणों से मैंने इसे अस्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि जिस दिन मैंने अपनी व्यवस्था दी थी, माननीय नेता विरोधी दल, जिन्होंने एक प्रस्ताव मेरे पास भेजा था, उनको सूचित कर दिया था। उन्हें चाहिए था कि वे बताते कि इस बात पर हमारी आपत्ति है ताकि हम इस पर पुनर्विचार करते। अब हम यह प्रस्ताव ले रहे हैं जो माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने रखा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

तो श्रीमन्, आप इस पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

इस पर अब तो विचार हो चुका है। यदि कोई कानूनी गल्ती हो तो हम विचार करेंगे।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता एवं हाउस रेंट देने के संबंध में संकल्प

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:---

"उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के आधार पर, जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, दिया जाना चाहिए और राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हाउस रेन्ट भी उसी आधार पर दिया जाय जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को देती है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को वास्तव में समाजवादी दलों की ओर से आना चाहिए था। समाजवाद में जो विश्वास रखते हैं, उनकी ओर से यह प्रस्ताव वास्तव में आना चाहिये था, जो समाजवाद का ढोल पीटते हैं यह प्रस्ताव हमें इसलिए लाना पड़ा, श्रीमान जी, कि सरकार की ओर से जो समाजवाद का ढोल पीटते हैं जब सरकारी कर्मचारियों के अन्दर इस प्रकार की विषमता हो तो फिर वे दूसरों को समाजवाद का नक्शा क्या दिखा सकते हैं और क्या बता सकते हैं। दूसरों से यह कहेंगे कि तुम आपस में बराबरी से रहो परन्तु अपने यहां ऐसा नहीं करेंगे। वही कर्मचारी केन्द्र का है, वही चपरासी केन्द्र का है, उनको जितनी तनख्वाह मिलती है, मैं पूछता हूं कि क्या हमारे यहां के जो कर्मचारी हैं और चपरासी हैं, वे भी उतनी ही तनख्वाह पाते हैं? यह समाजवाद का नमूना है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

इलेक्शन का साल है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, अगर यह इलेक्शन का साल है तो जहां आपने बहुत से और काम किए हैं, अगर इसको भी कर दिया होता तो आपका इलेक्शन भी अच्छा होता।

मैं श्रीमन्, इसी सचिवालय के परिसर के अन्दर की बात कहना चाहता हूं। एक विभाग है यहां पब्लिक डेट आफिस इसी परिसर में है। उसकी तनख्वाहें और भत्ते हमारी सरकार देती है केन्द्रीय सरकार के बमूजिब। इसी परिसर में इस सरकार के कर्मचारी जो हैं उनको तनख्वाह और भत्ता दिया जाता है यहां के अनुसार। एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में बैठने वाले, केवल दो मेजों पर अलग-अलग काम करने वाले आदमियों की तनख्वाहों और भत्ते में फर्क हो जाता है। यह है समाजवाद का नमूना। श्रीमन्, जो तनख्वाह कम होने से भ्रष्टाचार में कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है। जब तनख्वाहें कम होंगी तो जहां भ्रष्टाचार के लिए और अनेक वस्तुयें हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के लिए यह आधार है वहां एक आधार यह भी है कि तनख्वाह का कम होना। यह भी उसी समाजवाद की बदौलत है। समाजवादी विचारधारा ने भौतिकवाद को प्राश्रय दिया है और भौतिकवाद सांसारिक सुखों की ही प्रमुखता होती है। सांसारिक सुखों की उपलब्धि होती है पैसे से और पैसा मिलता है, यदि मैं अपने यहां का प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कहूं तो चार प्रकार से।

हमारे यहां के जो शास्त्री हैं उनका यह कहना है कि ४ प्रकार से पैसे की उपलब्धि होती है। व्यापार से, कृषि से, राज्य सेवा से और भिक्षा से। इस पैसे की उपलब्धि का एक उपकरण हुआ राज्य सेवा। क्योंकि समाजवाद ने भौतिकवाद को ही बढ़ावा दिया है और भौतिकवाद में सांसारिक सुखों की ही प्रमुखता होती है और वे सुख मिलते हैं पैसे के द्वारा और जब पैसा कम मिलता है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आदमी दौड़ता है और जब नहीं कर पाता है तो भ्रष्ट तरीकों से पैसा पैदा करने की कोशिश करता है। तो इस ढंग से भ्रष्टाचार में एक सिड्डी जोड़ने वाली यह भी है कि तनख्वाहें कम हों। श्रीमन् उधर से कहा जाता है और खास कर राजस्व मंत्री जब बोलते हैं तो वह इसी बात का प्रमाण देते हैं कि ताल्लुकेदारों के समय में और जमींदारों के समय में २रु०, ४रु० तनख्वाह वाले मुलाजिम होते थे जो समझावन बुझावन से अपना पेट भरा करते थे। कम तनख्वाह वाले मुलाजिमों के लिये जो लोग स्वयं कहते हैं कि एक बुराई थी वही आज उस बुराई को अपने सीने से चिपटाये हुए हैं।

श्री राममूर्ति---

तनख्वाह कम नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

अगर नहीं है तो मंत्री महोदय सेन्टर से कहिये कि क्यों अन्तर है। जब एक ही विचार-धारा, एक ही दल की सरकार सेन्टर में भी है, और यहां भी है। अगर हमारी सरकार सेन्टर में होती और आप कहते, हम ज्यादा तनख्वाह देते तो उस वक्त आप कह सकते थे। लेकिन इस समय तो आप ही वहां भी हैं और यहां भी हैं। वहां ज्यादा देते हैं, यहां कम देते हैं, इसका कारण क्या है? तनख्वाह निर्धारण करने के कुछ तरीके हैं जिस आधार पर सरकार तनख्वाह तय करती है। और उसका तरीका यह है कि उपभोक्ता सूचकांक देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ दिनों तक इस सूचकांक में बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा और उस सूचकांक का मेल बिठाते हुए सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह निश्चित की जाती है। इस आधार को बड़े-बड़े विद्वानों ने माना है और इसी आधार पर सरकार के यहां तनख्वाहें नियुक्त की जाती थीं और अभी भी शायद की जाती हों। जब उपभोक्ता सूचकांक बढ़ने लगता है और वह बढ़ते-बढ़ते अत्यधिक हो जाता है और तनख्वाहें बढ़ाने में सरकार की गुंजायश नहीं होती है तो महंगाई भत्ता के नाम से एक चीज आती है और वह महंगाई भत्ता दिया जाता है। सन् १९३९ में लड़ाई के समय में वार-रिलीफ के रूप में महंगाई भत्ते का अपने यहां प्रचलन हुआ तनख्वाहों के अतिरिक्त और उसके बाद सेंटर में वर्धाचार्य की एक समिति नियुक्त की गयी सन् १९४७ में और उसने यह निर्णय दिया कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने का यह आधार होना चाहिये कि उप-भोक्ता सूचकांक जब २० प्वाइंट बढ़ जाय तो उसमें बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। किन्तु वहीं फिर एकदास कमीशन की नियुक्ति हुई और उसने यह राय दी कि २० नहीं १० प्वाइंट ही जब बढ़ जाय उपभोक्ता सूचकांक तो उसी समय उसका पुनरीक्षण होना चाहिये और भत्ते में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये।

इसी आधार पर भारत सरकार को सन् १९४९ में ही अपने कर्मचारियों के लिये भत्ते में बढ़ोत्तरी करनी पड़ी। हमारे यहां भी डाक्टर सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई और वह समिति इस निर्णय पर पहुंची कि १९३१ में उपभोक्ता सूचकांक पर ही हम थोड़े दिनों में वापस चले जायंगे इसलिये भत्ते को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सन् १९४७ में कमेटी बैठती है और वह यह सोचती है, अनुमान लगाती है कि सन् १९३१ के सूच-कांक पर हम पहुंच जायंगे। लेकिन कहां हम पहुंचे? इसके लिये किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जांचने की जरूरत नहीं, बाजार खुले हुए हैं, सामान मौजूद है, सरकार मौजूद है, स्वयं निर्णय कर लें कि १९३१ में किस भाव पर सामान मिलता था और आज किस भाव पर मिल रहा है? यह जो पे रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी इसमें कुछ विचारक बैठे और एक विचारक ने यह कहा कि १९६०-६१ का जो उपभोक्ता सूचकांक है उसी को आधार मान लिया जाय और उसी आधार पर महंगाई भत्ता दे दिया जाय। १९६०-६१ को ही हम आधार मान लें तब भी उस समय से आज इस समय ड्योढ़ा हो गया है उपभोक्ता सूचकांक। तो निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि सरकार की कृपा पर यह नहीं होना चाहिये कि जब चाहे सरकार की इच्छा हो ५ रुपये बढ़ा दे, ७ रुपये बढ़ा दे या इच्छा न हो तो कुछ न बढ़ाये। हम केवल इतना चाहते हैं कि इस बढाने वाले प्रश्न के लिये कोई फार्मूला, कोई आधार होना चाहिये और वह फार्मूला या आधार वही हो सकता है जो केंद्रीय सरकार ने रखा है कि उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर जब भी १० प्वाइंट बढ़ जायें उसी समय महंगाई भत्ते पर विचार होना चाहिये और उसको बढ़ाना चाहिये। जब तक इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं रखा जायेगा तब तक ५ लाख सरकारी कर्मचारियों को सरकार की इच्छा पर छोड़ना कहां तक उचित है इस पर यह आदरणीय सदन स्वयं विचार कर सकता है।

श्रीमन्, अगर एक चीज में फर्क हो तो कहा जाये। भारत सरकार और हमारी सरकार की करीब-करीब सभी चीजों में सरकारी कर्मचारियों के बारे में अन्तर है और यह किस आधार पर है? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जब बोलें तो वह कृपा करके स्पष्ट करें कि ऐसा करने का

[कुंवर श्रीपालसिंह]

आधार क्या है ? दोनों सरकारों में इस प्रकार का अन्तर क्यों है ? अब आप देखें कि कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, वेतन, कार्य करने वाले घंटों में, पढ़ने लिखने की सुविधा में, कार्य मुक्त होने की आयु सीमा में, पेंशन में, फैमिली पेंशन और टी० ए० में अन्तर है और कहां तक कहा जाये सभी चीज में अन्तर है। यह क्यों है, इसका स्पष्ट जवाब आना चाहिये ? केवल यह कह देने से काम चलेगा। जैसा कि तभी कह दिया कि इलेक्शन सामने है। यह सवाल किसी की मेहरबानी से नहीं आया है बल्कि शलाका में से आया है और सरकारी प्रस्ताव की तरह से भी यह नहीं है कि जो चाहा बना कर दे दिया और बहुमत के आधार पर कह दिया गया कि सदन की यह राय है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य बार-बार शलाका का नाम ले रहे हैं। उनको शायद यह नहीं मालुम कि शलाका में से भी प्रस्ताव काटा जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मुझे यह नियम मालुम है और वह यह है कि ऐसे प्रस्ताव को केवल माननीय अध्यक्ष ही काट सकते हैं, सरकार नहीं काट सकती है। लेकिन जो भी प्रस्ताव सरकार ले आती है उसे न आप काट सकते हैं और न हम काट सकते हैं। उसे आप और हम खूब समझते हैं लेकिन प्रजातंत्र के नाम पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कदाचित् जिस समय इस प्रस्ताव पर भी वोटिंग होगी तो उस समय इस प्रस्ताव की भी वही दुर्गति होगी जो प्रजातंत्र में सही बात की हुआ करती है। एक चीज का अन्तर हो तो कहा जाय। कितनी ही बातों में अन्तर है। सरकार उसका जवाब देगी। वर्धाचार्य कमेटी ने एक चीज और रेकमेंड की थी कि एक हजार रुपया तक पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिये। श्रीमन्, जी, यदि आप देखें तो भारत के जितने प्रदेश हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश माना जाता है। उस बड़े प्रदेश में सबसे छोटी तनख्वाह है। सबसे कम है। (व्यवधान) जहां गलत होगा मैं मान लूंगा। हमारे यहां जो महंगाई भत्ते की दर सरकार ने रखी है वह इस प्रकार है। ५० रुपये वेतन पाने वालों को ४३ रुपये। ५१ से १५० रुपये तक ५० रुपये, १५१ से ४०० रुपये तक ५७ रुपये, ४०० से ८५० रुपये तक ४० रुपये और ८५० से ८८९, रुपये तक के लिये इतना जितना कि ८९० हो जाय। इसके मुकाबले में आप देखें कि केंद्र क्या देता है। केंद्र में १०९ रुपये पर ३८ रुपये ११० से १५० रुपये तक पर ५८ रुपये, १५१ से २०९ रुपये तक पर ७६ रुपये, ३०० से ५८० रुपये पर ९३ रुपये और ५८० से १ हजार रुपये तक पर १०० रुपये। केंद्र और यहां में इस तरीके का अन्तर है। छोटे कर्मचारियों में विशेषकर अधिक अन्तर है। निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि जो एक ही काम के लिये एक ही राज्य में सरकारी कर्मचारियों की जो दो तनख्वाहें हैं, उसका परिणाम यह होता है कि काम करने वाले कर्मचारियों के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। उस जगह पर वही काम करने वाले आदमी अधिक तनख्वाह पायेंगे उसी जगह पर कम तनख्वाह पायेंगे तो दोनों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। ऐसा क्यों है इसका जवाब मंत्री जी देंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह न सोचें कि यह प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से आया है और यह समझें कि यह उन्हीं की भावनाओं का परिचायक हो सकता है। अपने ही यहां बराबरी ले आयें तब दूसरों से बराबरी की बात करें। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन में विचारार्थ उपस्थित करता हूं और मुझे जो कुछ कहना होगा बाद में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब माताप्रसादजी अपना संशोधन इस प्रस्ताव में रख दें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत संकल्प की पंक्ति एक में "सरकार" के आगे एवं जिला परिषदों तथा पंचायत विभाग" और बढ़ा दिया जावे।

प्रस्तुत प्रस्ताव में यह आशा की गयी है कि केंद्रीय सरकार जिस हिसाब से अपने कर्मचारियों का वेतन और भत्ता बढ़ा रही है उसी हिसाब से राज्य सरकार को भी बढ़ाना चाहिये अपने कर्मचारियों के लिये, क्योंकि एक प्रकार के कार्यों के लिये एकसा वेतन हो। जब हम समाजवाद को मानते हैं तो यह चीज जरूर होनी चाहिये। यह हो सकता है कि ग्रेड अलग-अलग हों लेकिन महंगाई का असर तो सभी पर समान होता है। एक ही दूकान गल्ले और दूसरे चीजों की होती है जहां से केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों को सामान खरीदना होता है, वहीं जिला परिषद् और दूसरे प्रकार के कर्मचारी भी सामान खरीदते हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को ज्यादा महंगाई भत्ता, राज्य सरकार के कर्मचारियों को कम और जिला परिषद् और स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को और भी कम महंगाई भत्ता मिलता है जो अनुचित है। ग्रेड उनके भले एक न हों लेकिन महंगाई भत्ते में तो समानता होनी ही चाहिये।

मैंने जानकर स्थानीय कर्मचारियों का नाम इसमें नहीं रखा है क्योंकि अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जिस तरह से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन अभिनवीकरण समिति ने कुछ तनख्वाहों में परिवर्तन किया है उसी प्रकार से लोकल बाडीज के कर्मचारियों के लिये भी सरकार विचार कर रही है और यह भी विचार हो रहा है कि तत्काल उनको कुछ अन्तरिम सहायता दी जाय। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चहता हूं कि जिला परिषद् के क्लर्कों और दूसरे कर्मचारियों की जो पंचायत विभाग के अन्तर्गत हैं कहीं भी बढोत्तरी नहीं हुई है। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों से भी ये अछूते रह गये हैं। जिला परिषदें पहले लोकल बाडीज के अन्तर्गत थीं लेकिन अब वे पंचायत राज के अन्तर्गत आ गयी हैं। अगर वह लोकल बाडीज के अन्तर्गत होतीं तो सरकार जो अन्तरिम सहायता देने जा रही है वह उनको मिल जाती लेकिन वह भी उनको नहीं मिली और यह उससे बंचित रह गये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को जैसे पंचायत सेक्रेटरी हैं, जिला परिषद् के क्लर्क हैं या दूसरे लोग हैं उनको वही सुविधायें दी जानी चाहिये जो और कर्मचारियों को दी जा रही हैं। मान्यवर, यों तो तनख्वाहें जरूर बढ़नी चाहिये लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि ज्यों-ज्यों तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों महंगाई ज्यादा होती जाती है। पांच ६ बार इस बीच में केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, यद्यपि राज्य सरकार ने नहीं बढ़ायी। अतः राज्य सरकार लोकल बाडीज और पंचायत राज्य विभाग के सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। जब तनख्वाहें बढ़ती हैं तो दूसरे ही दिन से चीजों के दाम भी कुछ न कुछ और कभी-कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वह जब बढ़ जाता है तो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको थोड़ी सी राहत तो मिलती है लेकिन दूसरे लोगों को उससे बिलकुल परेशानी होती है। इसलिये कुछ इस तरह से सोचा जा रहा है कि जहां तक हो ये तनख्वाहें न बढ़ाकर उसी तरह से अपने कर्मचारियों के लिये कुछ जरूरी जीवन की उपयोगी चीजों का प्रबन्ध कर दिया जाय, उनके लिये दूकानें खोल दी जायं तो ज्यादा राहत उनको मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष—

तो महंगाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री माताप्रसाद---

अगर वे चीजें सस्ते रेट पर मिलने लगें तो उसका असर महंगाई पर पड़ेगा। जिला परिषद् के कर्मचारी, पंचायत विभाग के सेक्रेटरी तथा पी० आर० डी० के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को भी नहीं बढ़ाया गया है। मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है इनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि जो दूसरे कर्मचारी हैं, जैसे चौकीदार जो केवल ५ रुपया वेतन पाता है इन लोगों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्य ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी अपील की है कि समाजवादी सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस तरफ वह अपना पूरा ध्यान दे लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वह यह बात भूल गये कि १५ अगस्त, १९५७ के पहले सरकारी कर्मचारियों का या स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का जितना वेतन था उसकी अगर आज के वेतन से तुलना की जाय तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इस अवधि में काफी वेतन बढ़ाया गया है। इसलिये समाजवादी सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया हो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई है उसी तरह से उनके वेतन को भी बढ़ाया गया है। इस प्रस्ताव के अन्दर एक खास बात जो कही गई है वह यह है कि जिस तरह से महंगाई देखकर केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के लिये वेतन बढ़ाती है उसी प्रकार से यहां पर भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये। मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि और प्रातों का तो मुझे मालुम नहीं लेकिन हमारी प्रांतीय सरकार ने इसको कभी भी नहीं माना है कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता या वेतन बढ़ायेगी ठीक उसी तरह से यहां प्रान्तीय सरकार भी जरूर बढ़ायेगी। यह बात आज तक नहीं मानी गई है।

केंद्रीय सरकार ने १९५९ में एक पे कमीशन बिठाया था। उस पे कमीशन की एक सिफारिश थी। वह यह कि जैसे-जैसे ज्यादा कीमत बढ़ती जाय, जैसे-जैसे कास्ट आफ लीविंग इन्डैक्स होगा उसी तरह से महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाय। केंद्रीय सरकार ने यह माना और देने की कोशिश भी की। लेकिन इस बार महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद जैसा हम अखबारों में देखते हैं और पढ़ते हैं प्रधान मंत्री और दूसरे जिम्मेदार व्यक्तियों ने यह कहा कि अब इस तरह से महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होगी। उनका यह कहना प्रकट करता है कि वह इस बात को मान तो गये लेकिन मानने के बाद उन्होंने यह देखा कि यह बात काफी दिक्कत तलब है और इसमें और भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिये उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया कि आइंदा से इस पर अमल नहीं किया जायगा। इसलिये यह बात कि जिस प्रकार केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ता बढ़ाये उसी तरह से प्रान्तीय सरकार भी बढ़ाये, चल नहीं सकती। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में खुशी ही होती है लेकिन एक पुरानी कहावत है कि तेते पांव पसारिये जेती चादर होय। देखना यह है कि प्रान्तीय सरकार के पास जो साधन है वे सीमित हैं अथवा असीमित। यदि हमारी सरकार के पास असीमित साधन हों तो फिर हमें महंगाई बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। विरोधी पक्ष वालों की बात असीमित साधन होने पर ही संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। अभी दो एक साल हुए एक सज्जन मेरे घर आये, कहने लगे कि यह बड़ा अन्याय हो रहा है कि इस तरह से टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं जो नहीं दिये जा सकते। मैंने कहा कि भाई तुम ठीक कहते हो। थोड़े दिन बाद वही तनख्वाह बढ़ाने की बात लेकर आये तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सरकार, टैक्स न लगाये और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाय ऐसा कैसे संभव है। तो वह कहने लगे कि हम तो यही चाहते हैं कि तनख्वाह बढ़नी चाहिये और टैक्स भी नहीं

लगना चाहिये । मैंने कहा कि यह संभव कैसे है । टैक्स देना मुझे, आप को, सब को खलता है वह अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है । सरकार का काम चलना ही चाहिये और वह टैक्स से ही चलता है इसलिये टैक्स देना ही पड़ता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यहां टैक्स बढ़ाने की बात होती है तो हम सब उसकी मुखालिफत करते हैं और अगर लगता है तो मजबूरी में टैक्स देते हैं । लेकिन अगर टैक्स न बढ़े तो तनख्वाहें भला कैसे बढ़ाई जा सकती हैं ?

दूसरी बात देखने की यह है कि हमारी पे रेशनेलाइजेशन कमेटी १९६५ में बैठी थी । उस समय की महंगाई को उसने जरूर देखा होगा अन्यथा उसके बैठने का कोई फायदा ही नहीं था । उसने उस समय की महंगाई के अनुसार ही अपनी सिफारिशें भी की होंगी । इसके अतिरिक्त देखना यह है कि इस साल ईश्वर की दया है, फसल कमजोर है फिर भी बाजार में कीमतें १९६५ के मुकाबले में अधिक नहीं हैं, कुछ कमी की तरफ ही उनका रुख है । तो जब उन्होंने १९६५ की महंगाई को देखकर अपनी सिफारिश की है और इस साल उससे कम महंगाई है तो उसकी सिफारिश को तो हमको मान ही लेना चाहिये ।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मैं उनसे सहमत हूं कि ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ाने से महंगाई का कोई हल नहीं है । जैसे-जैसे विकासवाद की तरफ मुल्क चलेगा तो महंगाई बढ़ेगी । एक तो प्लान जो हमारी चल रही है उनसे महंगाई बढ़ेगी और दूसरे अगर तनख्वाहें भी बढ़ायी गयीं तो और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी । अतः तनख्वाह बढ़ाना भी महंगाई का कोई सही हल नहीं है । इससे अच्छा तो यह हो कि गवर्नमेंट जहां राशनिंग की दूकानें खुलवाती है वहां अगर दूसरे आवश्यक सामानों की दूकानें भी खुलवाये जहां पर कि सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर चीजें मिलने लगें तो उचित होगा । काफी कर्मचारियों को मैंने कहते सुना है कि पहिले जितनी तनख्वाहें मिलती थी थोड़ी भी, उसमें हम बचा लेते थे और अपने घर का भी काम चला लेते थे, आज बड़ी दिक्कत है । अतः उस चीज को लाना चाहिये जिससे यह शिकायत दूर हो जाय । मुझे मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार के कुछ कदम उठाये है, कुछ दूकानें खोली हैं और गवर्नमेंट की स्कीम है कि अधिक दूकानें खोल कर उनको इस तरह से राहत देने का प्रयत्न करना चाहिये । एक बात और देखने की है । अगर सरकारी कर्मचारियों को केवल ५ रु० महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय तो गवर्नमेंट को करीब ४ करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जायगा और लोकल बाडीज का अध्यापक इन सबका भी अगर बढ़ा दिया जाय तो करीब ३ करोड़ के ऊपर व्यय बढ़ जायगा । तो केवल एक मामूली सी राहत देने पर, वह भी ५ रुपये की, ७ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । यह कहां से आयेगा ? इसके साथ-साथ चौथी प्लान आ रही है उसमें करीब ८५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और जो टीचर्स की और दूसरे लोगों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी तो उसमें करीब ३२ करोड़ की और आवश्यकता होगी । इस तरह से चौथी प्लान के लिये हमको मोटे रूप में १,१७ करोड़ की आवश्यकता होगी । इस साल तो खुशी की बात है कि जो बजट पेश हुआ है उसमें थोड़ा सा घाटा है, कोई टैक्स बढ़ाने की बात नहीं है लेकिन १,१७ रुपये का इन्तजाम सरकार कैसे करेगी, यह सोचने की बात है । सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा रुपये मिलने की गुंजायश नहीं है, मुश्किल से ८४–८५ करोड़ का इन्तजाम हो सकेगा इसलिये हमें अपने रिसोर्सेज से इन्तजाम करना होगा ।

एक बात यह है कि पे रेशनेलाइजेशन कमीशन ने कहा था कि एक अगस्त, १९६५ के बाद अगर केंद्रीय सरकार कुछ अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाये तो प्रांतीय सरकार को भी उस पर ध्यान देकर बढ़ाना चाहिये यद्यपि सरकार ने उसको माना नहीं (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दीजिये । अगर मान भी ले तो फिर यह सोचने की बात है कि कौन सा इन्तजाम होगा रुपये का । अगर नहीं हो सकता तो फिर कहा जायगा कि गवर्नमेंट हां कर लेती है, मान जाती है और कम नहीं करती ।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

एक बात और प्रस्ताव के अन्दर हाउस एलाउन्स की कही गयी है कि वह भी सेंटर के कर्मचारियों की तरह मिलना चाहिये। हमारे यहां सरकार ने हाउस एलाउन्स देना भी स्वीकार किया है। एक लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में कर्मचारियों के लिये यह एलाउन्स देने की पे कमेटी की सिफारिश को सरकार ने माना है। एक लाख से ऊपर वाली आबादी के शहरों में ५ परसेंट तथा जो ५ लाख से ऊपर की आबादी के शहर हैं वहां साढ़े सात परसेंट हाउस एलाउन्स दिया जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जितना कर सकती है उतना वह सदैव करने के लिये तैयार रहती है। इसमें संदेह नहीं है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिये, उन्हें हर तरह की सहूलियतें भी दी जानी चाहिये। मगर प्रश्न यह है कि साधन जुटाने का। साधन जुटाने के बाद ही हम कुछ और सोच सकते हैं। माननीय श्रीपाल सिंह बड़े समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी लेन देन अपनी जमींदारी के वक्त में किये होंगे, इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। उनको देखना चाहिये कि क्या वे अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते थे? और जिन राजाओं ने अपनी आय से ज्यादा खर्च किया उनका क्या नतीजा हुआ, वह भी आप को मालूम ही है, क्या आप चाहते हैं कि वही दशा सरकार की भी हो? इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

जो प्रस्ताव माननीय श्रीपालसिंह जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर यहां के कर्मचारियों को वेतन आदि मिले तथा दूसरा यह कि कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय। कास्ट आफ लिविंग का सिद्धांत अमेरिका तथा उन देशों से लिया गया है जहां पर हर आदमी के लिये रोजगार सुरक्षित है। जहां पर खेतिहर मजदूरों के लिये उचित मजदूरी मिलती है और उनका एक स्तर है। वहां हर शख्स को कास्ट आफ लिविंग के अनुसार वेतन मिलता है। वहां उच्चतम वेतन में और कम से कम वेतन में बहुत कम अन्तर है। हमारे यहां खेतिहर मजदूर को ६ आना मजदूरी मिलती है। बलिया जिले में आज भी ८ आना रोज पर मजदूर मिलते हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आप कहां तक वेतन बढ़ायेंगे? उससे आप कितने लोगों का फायदा कर पायेंगे। अगर संकल्प में सरकारी कर्मचारियों के स्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात होती तो अच्छा था। अमेरिका तो पूंजीवादी देश है, वहां समाजवाद की बात कोई नहीं कहता, लेकिन वहां फिर कम से कम और अधिक से अधिक वेतन में अन्तर ७ गुने का है। यहां प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को ९० रुपये और वाइसचांसलर को ४ हजार। अगर बंगला, माली, नौकर चाकर सब छोड़ दिये जायं तो यहां की यूनिवर्सिटी का वाईसचान्सलर अमेरिका में वाशिंगटन की यूनिवर्सिटी का मुकाबिला कर सकता है। लेकिन यहां का प्राइमरी स्कूल का अध्यापक अमेरिका के प्राइमरी स्कूल का मुकाबिला नहीं कर सकता है। सारे ढांचे में गड़बड़ है। लेकिन जहां तक कास्ट आव लिविंग का सवाल है, यह हिन्दुस्तान में सोचने लायक है ही नहीं। केन्द्रीय सरकार में एक करोड़ कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर पांच सात लाख हैं, अगर हम इस थ्योरी को अपना लेते हैं, राज्य में इस थ्योरी को पालिसी बना दें तो यह सारा राज्य सरकारी कर्मचारियों का, शासन करने वालों का हो जाय। सात करोड़ खेतिहर मजदूर हैं, जो बेचारे रिक्शा खींचते हैं, उनका क्या हो। अगर चावल रुपये का चार छटांक बिकने लगे तो क्या हम लोग कुली को १२ आना देना शुरू कर दें। तो इसलिये सब से बड़ा सवाल यह है कि मंहगाई को रोका जाय और दाम बांधने की स्कीम चलाई जाय। पिछले साल सेन्ट्रल कर्मचारियों ने हड़ताल की कि हमारा मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमाम जगह घूम कर भाषण कर दिये कि इसमें ग्राम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़ेगा और सारी जनता इनके खिलाफ हो गई। रेलवे वाले और एक्साईज वाले सब ऊंची-ऊंची तनख्वाह पाते हैं और फिर हड़ताल कर रहे हैं, यह जनता के मन में भी था।

कांग्रेस के जो चतुर शासक थे वे आम जनता में घूमे फिरे। कहने का मतलब यह है कि बजाय इसके कि वे जरूरत की जरूरी चीजों के कीमतों के बांधने की मांग करते तो ठीक होता। आज ट्रेड यूनियन्स मिल मालिकों से लड़ती हैं कि हमारा बोनस बढ़ा दिया जाय, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय। आज यह मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई खत्म होनी चाहिये। मजदूरी बढ़ाने के बजाय तो इस महंगाई को रोका जाय। आज गांवों में कैरोसीन तेल डेढ़ रुपया बोतल भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग प्रधान नहीं है यह आज भी कृषि प्रधान है। यहां आज भी खेतिहर मजदूर हैं। उन खेतिहर मजदूरों का सवाल यहां नहीं उठाया जाता है। इन तमाम चीजों से बचने के लिये एक ही रास्ता है कि चीजों का दाम बांध दिया जाय। तब जाकर खेतिहर मजदूर, रिक्शा ठेला खींचने वाले इससे फायदा उठा सकते हैं। पर इस तरह का रास्ता कि कास्ट आव लिविंग जैसे-जैसे उठती चली जाय, वैसे वैसे मजदूरी, तनख्वाह बढ़ाते चले जायं तो राज्य का क्या होगा कि जिनके हाथ में सत्ता है, जो सरकार को चलाते हैं उनकी एक वपौती और खजाना हो जायेगा कि चलो इसमें से लूट खसोट करते चलो और आम पब्लिक तबाह होती चली जायेगी। जहां तक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में भेद का सवाल है, हमारे कांग्रेसी साथियों ने कहा कि हमारे पास साधन नहीं है। मैं इसमें साफ कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार साधन विहीन होने से अपने कर्मचारियों तक को मजदूरी स्तर तक नहीं ला सकती तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालती कि जो एक समान काम करता है उनकी मजदूरी समान होनी चाहिये। पार्लियामेन्ट के एक चपरासी की तनख्वाह यहां के चपरासी से ज्यादा होगी। वहां के क्लर्क और स्टेनोज की तनख्वाह ज्यादा है यह तो उनकी एक पालिसी है सेन्ट्रल गवर्नमेंट का चपरासी बड़े झाबे साथ खड़ा रहे और स्टेट का चपरासी कम रौब से साथ खड़ा हो सके। लेजिस्लेचर्स में भी उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटर ३०० पाता है तो पार्लियामेंट का ५००–७०० पाता है। इंगलैंड, अमेरिका आदि किसी भी देश में ऐसा नहीं है। यह तो केवल साम्राज्यशाही नीति है और जैसा कि कुंवर श्रीपालसिंह जी ने कहा यह आटोक्रेसी शासन का प्रतीक है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का स्तर एक हो और राज्य के कर्मचारियों का स्तर अलग हो। मेरा कहना है कि दोनों में एकरूपता होनी चाहिये। कुंवर श्रीपालसिंह ने ठीक ही कहा कि दुनियां में कही भी ऐसा नहीं देखा जाता कि एक प्रकार का काम करने वाले लोग भिन्न प्रकार का वेतन पाते हों क्लर्क और स्टेनो जो सबसे ज्यादा काम करता है उसका वेतन कम है और अधिकारीवर्ग जो केवल दस्तखत करता है उसका वेतन ज्यादा है। कुछ लोग इसकी उपमा देते हैं गदहे और घोड़े से। धोबी का गदहा दिन भर कपड़े ढोता है और उसकी सूखी घास मुश्किल से खाने को मिलती है और घोड़ा कुछ काम नहीं करता और उसके मुंह से चने का तोबड़ा बंधा रहता है। इस उपमा को मैं कतई अच्छी नहीं समझता। यह क्रूड उपमा है। क्या यही उपमा मंत्रियों और आई० सी० एस० के लोगों के लिये दी जायगी, क्या यही उपमा स्टेट और केन्द्र के लेजिस्लेचर्स के लिये दी जायगी। मेरा तो निश्चित विचार है कि इस बात का मूल्यांकन मानवता के आधार पर होना चाहिये। जो पश्चिमी समाजवादी व्यवस्था के पीछे दौड़ते हैं वह इस प्रकार की बातें कर सकते हैं लेकिन हमें अपने यहां पर हिन्दुस्तानी समाजवाद की स्थापना करना है हम यहां पर कास्ट आफ लिविंग की बात नहीं करेंगे, हम यहां दाम बांधों नीति की बातें करेंगे। हर स्तर का कर्मचारी जो एक ही प्रकार काम करता है, उसका वेतन एक ही प्रकार का होगा।

आप कहते हैं कि साधन नहीं है। आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालते कि वे अपनी तनख्वाहों को कम करें। सरकार कहती है कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन कानपुर के पूंजीपतियों के पास १४ करोड़ आपका बकाया पड़ा है और ८–९ करोड़ रुपये के लिये आपने एन्टरटेनमेंट टैक्स, भूमि-भवन कर आदि करों को लगाया। कन्नौज के एक ही सेठ के ऊपर ४ लाख रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है। लेकिन आप उससे वसूल नहीं

[श्री काशीनाथ मिश्र]

करते क्योंकि ये लोग चुनाव के मौके पर आपको थैली जो देते हैं। इसलिये मैं जानता हूं कि सरकार के पास साधन हैं और अगर सरकार उन साधनों का उपयोग करे तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य कर्मचारियों को सुविधायें दी जा सकती हैं।

रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट उसके दकियानूसी विचारों का एक डाक्यूमेंट है जो पिछले ५० सवालों से चले आ रहे हैं। अगर इस कमेटी के अन्दर दिमागदार लोग होते, जिनकी छाती चौड़ी होती, दृष्टिकोण विशाल होता, तो उन्होंने सारी दुनिया की हालत को देखा होता और केन्द्रीय सरकार के पे-स्केलों को ही रखा होता और उस ढांचे से यह पता चलता कि यह उत्तर प्रदेश सरकार विषमता को मिटाने जा रही है जो सरकार समाजवाद का दम भरे, जनकल्याणकारी राज की बात करे और जनता की भलाई का ठेका ले उस सरकार का कोई काम तो उस प्रकार का होना चाहिये। इससे पता नहीं चलता कि आप उस दिशा में जा रहे हैं, साधन आप के जो भी हों। उन साधनों में ही अन्तर को दूर करते, आप कम से कम इस विषमता को दूर करने की चेष्टा तो करते, बड़े से बड़े वेतन और छोटे से छोटे वेतन में कोई प्रपोर्शन तो होता। योरोप के तमाम देशों में आप देखें, जर्मनी में देखें, यूगोस्लाविया में, रूस में, अमरीका में सब जगह एक अनुपात है। आप वहां पायेंगे कि कहीं १ और ३ का कहीं १ और ७ का और कहीं १ और ५ का अनुपात है, रूस में एक और पांच का अनुपात है, जर्मनी में १ और ७ का अन्तर है। योरोप में ५०० रुपये से १० हजार का अन्तर है जबकि हमारे यहां ३ आना से ३ लाख का अन्तर है। खेतिहर मजदूर का औसत आय और खर्च ३ आना है, जब कि बिरला परिवार की औसत आय ३ लाख रुपया रोज है जहां पर कि इतनी बड़ी गैरबराबरी हो वहां पर कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के हिसाब से करने से क्या होगा और गैरबराबरी बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप कीमतें बांधने की नीति का पालन करके, कीमतों को फिक्स करके खाने पीने का सामान उचित कीमत पर उपलब्ध करा के ही लोगों का भला कर सकते हैं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जिस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख पेश किया है यह कोई नया प्रश्न नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर भी इस प्रश्न पर बार-बार विचार किया गया है और जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुये समय-समय पर मंहगाई भत्ते को बढ़ा कर अपने केन्द्रीय कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने का विफल प्रयास किया है और बार-बार इन्डेक्स के साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने के बाद भी और अभी जो आखिरी मंजूरी उनके लिये हुई है। उसके बावजूद हमारी याद ताजा है कि केन्द्रीय कर्मचारी संघ की तरफ से उस पर काफी रोष प्रकट किया गया है और कहा गया है कि इतना कम महंगाई भत्ता बढ़ाना हमारी बहुत बेइज्जती है। जहां पर केन्द्रीय सरकार विफल रही और अपने जिन नुस्खों को निकाल कर वह अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट न कर सकी वहां उसी पुरानी दवा की पुष्टि कर के इन कर्मचारियों के लिये उस इलाज को आप कहां तक उचित समझते हैं? आज फिर से केन्द्रीय स्तर पर एक मौलिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि क्या समय-समय पर इस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ाने से इस समस्या का निदान हो सकता है? जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि अभी जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था केन्द्रीय सरकार के साथ उस पर गम्भीरता के साथ विचार किया गया इस प्रश्न पर और वहां पर स्टेट्स को छूट दी गई कि वह अपने हिसाब से जैसे ठीक समझे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता निर्धारित करें। उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। अभी जयपुर कांग्रेस में भी देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया गया और वहां काफी अनुभवी कार्यकर्त्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अखिल समस्या हमारे सामने यह

है कि हम किस तरह से इस बढ़ती हुई कीमतों को रोकें। वहां कहा गया कि एक तरफ तो हम मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और प्लस माइनस सब बराबर हो जाता है और कोई लाभ कर्मचारियों को उससे नहीं होता।

मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने एक मौलिक सवाल रखना चाहती हूं कि क्या हमको समाज के हर एक अंग को देखना है या केवल ५ लाख कर्मचारियों के ही इन्टरेस्ट को देखना है। हमें देखना होगा कि आज की लिविंग की कास्ट सबके ऊपर कितना दबाव डाल रही है। अगर प्राइस इनडेक्स बढ़ता है तो उसका असर समाज के हर स्तर के लोगों पर पड़ता है। तो फिर केवल सरकारी कर्मचारियों से सहानुभूति दिखला कर और जो ८ करोड़ जनता इस प्रदेश में रह रही है, अगर उनको हम छोड़ दें तो सबके साथ कहां तक न्याय होगा? गवर्नमेंट को यह देखना पड़ता है कि वह ऐसा कार्य करे जिसका असर समाज के सब लोगों के ऊपर न्याय संगत हो और जिसका समाज वेलकम कर सके। यह मैं मानती हूं कि हमारी सरकार की भी यह नीति है कि हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह समय-समय पर बढ़ाती रहे और उनको कम से कम तकलीफ हो। मैं भी उन लोगों में हूं जो इस विचार के हैं कि अगर ज्यादा मंहगाई होती है तो कर्मचारियों की तनख्वाह समय-समय पर बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाय, लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को मानती हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उनकी तनख्वाह न बढ़े या उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न हो। अभी हाल ही में जो वेतन अभिनवीकरण समिति बनी थी उसका जो रिपोर्ट है उसके पढ़ने से यह पता चलता है कि प्रायः हर स्तर पर कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है बल्कि कुछ ऐसे ग्रेड्स हैं जहां कि जो लोग रिटायर करते थे यानी अन्त होता था, वहां से मिनिमम आरम्भ हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड में रिवीजन हुआ है।

दूसरी बात यह है कि अगर ६ महीने बाद इस तरह की मांग की जाय कि वेतन बढ़ाया जाय और डियरनेस एलाउन्स बढ़ाया जाय तो इस तरह से सरकार का काम नहीं चल सकता है। सरकार को एक निश्चित् रकम मिलती है, उसी के अनुसार उसका बंटवारा करना पड़ता है अपने हर कार्य के लिये। तो हमें यह भी देखना है।

साथ ही हमें यह भी देखना है कि क्या सरकार ने अभी तक अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कुछ भी बढ़ाया है या नहीं। सरकारी कर्मचारियों में जो चपरासी का सेक्शन कहलाता है सन १९४७ में जबकि हम आजाद हुए, करीब २५ रु० मिलता था, उसे आज ७० रु० मिलता है। मैं यह नहीं कहती कि वह काफी है लेकिन इतना कहना चाहती हूं कि क्रमशः उसे धीरे-धीरे बढ़ाने की बात करनी है। प्राइमरी टीचर्स जो उस समय ४२ रु० पाते थे आज करीब ९७ रु० पा रहे हैं। यह बात नहीं है कि हम सन्तुष्ट हैं पूरी तरह से लेकिन हम समझते हैं कि आज जब हमारा प्रदेश गरीब है, प्रदेश की जरूरियात को देखते हुये हमें अपना कार्य करना है। चौथी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। हम यह भी जानते हैं कि हमारी जनता में इतनी शक्ति नहीं है कि वह और टैक्स का बर्डन बर्दास्त कर सके। ऐसी दशा में हम यह चाहते हैं कि आज हमारे जो साधन हैं उसी के अन्दर रहते हुए अपनी आमदनी बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम में लगाती है। हम और आप सब इसको समझते हैं कि केवल तनख्वाह बढ़ा देने से परचेजिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में चली जायगी और वह पैसा जब बाजार में जायगा तो चीजों की कीमतें बढ़ने लगेंगी। इससे ज्यादा इनफ्लेसन होता है और उसका कहीं अन्त नहीं होता। तो हमें इस बीमारी को रोकना है जिससे

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

समाज का केवल एक वर्ग नहीं बल्कि सारा वर्ग ही पीड़ित है। आज अगर हम सच्चे माने में अपने यहां समाजवाद को लाना चाहते हैं तो केवल एक वर्ग को नहीं देखना है बल्कि हमें तो सारे समाज की जो मिनिमम जरूरियात हैं उनको पूरा करने की बात करनी है

आज आप कास्ट आफ लिविंग की बात करें, या प्राइज इनडैक्स देखने की कोशिश करें जो इंसानी जरूरियात की चीजें हैं, चाहे वह खाने की बात हो, कपड़े की बात हो, घर की बात हो, शिक्षा या स्वास्थ्य की बात हो, जो न्यूनतम आवश्यकतायें हैं उनको भी आज कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारे यहां लोगों की औसत आमदनी इतनी नहीं है जिनके द्वारा वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसलिये जबकि इस प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लोग, सारी जनता डैवलपमेंट के काम में लगाने के लिये किसी न किसी मात्रा में त्याग करने को तैयार रहे तो कर्मचारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उस त्याग में वे भी हिस्सा बटायें। वास्तव में हमें मौलिक प्रश्न की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम कीमतों को रोकें। आज जो होड़ मची हुई है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, वह ही हमें दिया जाय, यह निदान कभी नहीं हो सकता है। माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी का जो प्रस्ताव है यह बड़े देर से आया है। इसकी जो उपयोगिता थी वह समाप्त हो चुकी है। अब तो हमने इसको अखिल भारतीय स्तर पर भी विचार किया है और वहां पर भी हमने यह देखा है कि वहां भी इसका समाधान नहीं होता। केवल १०, २०, ५०, १०० रुपये बढ़ा देने से इसका निदान नहीं हो सकता है। पहले जो रुपये की कीमत थी वह आज क्या हो गयी है। उसकी परचेजिंग पावर क्या रह गयी है। कितनी भी बढ़ाते चलें उसका अन्त नहीं होने वाला है। मेरा केवल यह कहना है कि इतना कर सकते हैं कि इतनी कीमत पर और इन चीजों को, जो कि आवश्यकता की चीजें हैं, उनको दे दी जाय जैसा कि बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर अगर फ्री एजूकेशन नहीं है, उनके बच्चों की, अगर उनके लिये दवा वगैरह का प्रबन्ध नहीं, वह कर दिया जाय, उनको ठीक और उचित कीमत पर कपड़ा वगैरह नहीं मिल रहा है तो जो डेली यूज की वस्तुएं हैं, जैसे राशन वगैरह तो उन सबका प्रबन्ध कर दिया जाय। इस प्रकार से जो राज्य की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वे अगर पूरी हो सकती हैं तो फिर हमारे कर्मचारी इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि उनको १० रुपया या २० रुपया बढ़ा कर ज्यादा दिया जाय। तो मौलिक प्रश्न यह है कि हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये इन चीजों को मुहइय्या करे। तभी हमारा समाजवाद सफल हो सकता है। इसी पर हमें विचार करना है। माननीय काशीनाथ जी ने हमारी बातों का समर्थन किया और इस प्रस्ताव का विरोध किया। जो भी समाजवाद में विश्वास रखते हैं वे सब हमारी विचारधाराओं का समर्थन करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मान्यवर, ऐसा जान पड़ता है कि काशीनाथ जी की बात माननीया बाजपेयी जी समझ नहीं पायीं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अर्थशास्त्र में दो प्रकार की मजदूरी होती है। एक प्रकार की मजदूरी वह होती है जो कैश में मिलती है और दूसरी वह जो उसे सुविधायें मिलती हैं। तो निश्चित रूप में हमारे कर्मचारी इस बात से खुश होंगे कि उनकी जो रिअल वेज हो, वास्तविक वेज हो, वह अधिक

हो। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का जो माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने रखा है, उसका विरोध करती हूं विशेष रूप से मौजूदा समय में जबकि वेतन अभिनवीकरण की रिपोर्ट निकल चुकी है और जिसमें बहुत सी सुविधायें दी जा चुकी हैं।

*श्री संत सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। एक बात सभी भाई जानते हैं और आप भी, श्रीमन्, जानते हैं कि आज इस पूरे प्रान्त के अन्दर मंहगाई की वजह से सारे कर्मचारी परेशान हैं कहीं, जाइये, किधर जाइये, किसी डिपार्टमेंट में जाइये, जगह २ पूछा जाता है कि दिल्ली में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मंहगाई दुबारा बढ़ा दी और यहां पर अभी तक भी अभिनवीकरण समिति की जो रिपोर्ट थी, उसी पर फैसला नहीं हुआ है। हर कर्मचारी आज इससे परेशान है। मुझे दुख है कि आज हमारे कांग्रेसी भाई इस मसले को समझने के लिये, इसको बुनियादी ढंग से हल करने के कोशिश नहीं करते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यही होगा कि हर जगह डिस्कन्टेन्टमेंट होगा और आज हर जगह अशान्ति है और दिन पर दिन वह बढ़ती जा रही है और जब कहीं वह फूट निकलती है तो सरकार कोई कमेटी बनाने की बात सोचती है। यह मसला दो तरह से हल हो सकता है। एक तरीका तो यह है जैसा कि काशीनाथ जी ने कहा कि दाम बांधो। अगर यह बात सरकार कर दे तो हमको बड़ी खुशी होगी और महंगाई के लिये हम नहीं कहेंगे। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती। दाम बांध कर चीजों को जनता को मुहइया यह सरकार करे यह बात सोचना ही मूर्खता है। गल्ले का नियंत्रण तक तो वह कर नहीं सकी। पार्शल कंट्रोल की दूकानें खोली हैं। उसी से हर आदमी परेशान है और एक एक मील की लाइन लगानी पड़ती है। हर दूकान पर ब्लैक मार्केट होता है। ५०० रुपये घूस देकर लोग दूकान का लाइसेंस करा लेते हैं ताकि चावल और गेहूं ब्लैक में बेच सकें। अब राशनिंग होने जा रही है। राशनिंग का मैं विरोधी नहीं हूं। हर आदमी को राशन मिले तो यह अच्छी चीज सिद्ध हो लेकिन इसमें जो खराबियां हैं जो करप्शन और भ्रष्टाचार है उसकी वजह से जनता इसके खिलाफ हो जाती है। हर आदमी इससे परेशान होता है कि यह क्या बीमारी उसके गले बंध गयी है। गेहूं के दाम बढ़ते-बढ़ते ७९ पैसे किलो हो गये हैं राशन की दूकानों पर। जब अमेरिकन गेहूं के दाम राशन की दूकानों पर ७९ पैसे किलो हैं तो बाहर क्या हालत होगी? फिर ८ किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा। जो मेहनत करने वाला मजदूर, फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर है उसका इतने से पेट नहीं भर सकता। तब बात है कि वह बाजार से चोरबाजारी में उसको गल्ला खरीदना पड़ेगा। फिर अन्य जो जिन्दगी की रोजाना की जरूरतें हैं उससे संबंधित चीजें मुकर्रर दाम के साथ मिल नहीं सकतीं। बंगाल के एक दोस्त ने एक किस्सा बतलाया जो इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा रोगी चीफ मिनिस्टर के पास गया और उसने उनसे कहा कि वह उसको छू दें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले वाले चीफ मिनिस्टर तो डाक्टर थे, वह तो डाक्टर हैं नहीं। उसने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर उसको छू देंगे तो उसका रोग दूर हो जायगा क्योंकि जिस चीज को उन्होंने छू दिया वह फौरन गायब हो गयी। आपने गेहूं को छुआ, तेल को छुआ। कर को छुआ तो गायब हो गई इसी तरह मेरा दर्द भी गायब हो जायेगा। जिस चीज को सरकार कंट्रोल करेगी वह चीज मार्केट में नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा पक्का मत है, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि स्केयरसिटी में जब किसी चीज पर कंट्रोल होता है तो वह चीज मार्केट से गायब हो जाती है। अभी पाकि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

स्तान की लड़ाई के समय हमारे यहां बैटरी के सेल दो, ढाई रु० प्रति सैल के हिसाब से मिला। अगर दाम बांधने के साथ लोगों को वह चीज उपलब्ध हो तब तो ठीक है वरना जनता को सहूलियत होने के बजाय और तकलीफ होने लगती है। मेरा तो विश्वास है कि यह सरकार जरूरियाते जिन्दगी की चीजों का प्रबन्ध नहीं कर सकती है। यह सरकार समाजवादी नहीं, न उस तरफ जाने की चेष्टा है। यह बात प्लानिंग कमीशन के इकोनोमिस्ट ने अपने स्टेटमेंट में कही है। सरकार का यह कहना कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं गलत है। हम पूंजीवाद और मोनोपली को मजबूत कर रहे हैं। नेशनल हेरल्ड में भी इस पर ऐडीटोरियल निकला है।

हमारे भाई कहते हैं कि साधन नहीं हैं। मैं कहता हूं कि समाजवाद के लिये मुख्य साधन यह है कि आप आमदनी की, लिमिट बांध दीजिये। १,००० रु० से ज्यादा किसी को न दिया जाय और जिनको इससे ऊपर तनख्वाह मिलती है उनको नीचे लायेंगे तो आपको काफी रुपया बचेगा और उस रुपये को कम तनख्वाह पाने वालों में बांटिये। इससे बड़ा साधन और क्या हो सकता है? हम तो कहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये, शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कीजिये, इन सब से आपको रुपया मिलेगा। जिन लोगों से इन्कम टैक्स का रुपया नहीं मिला है उनसे वसूल कीजिये, आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। लेकिन वह आप करना नहीं चाहते हैं और गरीब की जेब काटना चाहते हैं। कहते हैं कि निर्माण करना है इसलिये गरीब आदमी कुरबानी करे। मैं कहता हूं कि एक बेचारा चपरासी तो कुरबानी कर ही रहा है, जरूरत से ज्यादा कर रहा है। आज भारत के अन्दर तमाम काम करने वालों की मांग है, चाहे वह बाबू हो, चपरासी हो या मजदूर हो, कि महंगाई स्लाइडिंग स्केल पर होनी चाहिये। ५ रु० या २ रु० बढ़ा दिया यह सिद्धान्त दुनियां में कहीं नहीं है। महंगाई बढ़े तो उसी हिसाब से भत्ता बढ़ाया जाय और कम हो तो महंगाई अटोमेटिकली गिर जाय, यही सिद्धान्त होना चाहिये। बम्बई और अहमदाबाद में इसी तरह है और तय है कि अगर २० प्वाइंट महंगाई बढ़ी तो आटोमेटिमली कमेटी रिव्यू करके महंगाई भत्ता बढ़ा देगी। यही सिद्धान्त की बात है। ५ या २ रु० देने से काम नहीं चलेगा। कोई भिखारी तो है नहीं जो आप इस तरह किसी को देते है। जब तक यह बुनियादी बात तय नहीं होगी और इस तरह से जब तक नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। (लाल बत्ती होने पर) यह बड़े अन्याय की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दो मिनट और ले लीजिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

श्रीमन्, ५ मिनट दीजिये। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महंगाई भत्ता स्लाइडिंग स्केल पर होना चाहिये। जैसे-जैसे इन्डेक्स बढ़े उसी हिसाब से महंगाई भत्ता भी बढ़ जाय। अभी मुझसे पहले कांग्रेस सदस्या ने कहा कि हमने २५ रुपये से बढ़ाकर ७० रुपये महंगाई कर दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इन्डेक्स की फिगर ७२२ है यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समय चीजों के दाम सवा सात गुने बढ़ गये हैं। क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों की इतनी तनख्वाह बढ़ाई है? अगर आपने सवासात गुना महंगाई भत्ता बढ़ाया होता तब तो आपको यह कहने का हक था कि १८ साल के कांग्रेसी समाजवाद में आपने गरीबों को कुछ दिया। जिस हालत पर आपने देश को अंग्रेजों से लिया था उसी हालत पर आपने रखा। यह बात आप तभी कह सकते थे जब आप इतना महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाये होते। जबकि चीजों के दाम सवा सात गुने हो गये हैं तो आपने कहीं जाकर

मुश्किल से ड्योढ़ा दुगना महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इससे साफ जाहिर है कि इन गरीबों को कुछ नहीं मिला है। इसलिये आपका यह कहना ठीक नहीं है।

मैं सिद्धान्ततः इस बात को गलत मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाये और यहां के कर्मचारियों का न बढ़ाया जाय। यह असंतोष पैदा करने वाली चीज है और मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि यहां नहीं बढ़ाया गया तो दिल्ली वालों का भी नहीं बढ़ाया जाये। यह बात बिलकुल गलत है। दिल्ली के कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा तो वे लड़ेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो आगे आने वाला जमाना बतायेगा कि यहां के कर्मचारी भी सूती मिलों के मजदूरों की तरह से दफतरों में हड़ताल करेंगे और काम बन्द कर देंगे तब आपके दिमाग में सही चीज आयेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मामला इस तरफ जाय और मैं नहीं चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़े। अगर आप न्यायसंगत बात नहीं करेंगे और उसकी बात नहीं सुनेंगे तो ठीक नहीं होगा और इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा। यह कांस्टीट्यूशन का सिद्धान्त है कि एक से काम के लिये एक सा वेतन होना चाहिये। कानपुर और लखनऊ में जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वही काम यहां के कर्मचारी कर रहे हैं लेकिन उनको यहां के कर्मचारियों से दुगुनी तनख्वाह मिलती है। आपका यह सिद्धान्त कहां गया? यह सरकार कोई सिद्धान्त नहीं मानती है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि यह सिद्धांत मुकर्रर कर दें कि महंगाई भत्ता स्लाइडिंग स्केल से बढ़ाया जाय या चीजों के दाम मुकर्रर कर दें और उन दामों पर चीजें उपलब्ध भी हों। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह परिस्थिति होगी जिसे हम नहीं चाहते हैं, लेकिन दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती है।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस आदरणीय सदन में एक सुन्दर से शब्दों में माननीय कुंवर श्रीपालसिंह का संकल्प प्रस्तुत है। शब्द सुन्दर जरूर हैं लेकिन वास्तविकता क्या है, लक्ष्य क्या है और भावना क्या है, यह बात दूसरी है। क्या वास्तविकता यह है कि राज कर्मचारियों की सेवा की जाय या यह भावना है कि असंतोष पैदा किया जाय या यह भावना है कि राज्य सरकार के लिये और जनता के लिये कठिनाइयां पैदा की जायं। यह बात दूसरी रही।

मान्यवर, जहां तक कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स का ताल्लुक है, उसके संबंध में मैं अर्ज करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने न तो आज तक महंगाई भत्ते को आधार माना है और न मानने के लिये तैयार होना चाहिये इसका परिणाम क्या होगा? अगर केन्द्रीय सरकार की तरह सारे प्रदेश की राज्य सरकारें मंहगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी करती रहीं तो ढाई अरब रुपया उनको देना पड़ेगा जिससे आप स्वंय समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ेगी। आज किन्हीं कारणों पर अगर केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निश्चय किया तो उसी से २५ करोड़ का केन्द्रीय सरकार पर भार पड़ा। उस २५ करोड़ के मार्केट में आ जाने से उन कर्मचारियों के पास पहुंच जाने से रुपये का फैलाव बढ़ेगा और उससे महंगाई का इजाफा होगा। और केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा बल्कि उससे सारे समाज को दुख होगा क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों का असर सभी पर पड़ेगा। उससे खेती में काम करने वाले मजदूरों को, रेलवे स्टेशन पर कुलियों को, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को परेशानी होगी।

अगर केन्द्रीय सरकार के नमूने पर सारे प्रदेशों में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है तो उनसे आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जब विधायकों ने बढ़वा लिया तब नहीं सोचा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

आज हमारे सामने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते का सवाल नहीं है। बल्कि आज हमारे सामने सारे देश की उन्नति का सवाल है। इस प्रदेश में खुशहाली लाने का सवाल है। गरीबी को दूर करने का सवाल है। कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने से यह सवाल हल नहीं हो सकता। १९५९ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन ने यह निर्णय लिया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का आधार कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स हो लेकिन बाद में स्वयं केन्द्रीय सरकार ने इस चीज को महसूस किया। अभी हाल में ही २ फरवरी को जो डिस्कशन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री भी शरीक थीं, दूसरे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी शरीक थे। उसके अन्दर यह बात माननी पड़ी कि यह तरीका गलत है। और वास्तव में गलत है। वेतन अभिनवीकरण समिति ने भी इस आधार को नहीं माना है। उसने कहा कि ऐडहाक बेसिस पर महंगाई भत्ता दिया जाय। हमारे साधनों को देखा जाय, आर्थिक व्यवस्था को और कास्ट आफ लिविंग को देखा जाय। कर्मचारियों को अगर लाभ हो सकता है तो उसी से हो सकता है जिसको करने पर सरकार तुली हुई है और उसे करना चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों के लिये फेयर प्राइस शाप्स खोली जायं और उचित मूल्य पर जिन्दगी के लिये आवश्यक वस्तुयें उनको दी जायं। एक तरफ तो इस तरह से कीमतें नहीं बढ़ेंगीं और दूसरी तरफ रुपये का फैलाव भी नहीं बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा इस तरह से अपने कर्मचारियों के लिये प्रबन्ध करेगी जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें। मेरा एक सुझाव और है कि इसमें राज्य सरकार सहायता भी दे और सबसीडाइज्ड तरीके से कर्मचारियों को सामान मिले। लेकिन अगर कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर हुआ तो बेहद पैसे का फैलाव होगा। वेतन अभिनवीकरण समिति ने जून सन् ६५ तक कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स पर गौर किया था और सितम्बर ६५ से लेकर जनवरी सन् १९६६ तक कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बराबर घटता चला जा रहा है यहां तक कि २० प्वाइंट्स तक घट गया है। अगर ५ रुपये आप बढ़ा भी दें तो उसका परिणाम होगा ४ करोड़ रुपये का राजस्व पर बार और अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाने से ३ करोड़ यानी कुल ७ करोड़ का बार, कहां से आवेगा, लामुहाला टैक्स लगाना, मजबूरन लगाना पड़ेगा और फिर कहा जायगा कि टैक्स क्यों लगाये जाते हैं। आज यह कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार के आधार पर आप राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बढ़ाइये लेकिन यह नहीं सोचते कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है। राज्य आज इस स्थिति में नहीं है कि उसको बरदाश्त कर सके, न यहां की जनता इस हालत में है कि अब टैक्स के बार को बरदाश्त कर सके, उसकी सीमा आ चुकी है, ज्यादा टैक्स लगाना न उचित है, न लगाया जा सकता है। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों से जो बार पड़ा है और केन्द्रीय सरकार से जो भाग ५ साल के लिये मिलना था उसका एक भाग भी हमें ही बरदाश्त करना पड़ेगा वह लगभग ३२ करोड़ के होगा उसकी ही हमें चिन्ता है और अगर जैसा कहा गया है उसे कर दिया जायगा तो क्या व्यवस्था उसके लिये करनी पड़ेगी, इसको नहीं सोचा गया। कहना तो बहुत आसान है कि यह कर दिया जाय और वह कर दिया जाय लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। मान्यवर, इसके साथ-साथ में आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के कारण जरूर पीड़ा है और उनका ध्यान हमको जरूर रखना चाहिये। हमको उनके आराम की व्यवस्था करनी चाहिये और यह जरूर देखना चाहिये कि कोई ऐसी बात न हो जिससे वह परेशान हो जायं। इसलिये इस सिलसिले में मेरा यह सुझाव है कि उनकी जरूरियात जिन्दगी की चीजें सबसीडाइज करके दी जायं तो कोई बुराई नहीं है। मैं इसको आवश्यक समझता हूं। इसके साथ में यह समझता हूं कि इससे कीमतों के अन्दर इजाफा नहीं होगा और रुपये का फैलाव भी नहीं बढ़ेगा। उनको इससे ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत इसके कि उनको महंगाई भत्ता देकर फायदा पहुंचाया जाय। वेतन आयोग ने जो महंगाई भत्ते के विषय में बतलाया है वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं :—

"A dearness allowance is a device to protect to a greater or lesser extent, the real income of wage earners and salaried employees from the effect of rise in prices."

तो मान्यवर, यह उद्देश्य महंगाई भत्ते का है लेकिन अगर इस प्रकार से महंगाई बढ़ती रही और महंगाई बढ़ने के साथ-साथ कास्ट आफ लिविंग इन्डैक्स बढ़ता रहा और उसके साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जाय तो यह उद्देश्य इस तरह से पूरा नहीं हो सकता। यह इसी तरह से पूरा हो सकता है कि जैसे सरकार कर रही है फेयर प्राइस शाप्स पर इनको चीजें दी जायं। ज्यादा से ज्यादा शाप्स प्रदेश के हर कोने में सरकारी कर्मचारियों के लिये खोलकर उनके लिये जरूरियात जिन्दगी की चीजें मुहइया की जायं। इन अलफाज के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर श्रीपालसिंह जी के प्रस्ताव की भावना का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस समय जो प्रदेश में आर्थिक स्थिति है वह शायद पिछले २५ वर्षों में भी नहीं रही। किस प्रकार से एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी अपनी गुजर कर सकता है इसकी कल्पना करना भी कठिन है। उनके साथ सभी की सहानुभूति है। उनकी जो मांग है वह सर्वथा न्यायोचित है। उसको किसी भी प्रकार से सिद्धान्त की दृष्टि से देखने पर या अन्य प्रकार से यदि सरकारी पक्ष कहता है कि यह मानी नहीं जा सकती तो मैं समझता हूं कि उनका दिल खुद ही इस तर्क के समर्थन में नहीं है जो वह देने के लिये खड़े होते हैं। जिस प्रकार से हम यहां पर सारी बातें कहते हैं कि उस स्थिति में उनके लिये कठिनाई है और उनको कुछ राहत पहुंचाने के लिये तात्कालिक सहायता या महंगाई भत्ता मिलना चाहिये उसी प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि भत्ते का बढ़ाना समस्या का हल नहीं है। समस्या आखिर उत्पन्न क्यों हुई? समस्या इसलिये उत्पन्न हुई कि रुपये का मूल्य गिर गया। रुपये का मूल्य क्यों गिरा? उसका कारण तब तक दूर नहीं होगा जब तक हम वेतन या महंगई भत्ता बढ़ाते जायेंगे। जितना ही हम वेतन या महंगाई भत्ता बढ़ाते जायेंगे उतना ही वह समस्या और भी जटिल होती चली जायगी। महंगाई भत्ता बढ़ाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि सरकार नोट छापकर, जितना लोग महंगाई भत्ता सन्तुष्ट होने के लिये मांगते हैं, वह उनको दिया जाय लेकिन जब तक खाद्य पदार्थ का, खाद्य चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक चाहे जितनी भी तनख्वाह बढ़ाई जाय उसका कोई परिणाम वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाला नहीं है। अब यह किया है भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कि जितनी मुद्रा थी उस की एक तिहाई और बढ़ा दी लेकिन उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ा। इसी कारण से आज यह महंगाई है। दूसरा महंगाई का कारण यह है कि देश के जो सीमित साधन हैं उन का दुरुपयोग होता है। प्रायः यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कि हम साधनों को एकत्र करने के लिये टैक्स लगाते हैं। जब साधन जुट जायेंगे तो देश की उन्नति होगी परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि साधन जितने भी देश में हैं वह सीमित हैं, वह टैक्स लगाकर सरकार के खजाने में पैसा पहुंच जाने से बढ़ेंगे नहीं। उनका हस्तान्तरण होता है। पैसा निजी हाथों में सरकार के खजाने से निकल कर पहुंच जाता है। टैक्स के रूप में पैसा जब सरकार के खजाने में पहुंच जाता है, तब प्लानिंग कमीशन या केबिनेट बैठकर तय करती है कि किस प्रकार उसका उपयोग किया जाय और फिर सरकारी मशिनरी जो है उसके द्वारा उसका उपयोग होता है। उसके बारे में कोई छिपी हुई बात नहीं है।

मेरा यह दावा है कि जितना रुपया निजी हाथों से निकल कर सरकारी खजाने में पहुंच जाता है और उसके बाद सरकार द्वारा व्यय किया जाता है उसमें एक रुपया आठ आना के बराबर रह जाता है। क्योंकि उस रुपये का आधा भाग दलालों और सरकार के कृपा पात्रों की जेब में पहुंच जाता है। इसका नतीजा यह है कि जो पहले से धनवान हैं, वे और ज्यादा धनवान होते जा रहे हैं और यह प्रक्रिया कि गरीबों में टैक्स लेकर गरीबों को सहायता करने की जो कोशिश की जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

रही है यह जब तक चलती रहेगी तब तक इस देश के सीमित साधनों का दुरुपयोग ही होता रहेगा। तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो वेतन और दूसरी चीजें चाहे जितनी बढ़ाई जायं उनका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। हमको इन्डोनेशिया से, ब्राजील से चेतावनी लेनी चाहिये। उन देशों में स्थिति यह है कि हर महीने कीमतें दूनी हो जाती हैं। जिस तेजी से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है अगर नीतियों में परिवर्तन करके उसको रोका न गया तो संभव है कि अगले दो चार वर्षों में जो स्थिति इन्डोनेशिया में है, वह अपने देश में भी उत्पन्न हो जाय और उस समय आप कितने भी वेतन बढ़ायें उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है आज इन्डोनेशिया के जो डिक्टेटर या प्रेसीडेन्ट हैं, उन्होंने कहा है कि यदि कोई महंगाई रोक दे तो उसको वे मंत्री बनाने को तैयार हैं। लेकिन वे समझते हैं कि यह असंभव है। उनका यह भी कहना है कि जो महंगाई नहीं रोक सकेगा, उस मंत्री को वे गोली मार देंगे। यह अधिनायकों का एक तरीका है। वे समस्यायें खड़ी कर देते हैं और जब वे उन पर हावी होने लगती हैं तो ऐसी बात करने लगते हैं। हमारा देश भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। वास्तव में यह महंगाई भत्ते की मांग स्वयं बीमारी नहीं है बल्कि एक बड़ी बीमारी का लक्षण मात्र है जो देश में लगी हुई है। इस समस्या का हल करने के लिये दो तीन सुझाव दिये गये। कहा गया कि वेतन बढ़ा दिया जाय। यह ठीक है कि कर्मचारियों को राहत देने के लिये कुछ न कुछ जरूर करना चाहिये और मैं समझता हूं कि उनकी मांग न्यायोचित है। लेकिन यह उसका दीर्घकालिक समाधान नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी कि मूल्यों को बांधने का प्रयत्न किया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों से जो मूल्यों के बांधने की बात करते हैं कि क्या इतने अनुभव के बाद भी इस सरकार के काम करने का ढंग देखने के बाद भी आज उनका विश्वास है कि क्या यह संभव है?

आप सीमेंट का उदाहरण लें। उस पर कन्ट्रोल था, मूल्य बंधा हुआ था, पर क्या स्थिति थी? मिट्टी के तेल को ले लीजिये। कोई गांव का निवासी एक मिट्टी का तेल बिना तिगुनी, चौगुनी कीमत दिये नहीं पा सकता है जब कि उसका मूल्य बंधा हुआ है। कई चीजों के मूल्य बांधने के प्रयत्न सरकार ने किये लेकिन यह निष्फल रही। वास्तव में सरकार की नीति यह नहीं है कि निश्चित दामों पर लोगों को चीजें मिलें, बल्कि बीच के दलाल हैं और भ्रष्टाचारी हैं, इंस्पेक्टर हैं उनको भी कुछ कमीशन मिले। नतीजा यह होता है कि मूल्य और बढ़ जाता है और कभी कभी यह भी होता है कि सरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है कि उसके नाते गरीबों को और ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। मेरे जिले में, और मैं समझता हूं सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी मिट्टी के तेल का लाइसेंस लेना चाहे बांटने के लिये तो उसे कहा जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा कोषमें सवा सौ रुपये जमा करो तत्काल तुम को लाइसेंस मिल जायगा। जो लाइसेंसी सवा सौ रुपया देकर मिट्टी का तेल प्राप्त करेगा तो उस सवा सौ के ५०० बनाने का अवश्य प्रयत्न करेगा, क्योंकि उस को कोई डर नहीं रहेगा कर्मचारियों का। वह जानता है कि उसने कीमत अदा कर दी है और वह जैसा चाहे करे। इसी प्रकार से फेयर प्राइस शाप्स की दशा है। इन सभी चीजों को देखते हुये अगर सरकार सोचती है कि मूल्यों को बांधा जा सके या समस्या का समाधान हो जाय तो यह दिन में स्वप्न देखने के समान है।

कुछ लोगों का सुझाव है कि सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जायं। कैसी सुविधायें? शिक्षा में, चिकित्सा में। उनके लिये विशेष दुकानें खोली जायं, श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों के साथ सहानुभूति होते हुये भी मैं इस सुझाव का समर्थन नहीं कर सका, क्योंकि इस देश के नागरिकों के बीच इस प्रकार का भेद भाव और अन्तर करना मैं सर्वदा अनुचित समझता हूं। क्या कारण है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसको २००, ३००, २–३ हजार तक तनख्वाह मिलती है उसको निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध है, लेकिन एक गांव का हरिजन जिसको भर–पेट भोजन नहीं मिलता, अगर उसके बच्चे बीमार होते हैं तो क्यों नहीं उसके लिये निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाती? केवल एक वर्ग को प्रीविलेज्ड क्लास में इस देश में पनपाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उसका

सर्वथा विरोध करता हुं। क्या कारण है कि सरकारी कर्मचारी के लड़के शिक्षा पायें और उससे कम आय वाले अपने बच्चों को शिक्षा न दें सकें क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ? यदि इस प्रकार की सुविधा देना है तो एक निश्चित आय के नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनको सभी को उस प्रकार की सुविधा देनी चाहिये। एक ओर तो उस प्रकार की सरकार कर्मचारियों को सुविधा देने की बात करते हैं और फिर दावा करते हैं कि वे समाजवादी हैं, मैं नहीं समझता कि किस प्रकार के समाजवादी हैं और किस तरह से इसका न्यायोचित समझते हैं।

सरकार का रवैया अपने कर्मचारियों के प्रति बिलकुल ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी युग में सामन्तों का हुआ करता था। उनके विषय में यह बात मालूम है कि जो जितना बड़ा सामन्त होता था उसके कर्मचारी उतने ही ठाट-बाट से रहते थे। तो भारत सरकार चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी है, शक्तिशाली है इसलिये आप लोग शायद इसको उचित ही समझते हैं कि उनकी तुलना में वहां के कर्मचारियों को कुछ कम वेतन और कम सुविधायें मिलनी चाहिये। दूसरा रवैया सामन्तों का यह होता था कि तनख्वाह चाहे कम ही ले तो खाने और लूटने की छूट रहती थी जो ही आया, उसने कहा हमको नौकरी मिल जाय। उसने कहा तीन रुपया महीना ले लो, तुम भी पड़े रहोगे। तो यह रवैया आज भी है। कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार के साधन सीमित हैं और मैं यह कहता हूं कि टैक्सों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये और फिर मैं कहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय भी होना चाहिये। एक मात्र रास्ता है इन तीनों शर्तों को पूरा करने का। सरकार अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करे। जितनों को रक्खे वे कुशल हों और योग्य हों, और उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उचित वेतन मिले। यह पुराना रवैया कि जितने आते जांय भर्ती करते जांय, वेतन कम दिया जाय, लूटने खाने की छूट दे दी जाय, यह देश के लिये अहितकर है, इसका मैं विरोध करता हूं। यह कह देना कि आज साधन नहीं हैं। साधन आपके पास नहीं हैं तो क्यों सरकारी कर्मचारी रख छोड़े हैं ? मान लीजिये, मेरी तनख्वाह सात आठ सौ रुपया महीना है, और मैं एक दर्जन नौकर रख लूं। मैं उन नौकरों को तनख्वाह नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आठ सौ रुपये मिल रहे हैं। जितनी लम्बी चादर होती है उतने लम्बे पैर फैलाने चाहियें। इस सरकार ने पैर फैला दिये और चादर का खयाल नहीं किया कि कितनी लम्बी चादर है। इन सारी समस्याओं का जैसा मैंने पहिले कहा एक बड़े रोग के लक्षण मात्र को दबा देने से रोग का हल नहीं होगा और सबसे बड़ी दवा यह है कि सरकार केवल वह काम करे जो उसका जायज काम है। जिस तरह से न्याय, पुलिस, नहर ट्यूबवैल, सड़कें बनाना और जो ये नये नये काम उठाने वाली हैं कि मोटर ट्रक चलाना, मछली मारना, मछली बेचना, किताबों को छापना, सुना है कि पाठ्य पुस्तकों का काम भी राष्ट्रीयकरण के रूप में होने जा रहा है। जब इस तरह के काम दूसरे लोग करते थे तो वे अच्छी तरह करते थे। जब इस तरह से आपका कार्यक्षेत्र बढ़ता चला जायेगा तो आपको सरकारी कर्मचारियों की सेना रखनी ही पड़ेगी, उसका वेतन नहीं दे सकेंगे, असन्तोष होगा, काम बिगड़ेगा और प्रदेश का अहित होगा। इन बातों को ध्यान में रक्खें तो देश का हित हो सकता है।

श्री ए० सी० ग्राईस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ग्रेटफुल हूं क्योंकि मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। मैंने श्री कुंवर श्रीपालसिंह का रेजोलूशन पढ़ा है तो मुझे दुःख हुआ। वे अपने मतलब का रास्ता हर वक्त सोच लेते हैं। अब इलेक्शन का मामला आने वाला है तो सोच लिया कि चलो सरकारी कर्मचारियों का मामला लेकर शुरू कर दो। मैं सदन का थोड़ा वक्त लूंगा। डीअरनैस अलाउन्स का मलतब पहिले समझ लें। डीअरनैस अलाउन्स का मतलब यह था कि १९४२ के बेसिक फिगर्स से जितना बढ़ा उस समय यह सोचा गया था कि टैम्पोरेरी मामला था। उसी मारे सैलेरीज बढ़ाई नहीं गईं। डी० ए० बढ़ाया गया ताकि फिक्स्ड रेट पर आ जाय। पर वह १९४२ के बाद नहीं आया। श्री भानु प्रतापसिंह और काशीनाथ मिश्र ने भी

[श्री ए० सी० ग्राईस]

सुझाव दिये हैं और मेरा भी सुझाव है, तनख्वाह बढ़ाना बेसिकली गलत है। जैसे सांप अपने मुंह में दुम रख लेता है और फिर इंटर्नल सर्किल हो जाता है, यह डीअरनैस का भी वही हाल है। वह कहते हैं कि सरकारी दुकानें खोल रहे हैं, वे चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी कोआपरेटिव सोसाइटीज खोलें। सरकार उसमें मदद दे। उससे दाम नहीं बढ़ने पायेंगे। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर कर्मचारियों को सब्सीडाइज्ड रेट पर चीजें दें। इससे यह प्राब्लम हल होगी। अभी फरवरी में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जी० ओ० निकला मंहगायी बढ़ाने के बारे में, उसमें यह भी कहा गया है कि सरकार आखरी बार यह बढ़ा रही है, आइन्दा के लिये वह कोई दूसरी बात पर विचार करेगी। यह तो इस तरह से एक विशस सर्किल सा बन जायेगा—आप ज्यों ज्यों महंगायी बढ़ायेंगे, चीजों के दाम भी बढ़ते जायेंगे। आखिर आप कहां तक यह करते जायेंगे? उससे गरीब मजदूर को कैसे राहत मिलेगी, जिनकी आमदनी फिक्स्ड है उनकी प्राब्लम कैसे हल होगी? उनका तो रहना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मूवर महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और इसे वापस ले लें।

पिछली बार यहां २५ परसेंट लैंड टैक्स बढ़ाने का सवाल आया था। उस वक्त कितना उसको अरोज किया गया। हर तरह की धमकियां दी गयीं कि यह होगा, डंडे चलेंगे, क्या-क्या कहा गया। मैं तो कहता हूं सब के लिये कुछ होना चाहिये। केवल कर्मचारियों ही के लिये नहीं। उसके लिये आप कोआपरेटिव मूवमेंट को सफल बनाइये। धमकियां देने से यह प्राब्लम आप साल्व नहीं कर सकते, इससे उनका भला नहीं कर सकते। टैक्स आप कहते हैं बढ़ाओ मत, पे बढ़ाओं, तो यह कैसे होगा? फिर तो शासन चलना मश्किल हो जायगा।

काशी नाथ जी ने इस पे रेशनालाइजेशन कमेटी के बारे में तमाम बातें कहीं। मैंने भी इस रिपोर्ट को देखा है। खूब गौर से मैंने इसको पढ़ा है। मैं समझता हूं यह बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। बहुत सोच समझकर इस रिपोर्ट को बनाया गया है। इसमें जो सहायता दी गयी है, मैं चाहता हूं, जो एडेड स्कूल्स हैं वहां के लोगों को भी वह सहायता दी जाय। यह बहुत ठीक रिपोर्ट है। उसने एक एड-हाक फीगर दिया था। सितम्बर में वह आया और ४ महीने बाद आप कहते हैं कि पे बढ़ाइये। पे रेशनालाइजेशन कमीशन में सब लोग थे। टीचर्स का ट्रिपिल बेनिफिट्स और इनका डी० ए० बढ़ाने में ५ करोड़ का खर्चा आया। उनके लिये सब लोगों ने बहुत कोशिश किया। कानपुर में कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ७०० हो गया है। आजकल मजदूर को मिनिमम वेज १ रुपया ६ पैसा मिलता है रोजाना और डी० ए० २ रुपये के करीब होता है। तो वह काम क्यों करे? मेरा सुझाव है कि डी० ए० बिलकुल निकाल दें और कोआपरेटिव की दूकान खोल दी जाय और गवर्नमेन्ट उनको सबसीडाइज करे। तब यह मामला हल हो सकता है, वरना यह हल नहीं हो सकता है। जितनी आप तनख्वाह और डी०ए० बढ़ाते चले जायेंगे उतना ही कास्ट आफ लिविंग बढ़ता जायगा। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार का कि कोआपरेटिव स्टोर्स, सबसीडाइज्ड, हर सेक्शन में हो जाय। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, कुंवर साहेब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसके समर्थन में हूं लेकिन उस प्रस्ताव पर एक चादर चढ़ी हुई है और यह उस पर एक किस्म का पैंबद सा है। मैं इससे इत्तिफाक करता हूं कि २, ४, या १० रुपये बढ़ाने से कुछ लाभ नहीं होगा। अगर सेंटर के नौकरों को तनख्वाह बढ़ी तो सूबे की सरकार के नौकरों का तनख्वाह बढ़ाने में एतराज करने का कौनसी बात है? आखिरकार युनिफार्मिटी आफ पे होनी चाहिये। सन् १९४७ के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ६ बार महंगाई भत्ता बढ़ा है। इस सरकार को समाजवादी व्यवस्था पर भानुप्रतापसिंह जी हंसते हैं। हमारी सरकार के इन्तजाम जिसकी जितनी कम आमदनी है उसे उतना ही कम महंगाई भत्ता मिलता है। १०० से कम तनख्वाह वाले के लिये २० रुपये महंगाई भत्ता है और ४०० के लिये ७० रुपये है। तो क्या यह कदम सोशलिज्म की तरफ है? इस सरकार ने आज पूरे तरीके से पूंजीवाद कर रखा है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में इस सरकार की पूंजीवादी नीति रही है। हिन्दुस्तान में आज ६५ फीसदी लोगों की ४० रुपये माहवार की भी आमदनी नहीं होती है। अगर आप देखें तो ३५७ रुपये पर कैपिटा इनकम है यू० पी० में। इस सूरत में यदि १५० के १७५ हों तो उसके लिये मैं तैयार नहीं हूं। जैसा काशीनाथ जी ने कहा, अगर यह सरकार समाजवादी समाज बनाना चाहती है तो इसे चाहिये कि आय के बटवारे में एक रेशो बांधे, सीमा बांधे कि कम से कम आय १०० और अधिक से अधिक आय १००० रुपये हो। १००० से ज्यादा न हो। उसके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे भानुप्रतापसिंहजी इसे नारा कह सकते हैं लेकिन आमदनी को एक दायरे में बांधना बहुत जरूरी है। उसके लिये मैं बनारसीदासजी से पूछता हूं कि क्या यह जरूरी है कि हिन्दुस्तान में एक आदमी तो १ लाख रुपये माहवार की आमदनी करे और किसी का ८ आने और ६ आने हो। मुमताजभाई को तो बड़ा दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अपोजीशन वालों की बात मानली जाय तो कई करोड़ का टैक्सेशन हो जायगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

बलवानसिंहजी की आमदनी कितनी है ?

श्री बलवानसिंह—

मेरी आमदनी १००० के अन्दर ही अन्दर है।

अगर यह सरकार १०० के १२० या १५० नहीं कर सकती तो कम से कम जिनकी ज्यादा आमदनी है, उनकी नीचे लाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये। हिन्दुस्तान में जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जब तक मिक्स्ड इकानामी नहीं तोड़ी जायगी, जब तक प्रिविलेज्ड क्लास जिनको आप लाइसेंस देकर करोड़ों का इम्पोर्ट और इक्सपोर्ट का मौका देते हैं यह आपका रवैया रहेगा, जब तक कन्ट्राक्टर्स की क्लास रहती है तब तक एक कदम भी सोशलिज्म की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। आज भी ६६ फीसदी लोग हिन्दुस्तान के गवार हैं, अनपढ़ हैं। उनको इस सरकार की कोई चिन्ता नहीं है। आज तमाम हैवी इंडस्ट्री प्राइवेट सैक्टर में चलती जा रही है। बनारसीदास जी, चाहे आप जैयपुर में प्रस्ताव पास कीजिये, या कहीं भी कीजिये, केवल मिस्टर कामराज नाडार के कहने से ही सोशलिज्म आने वाला नहीं है। उसके लिये आपको ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जैसी आपकी जहनीयत बनाने की आवश्यकता है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि कम से कम ५ लाख तक की इंडस्ट्री को तो आप स्माल स्केल इंडस्ट्री में रखिये और उसके लिये रुपया दीजिये। ५ से लेकर २० लाख रुपये तक मीडियम इंडस्ट्री चलती हैं और २० लाख रुपये से ऊपर हैवी इंडस्ट्री होती है। अगर आप यह करा सकते हैं कि २० लाख रुपये से ज्यादा का इनवैस्टमेंट प्राईवेट लोगों के हाथ में न रहे तो मैं समझूंगा कि यह भी आप एक कदम सोशलिज्म की तरफ है। बैंकों का रुपया लगाकर लोग किसान से सस्ते दामों पर गल्ला खरीद कर महंगा बेचते हैं, यह भी ठीक नहीं है। मैं माननीय सहकारिता के मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दुनियां में कोई एक ऐसा है जहां अन्न की राशनिंग हो। १९४२ में हो सकती थी लेकिन आज न रूस में, न चीन में और न इंडोनेशिया में, कहीं राशनिंग नहीं है। आज हमारे यहां लोग एक-एक दाने के लिये तड़प रहे हैं। सोशलिज्म के माने हैं पैदावार को बढ़ाओ। लेकिन आपके राज्य में क्या खेती और क्या कारखाने, सब की पैदावार में गिरावट आ रही है। हो सकता है जनसंघ

[श्री बलबानसिंह]

को उससे खुशी होती हो लेकिन यह सत्य है कि यह कांग्रेस सरकार अनसोशलिस्टिक कानूनों को लाकर इस सोशलिज्म को धक्का मार रही है। यही वजह है कि भानु प्रताप जो इस प्रकार के कानूनों से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अगर यही आपके समाजवाद की झलक है तो हमको उस सोशलिज्म की जरूरत नहीं है। कम से कम जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का मुंह बंद करने के लिये कुछ तो सोशलिज्म के कदम उठाइये।

मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने इंसान को अच्छा बनानेके लिये क्या इन्वेस्टमेंट किया है। आपने ७८१ करोड़ रुपया स्टील प्लान्ट्स में खर्च कर दिया लेकिन इंसान को इंसान बनाने के लिये आपने क्या किया ? एजूकेशन के बजट पर आपने कितना खर्चा किया है ? समाजवादी देश रूस और चीन में ४ प्रतिशत एजूकेशन पर खर्च किया जाता है लेकिन आपका शिक्षा का बजट गिरता जा रहा है।

इस मुल्क को तो बहरूपिया बनाने की कोशिश हो रही है। जवाहरलाल जी गुजर गये। १२ दिन तक उनका मातम मनाया गया। लाला बहादुर शास्त्री जी की अस्थियों के लिये दो दिन की छुट्टी कर दी गयी। महान हस्तियों के लिये शोक न मनाया जाय लेकिन इस तरह इलेक्शन्स के लिये इस प्रकार की साजिश करना और मेले लगाना कहां तक ठीक है आप नारा तो सोशलिज्म का लगाते हैं लेकिन विचार आपके दकियानूसी हैं, कार्य आपके रूढ़िवादी है। चर्चिल जैसा आदमी गुजरा लेकिन इंगलैंड में उसके लिये कितने दिन का मातम मनाया गया ? इन रूढ़िवादी विचारों के कारण असंख्य लोगों को उनकी रोजी से महरूम कर दिया जाते है। क्या यह सरकार कोई ऐसी मौलिक चीज लायी जिससे देश की पैदावार बढ़ती। जैसा कि भानुप्रताप जी ने कहा कि जब तक देश की पैदावार गिरती रहेगी और आप करेसी को बढ़ाते रहेंगे, हिन्दुस्तान में यह वर्ग अपने मुंह को फैलाता ही जायगा। १०० रुपये में क्या होता है, उसकी कीमत आज १८ रुपया रह गई है। सन् ३९ से जैसा कि हमारे कमुनिस्ट दोस्त ने कहा महंगाई सवा सात गुना बढ़ गई है और ऐसे में अगर कर्मचारियों की मांग महंगाई भत्ते की हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप कहते हैं कि इस के लिये हमारे पास पैसा नहीं है और अगर बढ़ाते हैं तो करों में इजाफा करना होगा। लेकिन आपका इस सस्ती दलील से देश में समाजवाद नहीं आ सकता। अगर दलील देना चाहते हैं तो उस में कोई ठोस बात होना चाहिये लेकिन अगर दलील यह है कि प्रदेश करों के लिये तैयार हों क्योंकि कांग्रेस के मिनिस्टर साहब कहेंगे कि हम बैठने के लिये तैयार हैं और अपोजीशन के लोग बेंच पर बैठ जांय और बतायें कि पैसा कहां से लाया जाय। लेकिन हमको भी गरीबों पर और कर लगाने के लिये तैयार नहीं हैं जिस की कमर आज भी टूटी है, जहां से पैसे का श्रोत अब भी है वहीं से आप कर लगायें।

एक चीज और है कि आज हो या खाद हो बनारसीदास जी सहकारिता मंत्री हैं उन के यहां से हर चीज दुगने दाम पर बिकता है। २५ पैसा किलो गेहूं अमरीका से आ रहा है, दस ग्यारह रुपया मन के हिसाब से जो गेहूं आरहा है उस को आप ३२ रुपया मन के हिसाब से बेचने जा रहे हैं। हिसाब में मैं भी होश्यार नहीं हूं देख लिया जाय क्या हिसाब पड़ता है। इस तरह से यह सरकार अनाज में मुनाफाखोरी, खाद में मुनाफाखोरी, शराब की मुनाफाखोरी और दूसरे लाइसेंस में भी मुनाफाखोरी कर रही है। क्या यही समाजवादी कदम हैं ? यह तो समाजवाद की नीतियों को स्वयं तोड़ रहे हैं ? ऐसी सूरत में जनता को जो जिन्दगी की जरूरत की चीजें हैं, जैसे रोटी कपड़ा और रहायश की जगह का इंतजाम कैसे ठीक हो सकता है ? कम से कम हम एक पैमाने पर गरीबों और अमीरों को लाने की कोशिश तो करें।

(सहकारिता मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री झारखंडे राय—

मैं चाहता हूं कि बनारसीदास जी, बलवान सिंह जी के इस भ्रम को दूर कर दें कि वह समाजवादी नहीं हैं, अथवा समाजवादी हैं।

*श्री बनारसीदास—

उनको भ्रम रहता ही नहीं है, यहां वही भ्रम पैदा कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है, यदि उसकी गहन समीक्षाकी जायतो ऐसा मालूम होगा कि चुनावों के नजदीक होने के कारण शायद वह एलेक्ट्रेट से एक अपील करना चाहते हैं परन्तु वास्तव में उनके विचार इस प्रस्ताव के विरोध में हैं । सवाल यह है कि यहां के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान दिया जाय, सिद्धान्ततः इसके अन्दर कोई विरोध नहीं हो सकता ।

(इस समय २ बजकर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुये ।)

और यह बड़ा व्यापक प्रश्न है कि हमारे राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या साढ़े ५ लाख है । यदि इसके अन्दर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और शिक्षकों को शामिल कर लिया जाय तो उनकी संख्या और काफी बढ़ जायगी । इस प्रस्ताव के अन्दर कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाय, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिया जाय । साथ ही साथ जो एडेड संस्थाएं हैं उनके कर्मचारियों को भी यह दिया जाना चाहिये । फिर इसके अन्दर इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं आया और न माननीय सदस्यों ने ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा कि जो असंगठित मजदूर लोग हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जिनकी संख्या प्रदेश के अन्दर काफी है, रिक्शे वाले हैं, कुली हैं, घरेलू नौकर हैं जो लाखों की संख्या में घरों के अन्दर काम कर रहे हैं, उनके लिये भी राज्य की तरफसे कोई वेतन निर्धारित किया जाय या उन लोगों को भी महंगाई भत्ता दिया जाय । यदि कोई हाउस वाइफ उसे महंगाई भत्ता न दे सके तो राज्य सरकार का समाज का, भी कुछ कर्त्तव्य होना चाहिये ।

हमारे यहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या साढ़े ५ लाख है और प्रदेश की जनता करीब ८ करोड़ है । यदि एक परिवार की संख्या ५ के हिसाब से मान लें तो सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों की संख्या करीब २७ लाख तक हो गयी । इसम कोई विरोध नहीं हो सकता कि सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये स्वतः प्रयत्न करे और कोशिश करे कि हर आदमी को लिविंग वेज मिले । हमारे प्रदेश के पिछले १८ वर्ष के इतिहास का अध्ययन किया गया है और उससे यह मालूम होता है कि चपरासी के साथ साथ जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको भी उतना लिविंग वेज नहीं मिलता जिससे वें अपनी गुजर बसर कर सकें । इस बात की कल्पना करना भी कठिन है कि किस प्रकार से वे अपना जीवनयापन करते हैं । सन् ४७ में हमारे यहां के चपरासी को कुल २५ रु० मिलता था, उसे आज ७० रु० मिलता है । मैं जानता हूं कि वह नाकाफी है, उसके अन्दर वृद्धि होनी चाहिये, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । सन् ४७ में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को कुल ४२ रु० मिलता था वेतन के रूप में लेकिन आज उसे ९५ रु० मिलता है । मैं मानता हूं कि इसमें इजाफा होना चाहिये । माननीय बलवान सिंह ने तथा कुछ सदस्यों ने कहा कि मिनिमम वेतन १०० रु० होना चाहिये । अगर ५ रु० वेतन बढ़ाया जायगा तो कुल वेतन पर भार ४ करोड़ रुपया बढ़ जाता है । इसी तरह से यदि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और शिक्षकों को भी शरीक कर लिया जाय तो कुल बढ़ी हुई धनराशि ७ करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है । और यदि १०० रुपये वाली बात मान ली जाय तो करीब ४२ करोड़ रुपये साल का भार राजस्व के ऊपर पड़ेगा । तो यह सही बात है कि आज हमें उस सड़क पर चलने का प्रयास करना चाहिये जिस पर चल कर हम उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । लेकिन इस वक्त सब लोगों के लिये इस कार्य को करना सम्भव नहीं होगा ।

श्री बलवानसिंह—

हजार रुपये से अधिक पाने वालों की तनख्वाह नीचे लाइय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बनारसी दास--

जहां तक हजार रुपये से अधिक पाने वालों की तनख्वाह कम करने का प्रश्न है, इसे व्यावहारिक दृष्टि से भी देखना होगा कि यह कहां तक सम्भव हो सकता है। उन देशों की तरफ भी हमें देखना है जहां कि राज्य क्रान्तियां हुईं, वहां भी कुछ तत्व ऐसे थे जनता के अन्दर जो स्थिति को देख कर उसका लाभ उठाते थे। वहां ४ प्रिविलेज्ड क्लास थे, फौज, कम्युनिस्ट पार्टी, के बासेज, जर्नलिस्ट्स, टेक्नोक्राट्स। तो १७-१८ क्या ३० वर्ष तक इस प्रकार की स्थिति चलती रहेगी यदि व्यावहारिक रूप में इसे मान लिया जाय। अगर एक हजार से ज्यादा पाने वाले वेतन भोगियों के वेतन कम कर दिये जायं तो प्रश्न यह है कि इस सदन के अन्दर कितने व्यक्तियों की आवाज उठी है कि आज हमारे जो जुडीशियरी में जजेज हैं, उनका वेतन जो इस समय ३ या १/२ हजार रुपये है, वह एक हजार से भी कम किया जाय। यह कहा जा सकता है कि हम एक सिद्धान्त के लिये जिन्दा हैं। आप भी अगर आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हमारे यहां के कितने डाक्टर हैं जो यहां से नौकरी छोड़कर विदेशों में चले गये हैं।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

जब तक वक्ता महोदय न बैठें, कृपया आप न बोलें।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, मुझे एक चीज याद आती है कि महात्मा गांधी ने अशोक मेहता से या और किसी समाजवादी से कहा कि कुछ तो समाजवाद की थियोरियां इस प्रकार की हैं कि हमारे बंगले, हमारी कार हमारा जीवन स्तर सुरक्षित रहे। समाजवाद आये लेकिन हमारा स्तर नीचे और न गिरे। जब आये समाजवाद तो सब के लिये आये। इस प्रकार का सिद्धान्त इस देश में नहीं चलने वाला है। आज प्रदेश में कितने व्यक्ति हैं जिनको १ हजार रुपये से अधिक वेतन मिलता है? एक तरफ तो हमदर्दी की दृष्टि से जो काफी गवर्नमेन्ट सरवैन्ट्स हैं, उनको अपील की जाती है और दूसरी तरफ प्रशासकों और अधिकारियों की आलोचना की जाती है कि उनके अन्दर कार्य विहीनता है।

श्री झारखंडे राय--

चूंकि आप व्यावहारिकता की बात कह रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि करांची कांग्रेस में जो फंडामेन्टल राइट आफ मैन की बात पेश हुयी, और वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि ५०० रु० से ज्यादा स्वतंत्र भारत में किसी को तनख्वाह नहीं देना चाहिये। क्या वह व्यावहारिक नहीं था? अब उससे अधिक देने का क्या औचित्य है?

श्री बनारसीदास--

मैं जानता हूं कि माननीय झारखंडे राय उस प्रस्ताव के हामी थे। वे पुराने साथी हैं। कराची की कांग्रेस सन १९३१ में हुयी। उसमें यह तय हुआ कि कम से कम ३० और अधिक से अधिक ५०० रु० का मापदंड रहे। वह भी एक लक्ष्य था। एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिये। यह अलग चीज है लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति करना यह अलग चीज है। आज बहुत से देश समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं लेकिन इतनी यात्रा के बाद क्या वहां पर समाजवाद कायम हो गया है? आज हमारे जो दार्शनिक समाजवाद की व्याख्या करते हैं क्या वह वर्गहीन समाज हो गया? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का ट्रैन्ड, हिन्दुस्तान के विचार और हिन्दुस्तान के अन्य प्रयत्नों की दिशा एक समाजवाद की ओर है। समाजवाद क्या है? इसकी व्याख्या करना मेरे लिये इस थोड़े से समय में सदन के ऊपर प्रतिक्रमण करना होगा। यह तो एक एकेडैमिक विषय हो सकता है।

श्री भानुप्रतापसिंह--

अभी माननीय कामराज साहब ने कहा कि पिछली ३ योजनाओं के फलस्वरूप गरीब गरीदा हुआ है और अमीर और अमीर हुआ है। क्या आप उनकी राय का समर्थन करते हैं ?

श्री उग्रसेन--

श्री कामराज कोई अर्थशास्त्री नहीं हैं।

श्री बनारसी दास--

अभी माननीय बलवान सिंह जी ने अनाज की समस्या के बारे में जिक्र किया। पिछले ११ वर्षों में मैंने कई आर्थिक पत्रों में आंकड़ों को देखा जिनमें जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंगलैन्ड, और इटली आदि हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर प्रति व्यक्ति सीरियस कन्जम्पशन ३०-३५ बढ़ा है। हिन्दुस्तान के अन्दर शुगर, अन्य देशों के मुकाबले में २५ प्रतिशत बढ़ा है। तो अनाज का कन्जम्पशन बढ़ा है, शुगर का कन्जम्पशन बढ़ा है। हिन्दुस्तान ....

श्री उग्रसेन--

हिन्दुस्तान का खाने के मामले में.....

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें।

श्री बनारसीदास--

माननीय उग्रसेन जी, एक से मीनार करेंगे उस वक्त बातचीत करेंगे।

मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत से आंकड़े निकलते हैं। लेकिन एक विकसित इकोनामी में और ऐसी इकोनोमी के अन्दर जो एक विकासशील इकोनोमी होती है वहां पर जो लोग ऐंटरप्राइजिंग होते हैं, जिनके हाथ में थोड़ी पूंजी होती है, निःसन्देह उन की इन्कम बढ़ती है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां पर इकोनोमी के विकास करने का सवाल हो सिद्धान्त की दृष्टि से वहां पर पूंजी पर रोक लगाना देश के विकास के बिरुद्ध होता है। जो लोग लेबर क्षेत्र में काम करते हैं वे इस को जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बिड़ला की अल्मुनियम की फेक्ट्री कायम हुई। अगर कोई पूंजीपति कारखाना लगाता है तो वह उत्पादन में मदद करता है, एक आर्गेनाइज्ड सेक्टर पैदा करता है। वहां पर १२५ रु० कम से कम वेतन मिलता है। मैं पूछता हूं कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो ताकि आर्गनाइज्ड सेक्टर बढ़े ? और यह भी सत्य है कि आर्गेनाइज्ड सेक्टर में कितना श्रमिकों का वेतन है वह कृषकों की आमदनी से और खेतिहर मजदूरों की आमदनी से ज्यादा होता है। तो आज इस ट्रांजीशनल पीरियड के अन्दर जरूरत इस बात की है कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रिलाइजेशन हो। श्रम मंत्री की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर लेबर लीडर्स को कुछ ज्यादा आसानियां मालूम पड़ती हैं। लेकिन इस समय प्राइवेट बनाम पब्लिक सेक्टर की बहस नहीं है।

हमने एक रेशनलाइजेशन कमेटी बनाई और उसके आधार पर हमारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिर से रेशनलाइज किया गया। ५ साल में हमारे ऊपर ८५ करोड़ का भार पड़ेगा और टीचर्स को मिलाकर ११७ करोड़ का भार पड़ेगा। ६, ७ महीने हुए अगर आप थावों का ट्रेन्ड देखें तो पायेंगे कि वह नीचे की तरफ है। पिछली सितम्बर से लेकर जनवरी तक कानपुर का प्राइस इंडेक्स २० प्वाइंट गिर गया है। अगर आप चीजों के भाव देखें तो पायेंगे कि ज्वार का भाव अगस्त, १९६५ में जो ६६.९४ किवन्टल था वह दिसम्बर में ५३.३ क्विन्टल रह गया। मक्का का ७०.९९ से घट कर ५.१२ रह गया। चने का

[श्री बनासी दास]

भाव ७३.६५ से ले कर ६८.४५ रह गया। बलवान सिंह जी स्वयं शिकायत कर रहे थे कि आलू के दाम गिर गये। पारसाल १२, १४ रुपये मन था, अब ६ रुपये मन रह गया है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

चीनी और गन्ने की कीमत भी बतला दीजिये।

श्री बनारसीदास---

गरीब आदमियों की चीज गुड़ है। गुड़ के दाम आज १६, १८ रुपये मन है और पारसाल से आधे रह गये हैं।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)---

फैजाबाद में १२ रुपये मन है।

श्री बनारसीदास---

यह कह कर माननीय सदस्य मेरी ही बात का समर्थन कर रहे हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह---

दामों का गिरना क्या आप अपनी सरकार की सफलता समझते हैं?

श्री बनारसीदास---

यह हमारी सफलता नहीं लेकिन जिस मंहगाई भत्ते की आप आज मांग कर रहे हैं यह परिस्थिति उसके लिये औचित्य साबित नहीं करती। वास्तव में जब डाउनवर्ड ट्रेंड है और चीजों के दाम गिर रहे हैं तो फिर महंगाई भत्ते को बढ़ाने का क्या औचित्य रह जाता है सिवा इसके कि आप भी इलेक्टोरेट को अपील करें? आप की हमदर्दी भी वह अपने रजिस्टर में दर्ज कर लें कि आप भी उसके साथ हैं। यूसुफ साहब का तो मैं दलील दे कर समझा नहीं सकता क्योंकि उन की तो थ्योरी ही यह है कि असंतोष की अग्नि में से क्रान्ति की ज्वालायें पैदा होंगी और कहीं अशान्ति नहीं है तो वहां अशान्ति पैदा करो।

(व्यवधान)

अगर पहाड़ मुहम्मद के पास नहीं जा सकता तो मुहम्मद को तो पहाड़ के पास जाना ही होगा। भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो। मैं यह समझता हूं कि कुंवर श्रीपालसिंह जी भी यह समझते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो, उनका वर्क लोड ज्यादा हो और वास्तव में ऐसा हो तो तनख्वाह ज्यादा हो सकती हैं लेकिन जब बेरोजगारी है, मैन पावर ज्यादा है उसे देखते हुए हमने काफी भरसक इकोनामी की है और यह प्रयास किया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में जो सरप्लस स्टाफ है उसे कार्य क्षमता की वजह से हम एबजार्ब करेंगे और जैसे ही परिस्थितियां इजाजत देंगी हम जरूर इजाफा करेंगे। पे रेशनलाइजेशन कमेटी की वजह से जो भार हम पर पड़ेगा उसकी वजह से ३४ करोड़ का डेफिसिट रहेगा और केन्द्रीय सरकार से जिसके साधन काफी विस्तृत हैं उससे हमने मांग की है कि वह हमारी मदद करे और हम को अगर ७ करोड़ रुपये साल केन्द्रीय सरकार हम को दे देती तो प्रसन्नता होती। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे चपरासियों को और अन्य कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है। लेकिन हम जबानी हमदर्दी दिखाना हीं चाहते हैं बल्कि हम कोई ठोस कदम उठाना चाहते हैं जिससे सही माने में उन की कुछ मदद हो सके। मैंने अर्ज किया कि मैंने स्वयं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमारा अनुकरण करने के लिये बाध्य नहीं है। अगर उनके पास साधन हों तो वे करें वर्ना न करें। इसलिये यह चीज हमारे सामने नहीं हैं। ऐसा नहीं हो कि लोग यह कहने

लगें कि सरकारी लोगों की एक प्रिविलेज क्लास पैदा हो गई है और अगर यह भावना जनता में सरकारी कर्मचारियों के प्रति पैदा हो गई तो बड़ी घातक होगी और यह ज्यादा असंतोष पैदा करने वाली चीज होगी। यह चीज न केवल २७ लाख गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स के अन्दर पैदा होगी बल्कि सारी जनता के दरमियान पैदा होगी। इसलिये हमारी नीति संतुलित होनी चाहिये। हमारा दृष्टिकोण उनकी तरफ नहीं होना चाहिये जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर भी है। इसलिये हमें प्रयास करना चाहिये कि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, सामान के भाव कम हों, इंफ्लेशन कम हो और जैसे हमने वेलफेयर स्टोर कायम किये हैं उसी तरह से हम और स्टोर्स कायम करना चाहते हैं जिससे चीजों के भाव कम करने में कामयाबी हासिल हो सके। आज अगर हम डी० ए० सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा दें और उसी के साथ साथ यदि चीजों के दाम भी बढ़ जायें तो सरकारी कर्मचारियों को सही माने में कोई मदद नहीं मिलेगी और वे उनके कुचक्र में पड़ जायेंगे जो समाज को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सामयिक और व्यवहारिक नहीं है। हमने पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को अमल में लाने के लिये कहा है, उस को देखना चाहिये और दूसरे अन्य तरीके अपनाने चाहिये जिससे लोगों को निश्चित कीमत पर चीजें उपलब्ध हो सकें और चीजों के दाम आगे बढ़ने से रोके जा सकें।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। इसका विरोध करते समय माननीय श्रम मन्त्री जी ने दो बातें कहीं हैं। एक तो यह कि केवल चुनाव को दृष्टि में रख कर यह प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मक्का, ज्वार, बाजरा तथा चना आदि का भाव पहले से गिर रहा है। मान्यवर, चुनाव की दृष्टि तो केवल कांग्रेस के सामने रहती है। अभी तक तो कांग्रेस घाटे का बजट प्रस्तुत करती रहती थी लेकिन यह बजट कांग्रेस ने घाटे का प्रस्तुत नहीं किया। कानपुर के संबंध में कहा गया। जो मूल्य सूचकांक मेरे पास के वह इस प्रकार है कि १९६४–६५ की अपैल में सूचकांक ६६३ था जो बढ़कर जुलाई में ७१३ हो गया और दिसम्बर में ७२४ हो गया। कानपुर के मूल्य सूचकांक की यह सूचना है, फिर न जाने माननीय बनारसी दास जी कैसे कह रहे थे कि चीजों के मूल्य कानपुर में गिर रहे हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने जो महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों का बढ़ाया है उस पर दृष्टिपात कीजिये। १९६४ में १०९ रुपया वेतन पाने वालों को २८ रुपया महंगाई भत्ता दिया गया था जो अब ३८ रुपया दिया जा रहा है। ११० रुपये से लेकर १५० रुपया वेतन पाने वालों को सन् ६४ में ४२ रुपया दिया गया था जो अब ५८ रुपया दिया जा रहा है और १५१ रुपये से २०९ रुपये तक सन् ६४ में ५४ रुपये दिया गया था जो अब ७६ रुपये दिया जा रहा है। इससे आगे २१० से ३९९ तक सन् ६४ में ६६ रुपया दिया गया था वहां अब उनको ९१ रुपया दिया जा रहा है। ४ सौ से १ हजार तक जहां ७० रुपया था अब १०० रुपये दिया जा रहा है। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के जीवन यापन के मूल्य सूचकांक जब १० बढ़ जाते हैं तो महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर दी जाती है। हमारी सरकार ने वेतन अभिनवीकरण रिपोर्ट को पकड़ लिया है। उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहता हूं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरए खूं न निकला। वेतन अभिनवीकरण रिपोट आयेगी, सदन में प्रस्तुत होगी, बहस होगी। कुछ नहीं हुआ। १४ करोड़ रुपया हमने बजट में बढ़ा दिया लेकिन उससे राज कमचारियों का कोई विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। मान्यवर, उस वेतन अभिनवीकरण रिपोर्ट के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। वेतन अभिनवीकरण समिति ने जिस समय राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निश्चित किया तो उसने यह सोचा कि महंगाई सूचकांक जो १९६०–६१ में थे उन पर स्थिर हो जायंगे। यह कल्पना उसने की। १९६०–६१ में जो मूल्य सूचकांक थे, अप्रैल में ४६३ थे, जुलाई में ६८३ थे और दिसम्बर में ४७९ थे लेकिन उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

समिति ने जैसी कल्पना की थी वह आज चरितार्थ नहीं हो रही है। महंगाई सूचकांक घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस कल्पना के आधार पर समिति ने राज कर्मचारियों को ९९ रुपये तक केवल १५ रुपये, १००–२९९ तक २५ रुपये, ३००–१००० तक ३५ रुपये महंगाई भत्ता निर्धारित किया है, अब आप कल्पना कीजिये यहां का भत्ता १५, २५ और ३५ और केन्द्र का सब से कम महंगाई का भत्ता ३८ रुपये और अधिक से अधिक १०० रुपये। कहां १५ और कहां ३८! इसके साथ उस समिति ने एक अन्याय और किया है। उसने ढाई यूनिट का एक परिवार माना है जब कि केन्द्र के द्वितीय वेतन आयोग ने १९५७–५९,ने तीन यूनिट का औसत परिवार माना है। यदि तीन यूनिट का औसत परिवार मान लिया जाय तो २० प्रतिशत वेतन में बढ़ त्तरी राज्य सरकार को कर लेनी चाहिए। जब चुनाव नहीं करवायेंगे तो कह देंगे कि केन्द्र ने इच्छा जाहिर की है, महापालिकाओं का चुनाव नहीं होगा लेकिन महंगाई भत्ते के सिलसिले में केन्द्र की बात को नहीं मानती। जब केन्द्र अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा रहा है तो इस राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी बनारसीदास जी ने कहा कि अगर महंगाई भत्ता बढ़ायेंगे तो हमारे ऊपर करोड़ों का भार बढ़ जायगा। मान्यवर, हमने देखा कि बहुमत के आधार पर आप लोगों ने एक दो साल में बिक्री कर,मनोरंजन—कर, यात्री कर, व्यापार कर भूमि भवन कर, लगान में बढ़ त्तरी कर दी। लेकिन उस कर का भार किस पर पड़ा ? नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग पर ही तो पड़ा। वह कर के बोझ से दबा चला जा रहा है। अगर आप महंगाई भत्ता बढ़ाना नहीं चाहते तो उस पर महंगाई का जो बोझ है उस कम कीजिये, कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं उनको रोकिये। उसके लिये आज जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इसके लिये आप को कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। अभी बनारसीदास जी कह रहे थे कि सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जा रहे हैं। लेकिन वह भंडार करते क्या हैं? सस्ते गल्ले की दूकानें, चीनी और गेहूं की दूकानें खोलने के सिवाय कीमतों को कम करने का क्या प्रयास करती हैं? इनमें लाखों रुपये का गबन है और जो कीमतें आगे बढ़ी हुई हैं उसको न वह कम कर सकते हैं और न कर सकेंगे लेकिन सरकारी गल्ले की दूकानें बढ़ाते चले जावेंगे। अमरिका का गेहूं जब सबसे पहले आया तब ४९ पैसे किलो मिलता था। उसके बाद ५२ पैसे किलो दाम कर दिये गये और उसके बाद ५५ पैसे किये गये। आप कीमतों को बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

विषय पर बोलिये।

श्री बालोजी अग्रवाल—

यह तो विषय ही है कि महंगाई अधिक होती जा रही है, अगर महंगाई कम नहीं कर सकते तो महंगाई भत्ता बढ़ाओ और महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाते तो महंगाई कम करो अभी माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि एक विशेष क्लास नहीं कायम करना चाहिये। मैं भी उनसे सहमत हूं लेकिन कम से उनकी सुख सुविधा का तो खयाल कीजिये, इतना तो कीजिये कि वे अपना जीवन यापन कर सकें, उनके बच्चे पढ़ सकें। यह नहीं होना चाहिये कि चारबाग पर प्लैटफार्म पर झाड़ू लगाने वाले को १३३ रुपये मिलें और लखनऊ में रहने वाले क्लर्क को महंगाई भत्ते के साथ १३० रुपये मिलें; केन्द्र के चपरासी को १३३ रुपये मिलें और राज्य में काम करने वाले टाइपिस्ट को १३० रुपये मय महंगाई के मिलें। यह विषमता और असमानता आप पैदा करते चले जा रहे हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में यह विषमता रहने से समाज और देश का भला नहीं हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि केन्द्र आप की मदद करे तो उसके लिये शक्ति पैदा कीजिये। वह शक्ति आप में है नहीं इसलिये केन्द्र आप की बात नहीं सुनती। मान्यवर, आपको याद होगा कि केन्द्र ने वादा किया था आप को मदद देने का लेकिन कहां लिया आपने ? जब अध्यापकों ने आन्दोलन किया उस समय आप यही कहते रहे कि केन्द्र नहीं मानती। लेकिन आपने उनकी आन्दोलन की भाषा को माना। आपने लोगों

को यह समझा दिया है कि यह सरकार तभी किसी की बात मानती है जब आन्दोलन होता है, हड़तालें होती हैं, काम बन्द होते हैं। पिछले दिनों यहां पर झारखंडे राय जी ने कहा था यह सरकार शान्ति की भाषा नहीं समझती और आन्दोलन की भाषा समझने की आदी हो गयी है। सरकार ने पिछले १८ सालों में सिद्ध कर दिया है कि वह हड़तालों और आन्दोलनों की भाषा सुनना पसन्द करती है और शान्ति की भाषा पसन्द नहीं करती।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

आप वही करवाना चाहते हैं ?

श्री बालोजी अग्रवाल—

हम तो उसे बचाना चाहते हैं और आप से कहते हैं कि बचिये लेकिन आप उसे चाहते हैं तो वह कोई रोक नहीं पायेगा। आपने अभिनवीकरण समिति उस समय कायम की जब पिछले साल राज्यकर्मचारियों ने आन्दोलन किया। उससे पहले वे कहते रहे कि हमारी मांगों को मानिये और हमारे लिये वेतन आयोग बैठाइये और हमारे महंगाई भत्ते को बढ़ाइये, लेकिन उनकी बात पर गौर नहीं किया गया। जिस समय इस विधान सभा भवन के सामने हजारों की तादाद में वह आकर खड़े हो गये और लगाने लगे नारे और कहा कि हम काम बन्द करेंगे तब आपने वेतन अभिनवीकरण समिति का गठन किया। आज उनकी इतनी न्यायपूर्ण मांग हैं। मैं कहता हूं कि उस पर विचार कीजिये कि हमको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाय लेकिन उस पर विचार तक नहीं किया जा रहा है। उस पर गौर नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि यह सरकार शान्तिपूर्ण और न्यायपूर्ण मांग को बिना किसी आन्दोलन और सत्याग्रह के मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि राज्य कर्मचारियों के ऊपर या स्वायत्त शासन के कर्मचारियों या जिला परिषद् के या पंचायतों के कर्मचारियों की नियत पर शक न करें। उनकी न्यायोचित मांग पर सरकार को विचार करना चाहिये। विचार करने के बाद यह घोषणा सरकार करे कि हम महंगाई भत्ता बढ़ायेंगे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार स्वयं चाहती है कि वे दूसरा रास्ता अख्तियार करके उस भाषा का प्रयोग करें जिसको सुनने की यह सरकार आदी हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं श्रीपाल सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक कुंवर श्रीपालसिंह जी के प्रस्ताव का सम्बन्ध और सिद्धान्त रूप में आज कोई भी यह नहीं चाहता है कि इस देश के जो कर्मचारी हैं या जो हैं। नागरिक हैं वे किसी मुसीबत में रहें या उनको जीवन के लिये आवश्यक सुख सुविधा न दी जाय, लेकिन इस प्रस्ताव को रखने वाले जो हमारे माननीय सदस्य कुंवर श्रीपाल सिंह जी हैं वह पुराने जमाने म एक बहुत बड़े राजा और रईस रहे हैं। आज उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश करते वक्त इस सरकार के बढ़ते हुये समाजवादी कदमों की याद दिलाई। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज राजा साहब को इस सरकार को समाजवादी कदमों के ऊपर मजबूती से चलते हुये देख कर फिकर हुई है। हम यहां पर सरकारी कर्मचारियों की बात रते हैं लेकिन आज गांव में खेती करने वाले किसान और मजदूर रहते हैं। छोटी-छोटी जोत में काम सोकने वाले वे किसान आज लाखों की तादाद में देहातों में रहते हैं। हमें इस बात को रचना है कि आखिर हम उनके लिये क्या करते हैं। हम उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिये, उनको जीवन यापन की आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कराने के लिये उनकी आमदनी को कहां तक बढ़ा पाये हैं? आज इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने के लिये केवल चन्द रुपये भत्ते में बढ़ा दें या वेतन में कुछ पैसे बढ़ा दें, यह स्थायी हल नहीं हो सकता है। जो जीवन की आवश्यक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

वस्तुएं हैं उनकी कीमत को बढ़ने से रोकना है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, निश्चय रूप से उनको सुविधा मिलनी चाहिये, लेकिन एक के बाद एक हमारे यहां आन्दोलन हुये। बालोजी अग्रवाल ने जैसा कहा अध्यापकों ने आन्दोलन किया, राज्य कर्मचारियों का पिछले वर्ष प्रदर्शन हुआ। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभा प्रदर्शनों का देहात में रहने वाले वर्ग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे इस बात का अहसास करते हैं कि आज जिनके कारण दफ्तर बन्द हो जायं, जिनके कारण आज हमारी परीक्षा बन्द हो जायं, मजबूरी के कारण हमारे विरोधी भाई उनको आसानी से उभार सकते हैं। लेकिन वह किसान जो संगठित नहीं हैं, जो देहात में रहते हैं वह यह समझते हैं कि आखिर हमको देहात में १ रुपया या १। रुपया मिलता है तो हमारे विरोधी भाई हमारी इस भावना का खयाल क्यों नहीं करते कि हमारी आमदनी कैसे बढ़े। हम आवश्यकता की चीजें कैसे प्राप्त कर सकें इसके लिये जब तक कीमतों को नहीं रोका जायगा और सस्ती दुकानें नहीं कायम की जायेंगी तब तक उनको उचित मूल्य पर सामान नहीं मिल सकेगा। यह सवाल केवल सरकारी कर्मचारियों का नहीं है। आज करोड़ों आदमी इस प्रदेश में ऐसे हैं, जो परेशानियों में हैं। हमें उन सब का खयाल करना है।

अभी हमारे भाई ने कहा कि आलोचना के कारण सरकार ने घाटे का बजट पेश नहीं किया। जब घाटे का बजट पेश होता है तो शिकायत होती है कि घाटे का बजट पेश कर दिया। घाटे का बजट पेश नहीं किया तो यह आलोचना है। मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव है वह उन सदस्यों ने प्रस्तुत किया है, जिनकी न तो समाजवादी व्यवस्था में आस्था ही है, न विश्वास। लेकिन इस मौके पर सरकारी कर्मचारी प्रभावित हों और वे अपने क्षेत्र में जाकर कह सकें कि देखो भाई, हमने तो तुम्हारे लिये कोशिश की सरकार ही तुम लोगों को राहत नहीं देना चाहती। सरकार तो टैक्स लगाने के बाद भी वेतन बढ़ाने की बात पर विचार कर सकती है, जब कि विरोधी पक्ष का कहना है कि टैक्स नहीं लगना चाहिये, किसानों का लगान कम होना चाहिये ? तो काम कैसे चले। मैं समझता हूं कि केवल वेतन बढ़ा देना ही समस्या का इलाज नहीं है। इस प्रस्ताव को पास करने मात्र से ही उनकी मुसीबतें दूर हो जाने वाली नहीं हैं। सही माने में इसका हल एक ही है कि हम जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोकें और उपयोग की वस्तुयें उचित मूल्य पर लोगों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करें। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ हमें अन्य वर्गों को भी ध्यान में रखना चाहिये। ऐसी दुकानें हमें देहात में भी खोलना चाहिये। आज सूखे के कारण जब हमारी खेती आठ आना और छः आना भी नहीं है, काफी संख्या में भूमि-हीन मजदूर बेकार हैं उनके सामने एक बड़ी भारी समस्या है। मेरे इलाके से हजारों की संख्या में ऐसे मजदूर मध्य प्रदेश की तरफ चले गये हैं। आज देहात में पानी पीने की समस्या है। हमको अपनी प्लानिंग में इन सारी बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिये। क्या हमारे प्लान हैं ? हम कोई नहीं चाहते कि हमारी योजनायें कटें, उनपर कम खर्च हो। हम चाहते हैं कि सड़क, अस्पताल, स्कूल और सिंचाई की सुविधायें दी जायं और सभी साधन बनें। आज मजदूरों को रोजी देने की समस्या है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुये और यह देखते हुये कि सरकार का जो बजट पेश हुआ है खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, मैं श्रीपाल सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह के प्रस्ताव पर जो दिन भर बैठकर सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मामला कुछ उलझ सा गया है। कुछ ऐसे भाषण हुये, जिनसे असली मकसद पर परदा पड़ गया है। मुझे एक प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक याद आ गया, उसका हिन्दी अनुवाद कहता हूं। डा० राजेन्द्र कुमारी जी माननीय काशीनाथ मिश्र के विश्वविद्यालय की डाक्टरी पाये हुये हैं उनको भी कहना चाहता हूं। उसमें लिखा है "विधान की सभा में तो जाना ही नहीं चाहिये। यदि जाना जरूरी हो तो सच बोलना चाहिये" और जो सभासद विधान की सभा में जाकर सच

नहीं बोलता है वह बड़ा पापी होता है। अब इसके उदाहरण में बनारसीदास जी, श्रम मंत्री, को एक बात कहता हूं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान और प्रदेश की जनता अब इतनी चीनी, टमाटर और चुकन्दर खाने लगी। मैं उनसे पूछता हूं कि दुनियां के स्वास्थ्य संगठन से जो रिपोर्ट निकली है कि कितने हजार कैलोरी अमरीका वाला, लंदन वाला जरमनी वाला पाता है तो क्या बनारसीदास जी और इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि उस तालिका में हिन्दुस्तान का आखीरी नम्बर करीब-करीब है? मैं १८ वर्ष की योजना के आयोजकों से कहना चाहता हूं और अशोक मेहता से जिनके यहां मैं बम्बई में रहा करता था कि इन १८ वर्षों में यह हालत है कि आज हिन्दुस्तान का नम्बर ८१–८२ पर चला गया। आज कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवाद का मूलभूत सिद्धान्त यह है पहला कि क्षमता के अनुसार काम करें, जितनी क्षमता हो उसके अनुसार काम करें और आवयकता के अनुसार लें। श्री बनारसीदास का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक कलक्टर है और एक लेखपाल है। लेखपाल के पास दो कागजात रहते हैं—एक खसरा और एक खतौनी। उसकी जांच कानूनगो करता है। फिर उस पर तहसीलदार दस्तखत करता है और डिप्टी साहब पहुंच गये तो उन्होंने भी अंडा, मुर्गी, गोश्त खाकर दस्तखत मार दिया और फिर उस पर कलेक्टर ने दस्तखत मार दिया। तो एक महज दस्तखत मारने वाला कलेक्टर ३० रुपये रोज पाता है और लेखपाल मुश्किल से १ रुपया रोज पाता है जो कि सारे कागजात रखता है। तो समाजवाद क्या है?

जैसा कि काशीनाथ जी ने कहा, हमारे पटेल कमीशन की रिपोर्ट क्या है? पटेल कमीशन की रिपोर्ट को देखा जाय। उसने लिखा है कि देवरिया जिले में प्रति व्यक्ति आय १५४ रुपये हैं। हमारी तरफ देखिये कितने भूमिहीन किसान हैं। आज वे लोग ३ आना रोज पर काम करते हैं और इनका कलेक्टर ३० रुपये रोज पाता है। एम०एल०ए० १५ रुपये रोज पाता है और मंत्री ३०० रुपये रोज पाता है। (व्यवधान) यह मैं जितना बंगला, फर्नीचर आदि का खर्चा है वह सब जोड़ कर बता रहा हूं जो हिन्दुस्तान का वजीरेआजम है उस पर २५ हजार रुपये रोज खर्च आता है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहा करती थी कि कुम्भकरण ६ महीने सोता था और ६० भैंसा रोज खाता था। उसका राज्य खत्म हुआ रावण जैसे राजा का राज्य खत्म हुआ, तब आपका राज्य इस तरह से कैसे चल सकता है? हाजीपीर चला गया, प्रधान मंत्री की जान चली गई और फिर भी आप समाजवाद का नारा लगाते हैं। यही आपका समाजवाद है? बिड़ला की ३ लाख रुपये रोज की आमदनी है। टाटा की डेढ़ लाख रुपये रोज आमदनी है। बर्माशैल की एक लाख रुपये रोज की आमदनी है। जब तक हम सोशलिस्टों का नारा नहीं मानेंगे, समाजवाद नहीं आयेगा। हमारा नारा है न सौ से कम, न हजार से ज्यादा। हम कहते हैं इस विषमता को दूर करो, क्यों नहीं इसे दूर करते? आप एक दम नहीं दूर कर सकते तो धीरे-धीरे करो, मगर उस ओर कदम तो बढ़ाओ। स्वीडेन में एक और ६–७ का अन्तर है। और बाहरी मुल्कों में इसी तरह का अन्तर है। मगर हमारे यहां? हमारे यहां हमारा राष्ट्रपति १५०० एकड़ भूमि में रहता है और रानी एलीजेबथ५०–६० एकड़ भूमि में रहती हैं। तो यह सब क्या है?

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार ने महालनवीस कमेटी नियुक्त की थी। उसकी रपट आयी। आपने उसको देखा होगा। हमारे दल के नेता डाक्टर लोहिया ने कहा कि १८ वर्षों की योजनाओं के फलस्वरूप देश का सारा धन कहां चला गया। आप उस पर ध्यान दीजिये। आज १८ वर्षों के बाद देश का सारा धन बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला गया। योजना से पूर्व बिड़ला की माली हालत ५० करोड़ की थी। आज १८ वर्ष के बाद उसकी हालत ५०० करोड़ की हो गयी। जितने भी देश के पूंजीपति हैं सभी की हालत कई गुना बढ़ गयी। तो सारा धन उनकी जेबों में चला गया। हरिजनों का अनुदान काटा गया। हमारे बाप की जमीन छीनी गयी। कहा यहां गया कि यह हरिजनों को दी जायेगी मगर वह जमीन कहां गयी? हरिजनों को नहीं मिली, कांग्रेसियों को दे दी गयी। तो कहां समाजवादी समाज है। माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह के प्रस्ताव पर आता हूं। इनका क्या प्रस्ताव है? इनका प्रस्ताव यह है कि "रोटी कपड़ा और

[श्री उग्रसेन]

मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान"। दिन भर श्रीमन्, भाषण हुये पर किसी सदस्य ने इस पर भाषण नहीं दिया जैसा इस प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि केन्द्र जिस तरह से आवास भत्ता देता है उसी तरह से राज्य सरकर को भी अपने कर्मचारियों को देना चाहिये। मेरी रोडवेज में २६ हजार कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूं, परिवहन मंत्री मौजूद हैं, कि अगर एक भी रोडवेज के कर्मचारी के लिये सरकारी मकान इस सरकार ने बनाया है, तो हम इस्तीफा दे दें। मैं चिल्लाता रह गया, डा० सीताराम मौजूद हैं। इन्होंने हम लोगों के कहने पर दस हजार रुपये मकानों के बनवाने के लिये भेजे, पर भिंड साहब ने कहा कि काटो। मकान नहीं बने। यह सरकार किसकी है? यह सरकार चहार दीवारी की सरकार है। मैं ओबरा गया था। वहां सबके बंगले बने हैं पर मेहतर के नहीं। अगर मकान नहीं दे सकते तो उसका भत्ता दो। यह सरकार भत्ता भी देने वाली नहीं।

नौकरी का क्या हाल है? ३० हजार राज्य सरकारी कर्मचारियों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू होने पर निकाला जायेगा और उसका क्रम श्री के० के० दास के दो परिपत्रों द्वारा लागू हो गया है। यह है समाजवादी समाज की रचना। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि हम बढ़ायेंगे। दास कमीशन ने कहा कि हम बढ़ायेंगे। पे कमेटी ने कहा कि सन् ६१ के भाव पर हम बढ़ायेंगे। इन मंत्रियों के यहां कुत्ते रहते हैं तो बीस आदमियों का राशन मिलता है लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के घर में पांच आदमी हैं तो कहते हैं कि अढाइया मिलेगा। हमारे काशीनाथ मिश्र ने ठीक कहा कि यह पे कमेटी की रिपोर्ट नहीं है बल्कि कूड़ा है, भूसा है। श्रम मंत्री चले गये जो चुकन्दर और आलू की बात करते हैं। देवरिया में माननीय गेंदासिंह आलू के भाव चुकन्दर बुवा रहे हैं। मैं आप से कहता हूं कि आज यह वेतन स्तर की बात करते हैं और मंहगाई की बात करते हैं, आप को पे कमेटी की रिपोर्ट देनी चाहिये। मैंने तो यह देखा है कि सरकार ने किसी भी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की है और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि यह वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट, राजनीति में भविष्यवाणी ठीक नहीं होगी, लागू नहीं होगी। बड़े बड़े अफसरों पर यह लागू हो जावेगी। राम ते अधिक राम कर दासा। आपने सुना है अनामलीज कमेटी। इनकी अनामलीज पे कमेटी ने कहा कि ४५–१०० वेतन पाने वालों का वेतन क्रम १००–१८० हो जावेगा। अनामलीज कमेटी ने कहा यह गड़बड़ हो गया। पचास हजार कर्मचारी आते हैं। अब कर दो ८०–१४०। एनामलीज कमेटी ने उसको ८०–१४० कर दिया। इस से सारे निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का सर्वनाश ही हो जायगा। केन्द्र जब अपने मुलाजिमों का मंहगाई भत्ता बढ़ा रहा था तो मुख्य मंत्रियों ने उसका विरोध किया। मैं होता तो उन सबको डी० आई० आर० में बन्द करवा देता। हमारे मुख्य मंत्री गये नहीं तो उन्होंने अपना विरोध यहां से तार द्वारा भेज दिया क्योंकि किसी के मामले में आपको दखल देने की क्या जरूरत थी।

अब इन राज्य कर्मचारियों को देखिये। चूहों की तरह से मांग करते हैं। इनका नारा होता है, सुचेता कृपालानी की सरकार सचेत हो। क्या आर्य समाजी धार्मिक नारा है? अगर इस नारे को लगाने के बजाय ५ लाख कर्मचारी यदि एक दिन दो दिन, चार दिन काम न करें तब ही यह सरकार कुछ दे सकती है। यह सरकार, आन्दोलन अभिमुख है, इन नारों से मानेगी?

माननीय काशीनाथ ने कहा दाम बांधो। इसका मतलब है कि किसी भी अनाज का दाम साल भर में एक आना सेर से अधिक न बढ़े। कारखाने की कोई भी चीज ड्योढे दामों से अधिक में न बिके। चीनी ८ आने की १२ आने में बिके, कपड़ा ४ आना है तो ६ आना तक बिके। मिट्टी के तेल की गरानी से मरा कौन? किसान और जिया कौन? बरमा शैल। वह जिया और आपकी गलत नीति के कारण। मैं कर्मचारियों से कहता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी मांगों को लड़ कर लो और इस सरकार से कहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को मान ले, उसमें सिर्फ यही तो है कि रोटी, कपड़ा और मकान कर्मचारियों को दो।

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आर्थिक, सामाजिक असमानताओं में उत्पन्न और सामन्तशाही आस्थाओं में विश्वास रखने वाले हमारे माननीय मित्र कुंवर श्रीपाल सिंह के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

अपने पक्ष की पुष्टि के लिये उन्होंने जिस वाक्पटुता का परिचय दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि विधायक मुनि जिस विचाराधारा का प्रतिपादन कर रहे थे उसको अगर व्यवहारिक रूप दे दिया जाय तो उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन सकता है । उनकी बातों को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता यदि उनकी कथनी और करनी में एक रूपता होती । क्या प्रस्तावक महोदय बतायेंगे कि उनके ये विचार व्यावहारिक हैं अथवा सस्ती लोकप्रियता इसी प्रकार के साधनों से उपलब्ध की जाती है ? उसका एक माध्यम है । उन्होंने बड़ा अच्छा चित्र उपस्थित किया लेकिन उसमें कल्पना ही अधिक थी । उन्होंने इस चीज को जानने का प्रयत्न नहीं किया कि केन्द्र के साधनों और प्रदेश के साधनों में कितना अन्तर है । केन्द्र के पास अपरमित और प्रदेशीय सरकार के सीमित साधन हैं । राज्य सरकार का मंहगाई भत्ता ही क्या उसके कर्मचारियों का वेतन भी कम है जो बढ़ाया जाना चाहिये । अगर हमारे पास साधन होते तो अवश्य ही उनको पूर्ण संतोष दे सकते । नीति शास्त्र में लिखा है कि राज्य कर्मचारियों को खुश रखने पर ही राज्य चलता है । हमारी सरकार ने जब से वह सत्तारूढ़ हुई है उसने सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक दशा सुधारने का भरसक प्रयास किया है । जितने साधन उसके उपलब्ध हो सकते थे उनके अनुसार उसने वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार मंहगाई भत्ता देने का निश्चय किया है । लेकिन सवाल यह है कि कार्यरूप में चीजों को कैसे संतुलित बनाया जाय । जब कभी कर बढाने की बात आती है तो उसके खिलाफ आन्दोलन खड़े किये जाते हैं और आलोचनाओं की बाढ सी आ जाती है । बात ठीक है लेकिन साथ ही दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया जाय, उनका वेतन बढ़ाया जाय और तमाम तरह के जब व्यय बढ़ाने की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी ऐसी सरकार होगी जो अपने कर्मचारियों की दयनीय दशा से द्रवित न होती होगी और उसके प्रति उसकी सहानुभूति न होगी । लेकिन इसके लिये सरकार के पास पैसा और साधन होने चाहियें । कहने के लिये सस्ती लोकप्रियता के लिये बहुत कुछ कहा जा सकता है कि किसानों का लगान माफ कर दिया जाय, प्रदेश की जनता से कोई कर न लिया जाय लेकिन हमें दूसरी तरफ यह भी सोचना चाहिये कि इस तरह से बगैर आय के खर्च होता चले तो प्रशासन चलेगा कैसे ।

सन् ६७ से ठीक पहले इस प्रस्ताव को पेश करना ही इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रस्तावक महोदय सरकारी कर्मचारियों की यह सहानुभूति और उनसे सस्ती लोक प्रियता पाकर ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे वह समझने लगें कि वह ही उनके सबसे अधिक हितैषी हैं । बार बार दुहाई दी जाती है कि केन्द्र में यह यह सुविधायें और वेतन भत्ता दिया जाता है । लेकिन हमें देखना यह है कि यह सरकार अपनी आर्थिक नीति में स्वतंत्र है, अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने, अपने साधनों को बढ़ाने-घटाने के लिये यह सरकार केन्द्र के सुझाव सुन सकती है लेकिन केन्द्र इस सरकार को कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकता । भत्ते का इतिहास यह है कि केन्द्र ने हमें सुझाव दिया कि प्रदेशीय सरकार उनके मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार करे और कुछ बढ़ाये हमने उस पर विचार किया और हमने केन्द्र से कहा कि हमारे पास इसके लिये साधन नहीं हैं वह हमें आप दें । केन्द्र ने इस पर कहा कि हम आपको सहायता नहीं दे सकते लेकिन उन्होंने यह सुझाव दिया कि आप और तरह से साधन जुटाकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं । इस तरह से अगर हम केन्द्र की बात मान भी लें तो पैसा कहां से लायें ? इस बात पर जोर दिया जाता है कि केन्द्र के डायरेक्टिव हुआ फिर भी कुछ नहीं किया गया लेकिन हमारे लिये केवल एक सजेशन है और हम उसको स्वीकार करें या न करें इसमें हम स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं हैं । हम उसे कार्यान्वित करें या न करें वह केवल इतना सुझाव है कि कर्मचारियों को राहत पहुंचाई जाय । उनका दृष्टिकोण यह है कि मूल्य वृद्धि के साथ भत्ते में भी वृद्धि की जाय लेकिन यह प्रश्न ऐसा है कि किसीचीज के भी

[श्री बद्री प्रसाद पालीवाल]

मूल्य कभी स्थिर नहीं रहते, वे घटते-बढ़ते रहते हैं इसलिये मूल्य वृद्धि का आधार बनाना उचित नहीं होगा। इस से तो मंहगाई और बढ़ेगी और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमने अपने कर्मचारियों को राहत देने के और प्रयास किये हैं। हमने सस्ते मूल्य की दूकानें खोलने का प्रयास किया है और ६ ऐसी दुकानें खोल भी दी हैं और दूसरे प्रयास किये जा रहे हैं कि इस दिशा में क्या हो सकता है। मेरा सुझाव है कि सरकारी कर्मचारियों की समिति बना कर सहकारिता के आधार पर कम मूल्य पर चीजें बिकवाई जायं। इस से सहकारिता की भावना से कम मूल्य पर उन्हें चीजें मिल सकेंगी। इस तरह की चीजों से इस समस्या का समाधान हो सकता है। प्रस्तावक महोदय ने कुछ प्राचीन पद्धतियों का इतिहास दिया और श्लोक के साथ नीति की और धार्मिक सिद्धान्तों की बात की। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि यह ठीक है कि कर्मचारियों को संतुष्ट रखना चाहिये लेकिन यह भी धर्म नीति में ही बताया है कि राज्य का खर्चा आय से अधिक न हो और कर भार भी वहीं तक लगाया जा सकता है जहां तक जनता बरदाश्त कर सके। यह ५ लाख कर्मचारियों का मसला है जिनका वेतन कम है, उनके खर्च के लायक नहीं मिलता है लेकिन हम यदि उनकी प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों से तुलना करें तो जो लोगों के व्यक्तिगत कर्मचारी हैं या फर्म्स के कर्मचारी हैं उनसे सरकारी कर्मचारियों की अवस्था तुलनात्मक रूप से अच्छी है। क्या उनकी यह मंशा है कि इस प्रदेश की इकोनामी को समाप्त कर दिया जाय? इसका परिणाम यह होगा कि इस प्रदेश में एक और प्रिविलेज क्लास बन जायगा। ऐसी अवस्था में प्रस्तावक महोदय से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि यदि वे व्यवहारिक रूप को देख कर कोई ऐसा सुझाव दें जो व्यावहारिकता की दृष्टि से सही हो जो उसे कार्यान्वित किया जा सकता है। सस्ती लोकप्रियता की भावना से जो इस प्रकार की बातें की जाती हैं इस से न तो इस प्रदेश का ही भला होगा और न उनका भला होगा और न कोई वायुमंडल ऐसा बनेगा जिस से आगे चलकर हम प्रजातांत्रिक प्रणाली पर कोई सरकार यहां चला सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री झारखंडे राय—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा अपना निश्चित मत है कि मौजूदा सरकार और उसकी पूरी नीतियां पूंजीवादी दलदल में फंसी हुई हैं। उसमें से निकलने का कोई रास्ता सरकार को दिखलाई नहीं पड़ता और उसी का प्रतिबिम्ब सरकार की ओर से बोलने वाले जो भाई खड़े हुए थे उसमें दीख पड़ता है। पालीवाल जी के भाषण में बेबशी का रोना था। कोई कर न लिये जाय, यह हमारी ओर से किसी ने कभी नहीं कहा और न कह सकता है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में टैक्स न लगाया जाय, न लिया जाय उसकी कल्पना मार्क्स और लेनिन ने की थी, इस सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया है और उसकी कुछ जानकारी माननीय मुख्य मंत्री को भी है। लेकिन मौजूदा सरकार चाहे किसी भी देश की पूंजीवादी सरकार हो या समाजवादी सरकार सोवियत यूनियन या किसी कम्युनिस्ट देश की हो, वहां भी टैक्स है। हां, यह बात जरूर है कि समाजवादी देशों में टैक्स धीरे धीरे कम होता जाय जैसे जैसे सरकारी क्षेत्रों में आमदनी बढ़ती जाय। धीरे-धीरे वह दिन भी आयेगा जब कि टैक्स के बिना भी कम्युनिस्ट देशों का काम चल जायगा। उन देशों में आज टैक्स का प्रतिशत बहुत कम हो गया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, और हमेशा कहता हूं और आगे भी कहता जाऊंगा कि टैक्स वहीं से लिया जाय जहां पैसा है। मैं इस बात को नहीं कहता कि टैक्स लिया ही न जाय। हमारा विचार है कि इस सम्बन्ध में सरकार की बुनियादी नीति सामने आ जानी चाहिये। और जब तक उनका कोई हल न निकले तब तक इसका कोई हल होना चाहिये। इसके लिये दो ही रास्ते हैं। आज कांग्रेस सरकार सारे देश में है, किसी सूबे में भी ऐसी सरकार नहीं है जो गैर कांग्रेसी हो या किसी और दल की। केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस नीति चाहे जयपुर की हो, चाहे नागपुर की हो, चाहे आवाड़ी की हो, चाहे ए० आई० सी० सी० की हो या वर्किंग कमेटी की हो, उसी नीति पर पंडित नेहरू चलते थे, शास्त्री जी चलते थे और अब श्रीमती इन्दरा जी भी चलेंगी।

सूबे के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते की मांग करते हैं तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही कांग्रेस पार्टी की सरकार के नौकर, एक ही मंहगाई की स्थिति में समान कार्य के लिये समान वेतन क्यों न पावें यही मौलिक प्रश्न है। जब समान कार्य है तो समान वेतन भी होना चाहिये। यह अपने देश का सिद्धान्त है और कम्युनिस्ट आन्दोलन ने तथा सुधारवादी व समाजवादी आन्दोलनों ने भी इसको स्वीकार किया है कि समान वेतन हो जब कि समान कार्य हो। दूसरी बात यह कि जितनी मंहगाई बढ़े उसी हिसाब से महंगाई भत्ता मिले या उसी तारतम्य से मंहगाई न बढ़ने पाये इस पर इतना कंट्रोल हो, इतना प्रास्प हो। वरना महंगाई बढ़ेगी तो मंहगाई भत्ता देना ही पड़ेगा। जब रुपये का मूल्य १०० से १७ या १८ प्रतिशत हो गया है पैसे का मूल्य इतना गिर गया है, और आमदनी उतनी ही रहेगी, मंहगाई भत्ता भी उतना ही रहेगा तो फिर असमंजस पैदा होना अनिवार्य है। असंतोष पैदा होना अनिवार्य है। हम उसकी रहनुमाई करें या न करें या और कोई करे या न करे लेकिन स्पोन्टेनियस जो बातें होती हैं, इस देश में भी हुयी है, उन्हें हमें देखना पड़ता है। जब टैक्स बढ़ते जा रहे हैं तो मंहगाई अवश्य बढ़ेगी। मंहगाई बढ़ने का कारण केवल टैक्स का बढ़ना नहीं है लेकिन इस बात को अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसका मुख्य कारण टैक्स का बढ़ना ही है। जिस समय से कांग्रेस सरकार हमारे देश में आयी है उस समय से टैक्स ५ गुना अधिक बढ़ा है। तो बेबसी को रोना रोने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। इस सवाल को सरकार चाहे तो समाधान कर सकती है, जिनके हाथ मे सत्ता है, जिनके हाथ में कार्य करने की क्षमता है और जिनके हाथ में साधन है। मैं टैक्स बढ़ाने की बात पर आ रहा हूं। जब हमारे देश म चीनी आक्रमण हुआ था, २० अक्तूबर, १९६२ को, तो १९६३–६४ का बजट पेश हुआ, केन्द्र में। उस समय केन्द्र के वित्त मंत्री श्री मोरार जी देसाई थे, उस समय २६५ करोड़ रुपये का बजट सुरक्षा का बढ़ा था। उसके पहले कांग्रेस सरकार ने पूरे देश के पैमाने पर ५०० करोड़ रुपये का टैक्स बढ़ाया था लेकिन चूंकि वह धीरे धीरे बढ़ा था तो महंगाई भी धीर-धीरे बढ़ी थी, लेकिन १९६३–६४ में यकायक एक झटके में यह ३३ प्रतिशत बढ़ गयी थी। टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इसलिए सामंजस्य पैदा हो ही नहीं सकता है। केवल बात से और उद्देश्य की घोषणा से काम नहीं चलने वाला है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे अन्य भाई भी बोले हैं और मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी भी बोलेंगी, क्योंकि आज-कल प्रमुख विषयों पर वे खुद बोल रही हैं, यह किसी खास बात की निशानी है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

बोलूं तो मुश्किल और न बोलूं तो मुश्किल।

श्री झारखंडे राय—

हमको विश्वास था कि जहां तक साधनों की समस्या है उसके लिये कम से कम नीति के आधार पर हमको समर्थन मिलेगा। लेकिन मुझे हैरत हुयी उधर के माननीय सदस्यों को सुन कर जिन्होंने लगातार इसका विरोध किया है। अगर इस सम्बन्ध में साधनों की बात कही जाती है तो हर विषय पर कहा जा सकता है कि साधन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारे देश में एक ही पार्टी की सरकार है, केरल से लेकर कश्मीर तक, तो अगर प्रदेश में पैसे की कमी है तो इसके लिये केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये? वह देती भी है। इसलिये पूरे फ्रेमवर्क को देखते हुये क्या साधनों का उपाय नहीं हो सकता है? हमारे जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं वे अधिकतर निम्न और पिछड़े परिवारों से आते है लेकिन उनकी दशा सुधारने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है। उधर के बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो चाहते है कि उनकी मदद करें लेकिन उनके दायरे से निकल नहीं पाते हैं। भले आदमी भी बहुत हैं। श्रीमन्,

[श्री झारखंडे राय]

केवल साधन के बारे में मैं अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा। जहां तक मेरा खयाल है, लगभग २० करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार का विभिन्न पूंजीपतियों पर बकाया पड़ा है और यह बकाया अनेकों पर वर्षों से पड़ा हुआ है। एक किसान पर दो पैसा बकाया हो तो पुलिस, कुर्क अमीन और माल विभाग के कर्मचारी उसकी पीठ की चमड़ी उधेड़ देते हैं और शिकन्जे में बन्द कर देते हैं लेकिन इतने दिनों से जिन पर बकाया है उनको गिरफ्तार नहीं करती, रस्सी से नहीं बंधवाती, जेल में बन्द नहीं करती, यह भेदभाव की नीति है, यह बकाया भी एक साधन है।

हमारे पूरे देश के अन्दर जो देशी नरेश हैं, उनकी रियासतें चली गयीं लेकिन उनका ढांचा पता नहीं क्यों बना हुआ है। वह जनता के हित के विरोध में है। क्या उसे समाप्त नहीं किया जा सकता? स्वतंत्रता के बाद से १०० करोड़ रुपया उनकी जेब खर्च के लिये दिया गया है प्रति वर्ष अब भी ५ करोड़ से ऊपर पेंशन उन्हें दी जाती है। उसमें हमारे सूबे की भी तीन देशी भूतपूर्व रियासतें हैं, क्या उनको जब्त नहीं किया जा सकता, क्या वह जेब खर्च देना बन्द नहीं किया जा सकता? क्या कोई शाश्वत नियम है, ब्रह्म रेखा है कि उसे हटाया नहीं जा सकता? उसको हटाना चाहिये। इन राजाओं के पास अपार निजी सम्पत्ति है लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उसका हिसाब ब्रह्मा के बही खाते में भले ही लिखा हो लेकिन यहां देश की किसी भी बही खाते में नहीं लिखा है कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति कितनी है। कितनी है, कोई नहीं जानता। नन्दा जी ने ब्लेकमनी को निकालने का प्रयास किया तो असफल रहे। कृष्णमचारी ने कोशिश की तो लतियाये गये और बाहर निकाल दिये गये। जिसने भी काले धन पर हाथ लगाया उसका कचूमर निकल गया। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अरबों खरबों रुपया निजाम हैदराबाद से लेकर महाराजा बनारस के पास पड़ा हुआ है। यह किस दिन काम आयेगा? देश की शानदार हस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब चीनी दरिन्दों के आक्रमण नेफा और लद्दाख पर हो रहे थे इन राजा महाराजाओं से अपील की। इनसे अपील और हमसे जबरदस्ती। अपील यह की कि उनके पास जो १ अरब की विदेशी मुद्रा है उसमें से कुछ हिस्सा वह दे दें लोन के रूप में जिससे हथियार खरीदे जा सकें लेकिन इन राजा महाराजाओं ने एक डबल नहीं दिया। उस शानदार हस्तीं की झोली में ४५० में से केवल १५० ने अपने प्रिवी पर्स में ५ से १० प्रतिशत कमी की और ३०० नादेहन्द और मलेच्छ निकले और एक डबल नहीं दिया। हमारे देश में जो बैंक हैं जिनकी संख्या ३०४ है जिनमें २६ अरब रुपया जमा है उसमें साढ़े ६ अरब रुपया केवल दो परिवारों का है, टाटा और बिरला का। मैं उसको राष्ट्रीयकरण कर ७५ करोड़ आय खजाने में जमा नहीं किया जा सकता? क्या वह सुचेता कृपालानी के पर्सनल एकाउन्ट में चला जायगा अगर उसे ले लिया जाता है तो तेल, विदेशी व्यापार और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी आय और विकास तथा सुरक्षा के खर्च क्यों नहीं पूरे किये जाते? जूट मिलें ह, प्राइवेट बड़े-बड़े कारखाने हैं, कपड़े की मिलें हैं, लोहा, कोयला, चाय, सीमेन्ट आदि मुख्य उद्योग इनको बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स से सरकार ले ले तो समाजवाद की ओर देश बढ़ेगा? देश गरीब नहीं है, देश की जनता गरीब है, देश की पूरी दौलत का एक-तिहाई देश के २० परिवारों के पास जमा हो गया है। वही केन्द्रीय सरकार और देश की अर्थ व्यवस्था पर हावी हैं। प्रदेश की सरकार पर २ प्रतिशत देहात के पुराने सामन्त और शहर के पूंजीपति हावी हैं। यह समाजवाद नहीं है, यह लोक कल्याणकारी राज्य भी नहीं है। दुख इस बात का है। हमारे यहां जो राष्ट्रीय धन पैदा हो रहा है उसका ७० परसेंट इन बड़े पूंजीपतियों के पास जा रहा है और केवल ३० परसेंट सारी जनता के पास जा रहा है। इसलिये, मान्यवर, पूंजी का एकत्रीकरण हो रहा है और समाजवाद के नाम पर हमारे यहां पूंजीवाद एकाधिकार पूंजीवाद, सुपरमानोपली बढ़ रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप समाजवाद कायम नहीं कर सकते हैं। नासिर मिस्र के अध्यक्ष घाना, गिनी, अल्जीरिया, बर्मा और हिन्देशिया की तरह से साहसपूर्ण कदम जब आप उठायेंगे तभी यह काम पूरा हो सकता है। समाजवाद की ओर देश, प्रदेश बढ़ेगा। साधनों की विकट समस्या का बिना टैक्स बढ़ाये समाधान मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अधिष्ठाता जी, आज काफी देर से इस विषय पर माननीय सदस्यगण बहस कर रहे थे। म उनकी बड़ी कृतज्ञ हूं। बहुत से मेम्बरान ने जो अपने भाषण दिये हैं वे अपनी इंफारमेशन के बेसिस पर दिये गये हैं। उनके भाषणों में आंकड़े थे और सूझबूझ भी काफी थी। ऐसे तो कोई भी चाहेगा जिसकी कम तनख्वाह है, खास तौर से अल्प आय वाले, उनकी मांग होनी चाहिये कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये। जरूर बढ़ना चाहिये। जेनरोसिटी की बात करना बहुत अच्छा है। हमें भी आज अच्छा लगता है और हम भी चाहते हैं कि इनके लिये कुछ हो लेकिन हमारे सामने सवाल यही आता है कि कैसे किया जाये। इससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत खुशी हुई होती। इससे ज्यादा हमें और कोई खुशी नहीं हो सकती थी यदि हम आज कह सकते कि हम हर एक को ५०/५० रुपये या १००/१०० रुपये महंगाई भत्ता दे सकेंगे। मुझे भी इससे बड़ी खुशी होती।

आजकल महंगाई का जमाना है और उनकी मांग महंगाई भत्ते बढ़ाने की ऐसी है कि उसे नाजायज नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ता है कि साधन कैसे जुटायें और कैसे कोई चीज बनायें जिससे ऐसा न हो कि किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो जावे और किसी को नुकसान हो जाय। इधर से भी और उधर से भी लोगों ने बहुत समझ बूझ की बातें कही हैं। माननीय काशीनाथ जी ने बुनियादी बात कही है, उससे मैं सहमत हूं। डिसपैरिटी कम होनी चाहिये। यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारे देश में यह चीज हल हो जाये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रिवोल्यूशनरी तरीके से यहां पर परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे रूस में परिवर्तन हुआ था। इस ढंग से यहां परिवर्तन नहीं आ रहा है। धीरे-धीरे आ रहा है मगर काफी परिवर्तन आया है। इस प्रोसेस में रहते हुये कैसे इन्साफ का रास्ता लें, यही हमारा प्रयास है। मैं इकोनोमिस्ट्स की बातों में जाना नहीं चाहती हूं। माननीय झारखंडे राय जी ने बहुत सी बातें कहीं। उनमें से कुछ से मैं सहमत हूं और कुछ से असहमत हूं। हमारे सामने जो इश्यू है, उसके सम्बन्ध में दो-चार बातें कहना चाहती हूं।

आज महंगाई भत्ते के जो कारण दिये गये हैं, उनमें से दो तीन मुख्य कारण हैं। एक यह कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़े तो उसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता देना चाहिये क्योंकि महंगाई दोनों के लिये एक है। सही बात है और बुनियादी ढंग से इस उसूल का कोई विरोध नहीं कर सकता है। हम इसकी मांग भी करते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसको देखें, उसके व्यावहारिक रूप को देखें तो मालूम होगा कि यह भी नहीं माना गया है कि केन्द्रीय सरकार के मुलाजिमों को महंगाई भत्ता दिया जाय तो उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी लिंक हुआ हो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों की आमदनी में बहुत बड़ा अन्तर है हम चाहते हैं और आपको भी मालूम होगा कि पिछली दफा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिमों का महंगाई भत्ता बढ़ रहा था तो मैं वहां गई और मैंने वहां जाकर विरोध किया और कहा कि अगर इनका महंगाई भत्ता बढ़ता है तो हमारे मुलाजिमों का भी बढ़ना चाहिये और केन्द्रीय सरकार यह दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है कि अपने मुलाजिमों का बढ़ा दे और सारे भारतवर्ष के राज्यों के कर्मचारियों की तरफ से आंखें मूंद ले। इस दफे भी जब हुआ तब हमारी तरफ से भी और कई चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से कहा गया कि आपको इंटिग्रेटेड आउटलुक लेना चाहिये, सबकी तरफ देखना चाहिये, आप करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की आपको मदद करनी चाहिये ताकि सबको हम भी दें मगर वहां

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने खुद मंजूर किया कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिये। हम पहले ही से कमिटेड हैं, उन्होंने कहा इसलिये इस समय दे रहे हैं और आगे जब देंगे तब गौर करेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने २ तारीख को एलान किया कि हम देते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिये आबलिगेटरी नहीं है। अगर उनके पास साधन हो तो वह दें अगर न हो तो न दें। हमारे पास साधन नहीं हैं तो हम लावें कहां से? यह असली सवाल है।

दूसरा सवाल है सेन्टर का डी० ए० और स्टेट का डी० ए० लिंक्ड है या नहीं। होना चाहिये, लेकिन आज तक व्यावहारिक दृष्टि से कभी लिंक नहीं किया गया। जब उनके पास साधन हुये उन्होंने दिया और जब हमारे पास साधन हुये हमने दिया। यह तरीका ठीक नहीं है। कोई रास्ता निकल सकता था लेकिन इस समय रास्ता नहीं है। उनकी तरफ से कतई इन्कार हो गया है।

तीसरा सवाल है मंहगाई कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स से लिंक हो। वह अपने ढंग पर होना चाहिये लेकिन उसके लिये कोई अन्तिम फैसला अभी नहीं हुआ। अब जो फैसला किया है सेन्टर ने वह यही है कि भविष्य में वह इसको ऐडहाक तरीके से करेंगे। इसलिये वह चीज भी खत्म हो चुकी।

अब एक बात की तरफ कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया। जैसे-जैसे तनख्वाह बढ़ती है वैसे ही महंगाई बढ़ जाती है। मैं दिल्ली में ४ साल पहले थी। तब जिस दिन सेन्टर का डिवलेरेशन हुआ उसी दिन बाहर का भाव बढ़ गया और हमारे घर के ड्राइवर ने आकर कहा माता जी, भाव तो बढ़ गये। तो यह एक विशस सर्किल सा बन जाता है। इन्फलेशनरी टेंडेंसी जिस मुल्क में है और जिस मुल्क में डेवलपमेंट ऐक्टीविटीज हो रही हैं और जहां हम बाहर से पैसा लेकर कार्यों में डालते चले जा रहे हैं वहां इन्फलेशन होगा उसको रोकना मुश्किल है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वह नहीं रुक रहा है और इस डेवलपमेंट के काल में उसको रोकना मुश्किल है। तो इसलिये हमने सोचा कि बजाय इसके कि महंगाई भत्ता बढ़ाकर हम उनको फायदा पहुंचावें, कोई दूसरा रास्ता निकालें जिससे सारे मुल्क को फायदा पहुंचे पे-रेशनलाइजेशन कमेटी ने भी इस बात की प्रशंसा की और माना कि तनख्वाह बढ़ाने के बजाय अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो जिसमें उनको उचित भाव पर सामान मिल जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। आज हमारे सामने २ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये बढ़ाने की समस्या नहीं है, हमारे सामने समस्या है कि भाव को कैसे रोकें। क्योंकि भाव बढ़ने से सारे देश में सारे प्रदेश पर तबाही आती है। प्रदेश की आठ करोड़ जनता है, सरकारी मुलाजिम तो सिर्फ ५ लाख हैं। तो हमें सिर्फ ५ लाख को नहीं देखना है, हमें ८ करोड़ को देखना है जिसके वे भी अंग हैं और उनका भला इसी में है कि भाव कैसे रुके। भाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उसमें अब तक नाकामयाबी हुई है, इसको मैं स्वीकार करती हूं और उसके लिये बहुत से कारण हैं तो हमने सोचा कि मुलाजिमों को अगर हम २, ४, ६, १० रुपया बढ़ा देते हैं लेकिन अगर भाव बाजार में बढ़ गये तो उससे क्या फायदा होगा। इसलिये हमने उनको ठीक भाव से चीजें देने का प्रयास किया और उसको और भी आगे बढ़ाने का विचार करेंगे ताकि उनकी जरूरत का सामान सारा ठीक भाव से मिले। दूसरी फैसिलिटीज हमने देने की कोशिश की हैं। लड़कियों की सारी शिक्षा मुफ्त है। लड़कों की शिक्षा सिक्स्थ क्लास तक फ्री है। गवर्नमेंट सरवेन्ट्स के लिये ऊंचे क्लास तक है। गवर्नमेंट सरवेंट्स के लिये अगर गवर्नमेंट शिक्षा संस्थाओं में बच्चे पढ़ें तो उनके लिये यहां तक है कि वे डिग्री क्लासेज तक फ्री पढ़ सकते हैं। ऐसी फैसिलिटीज दी गयी हैं ताकि उनका खर्चा घटे और फिर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी घटे। उनकी मदद जरूर पहुंचायी जानी चाहिये और वह उनको पहुंचायी जायगी। कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स का तरीका यह है कि साल भर में इतना प्वाइंट बढ़ जाय तो बढ़ा दो, यही लेबर का हर जगह का तरीका है। अब हमारे जो

मुलाजिम हैं, उनके लिये पे-राशनलाइजेशन कमेटी न कुछ सिफारिश की है। उनमें उन्होंने जून, १९६५ का कास्ट आफ लीविंग इन्डेक्स मान कर अपना निर्णय दिया है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी साल पूरा नहीं हुआ है, वह जाकर जून में पूरा साल होगा। अगर कास्ट आफ लीविंग के इंडेक्स को जोड़कर सारी चीजों को देखें तो उससे सब को फायदा नहीं होगा। उसमें कुछ डिस्पैरिटी बढ़ जाती है और जितना फायदा हम उनको पहुंचाना चाहते हैं उतना नहीं पहुंचता। पिछले साल के मुकाबले में अगर इस साल के अब के इन्डेक्स को आप देखें तो इंन्डेक्स घटने की तरफ है। सितम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६ तक अगर देखा जाय तो उसमें प्वाइन्ट २० की कमी हुई है। वह ७.२२ हो गया है। इस वजह से यह आरगुमेंट देना कि उनका डी० ए० बढ़ाया जाय तो इसमें आपका आरगुमेंट कमजोर है। गेहूं की प्राइस को आप जानते हैं कि इन दिनों बाजार में उसकी कीमत घटी है। अगस्त, १९६५ में ८४.३३ रुपये था अब उसका दाम ७५.६१ रुपये हो गया है। इसी तरह से जवार, बाजरा और चावल का दाम भी गिरा है। इन सब चीजों की टेंडेन्सी घटने की तरफ हुई है। इस वजह से इस समय डी० ए० देने के लिये कोई आरगुमेंट बनता नहीं है।

अब दूसरी बात यह है कि पे राशनलाइजेशन कमेटी ने जो सिफारिश की और डी० ए० का सवाल भी उसने तय करके दिया उसको हम पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं कर सके। मुझे इस बात का खेद है कि अभी तक हम उसको इम्पलीमेंट नहीं कर पाये। वह अब तक इम्पलीमेंट हो जाना चाहिये था। हम लोग चाहते हैं कि वह जल्दी हो जाय। यहां पर असेम्बली का भी काम रहता है और दूसरा भी कुछ जरूरी काम रहता है। मगर फिर भी हम बैठ कर उस काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। बाकी वक्त में बैठ कर हम उसको देख रहे हैं और उसको जल्दी ही इम्पलीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम बैठें, कल भी बैठे थे। रोजाना हम बैठ कर उसको खत्म करना चाहते हैं। कुछ जी० ओ० निकल गये होंगे और कुछ जल्दी ही २, ४ दिन में हम निकालना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि २, ४ दिन के अन्दर सब निकल जायंगे। हम चाहते हैं कि २, २ घंटे बैठ कर उसको फाइनलाइज कर लें और जल्दी इसको समाप्त कर दें। जब यह सब फाइनलाइज हो जायगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारे यहां जो ग्रेड हैं वह बहुत सी स्टेट से अच्छे हैं। जो उनको डी० ए० इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार दिया गया है वह जून, १९६५ के इंडेक्स के आधार पर दिया गया है। तब से अब प्राइस गिरने की तरफ हैं तो इस वजह से इस समय डी० ए० देने का सवाल उठता नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर कुछ भी सहायता उनकी इस समय की जा सकती।

एक दूसरी बात यह भी है जिसकी तरफ सब लोगों ने ध्यान दिलाया कि जिसको दिया जाय यह केवल एक जमात ही नहीं है। यह तो बहुत छोटी जमात है। इसके अलावा और भी दूसरे लोग हैं जिनको देखना है। एक यह सवाल भी उठता है दूसरी तरफ कि कहां से पैसा लाया जाय। जो हालत है उसको आप देखें। हम लोगों ने पे कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की और कुछ फैसले किये तो उसका कितना बोझा आकर पड़ता है यह भी देखने की बात है। ५ साल में इसका बर्डन ११७.५ करोड़ रुपया आकर पड़ता है। ८५ करोड़ तो सरकारी कर्मचारियों के लिये और ३२ करोड़ स्कूल के टीचरों के लिये भार पड़ेगा। इस ५ साल में हमको अपने यहां से ११७.५ करोड़ रुपया कुल देना पड़ेगा। अब यह हमारा एक्सपेंडीचर ज्यादातर फाइनेंस कमीशन से वैल्यू होकर आता है। फाइनेंस कमीशन ने ११७ करोड़ हमको नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम केवल आपको ८३ करोड़ रुपया देंगे। जब उन्होंने हमको ८३ करोड़ देना मंजूर किया तो उसमें ३३, ३४ करोड़ रुपये की घटी पड़ती है। यह हमको अब सोचना है कि कहां से इस घटी को पूरा किया जाय। आप लोगों ने देखा कि इस साल हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। मुझे किसी टैक्स को लगाने में बड़ा दुख होता है क्योंकि आज आम आदमी गरीब है। आज बहुत महंगाई से लोग परेशान हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि कम से कम टैक्स लगायें। शुरू में हमने इसको कुछ कम किया था और

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

घटाया था लेकिन मजबूरन पिछले साल हमको फिर टैक्स लगाना पड़ा। हम कम से कम टैक्स लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने यहां जो भी काम करें उसमें उनके साथ फैयर डीलिंग करे। सोचते हैं कि किस प्रकार से दोनों में सामन्जस्य बैठायें। इस सामन्जस्य बैठाने में कहीं पर दबाना पड़ता है। हमने अपने मुलाजिमों के लिये बहुत कुछ रकम निकाली है। पिछले साल हमने डी० ए० के लिये १३ करोड़ रुपया दिया था। फिर पे कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिये इतनी बड़ी रकम निकालनी पड़ रही है। इतनी बड़ी रकम को कहां से पूरा करेंगे अभी यह कुछ पता नहीं है। मैं अपने मित्रों और अपने सरकारी मुलाजिमों से यह आग्रह करना चाहती हूं कि क्योंकि केन्द्रीय सरकार में बढ़ गया है तो यहां भी बढ़ना चाहिये ऐसा होना बड़ा कठिन है। केन्द्रीय सरकार बहुत आलीशान सरकार है। उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। वे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं। और यह हाउस केन्द्रीय सरकार का हाउस नहीं है। यह बड़ा कंजूस हाउस है। वह हाउस तो बड़ा जनरल है। खूब टैक्स लगाता और खूब पैसा देता भी है, लेकिन यहां तो आप एक-एक पाई का हिसाब लेते हो। तो हम पैसा भी न लें और बढाते भी चले जायं यह संभव नहीं है। हम जल्दी ही पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को अमल में लाने जा रहे हैं। एक दो दिन में जो दो चार प्वाइन्टस बाकी रह गये हैं उनको भी फाइनल कर देंगे। और मैं समझती हूं कि उनकी हालत इससे काफी अच्छी हो जायगी। आप दूसरी स्टेट्स से कंपेयर कर लें, अगर उसके बाद भी उनको कोई तकलीफ हो तो हम उसे फिर देखने के लिये तैयार हैं।

मैं काशीनाथ जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमको सारे देश की तरफ देख कर चलना चाहिये। हमको देखना चाहिये कि हम एक किसान को उसका उचित पैसा दे सकते हैं या नहीं। कानून तो उनके लिये बना है लेकिन वह उनको मिलता कहां है। लेकिन एक ही सबके की आमदनी हम बढ़ाते चले जायं यह न्यायोचित न होगा। अगर हम बेदर्द हों तो बात दूसरी है, लेकिन वह स्थिति है नहीं। मैं ज्यादा आंकड़े इस समय दे नहीं सकती, मुझे ज्यादा समय नहीं है, लेकिन पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है कि १९४७ से आज तक किस प्रकार उनको थोड़ी-थोड़ी बढ़ोत्तरी मिलती रही है। उसमें यह सारे आंकड़े दिये गये हैं। इस प्रकार हर साल या हर दूसरे साल उनको कुछ न कुछ मिलता रहा है। हम उनकी नीड्स से बिलकुल इंपरवियस नहीं है। पिछले साल ही हमने १३ करोड़ के करीब उनके लिये निकाला है और इस साल हम लोग इतनी बड़ी रकम उनको दे रहे हैं। इसे हम निकालेंगे, अभी निकाल नहीं पाये हैं, लेकिन हमने इसे कमिट कर लिया है। अगर प्लानिंग कमीशन दे देता तो बहुत अच्छा होता। पिछले साल के मुकाबले में काफी लड़ने के बाद प्लानिंग कमीशन से इस बार यू० पी० को कुछ फेयर डील मिला है, लेकिन पूरी तरह से जैसी फेयर डीलिंग होनी चाहिये वह हमारे साथ नहीं हो पायी है। हमारी उसके सामने यह मांग है कि हम को पापुलेशन बेसिस पर मिलना चाहिये। अगर यह मांग मान ली जाय तो हमारे साथ फेयर डीलिंग होगी और हमारा काम आसानी से चल जायगा। लेकिन जब उनसे नहीं मिलता तो हमको बीच का कोई एक व्यवहारिक रास्ता निकालना होगा और उसके अनुसार अपने मुलाजिमों को ज्यादा से ज्यादा सहायता हमको करनी होगी। हम उसका प्रयास कर रहे हैं। हमने उसका प्रयास नहीं किया यह कहना उचित न होगा। इसके बाद भी अगर हम देखेंगे कि उनकी परिस्थिति खराब है तो हम जरूर उनकी बात सुनेंगे, और उनकी बात को हम समझने को तैयार हैं। कोई भी गवर्नमेन्ट नहीं चाहेगी कि उसके मुलाजिम रोज डिमांस्ट्रेशन करें, एतराज और झगड़ा करते रहें। हर सरकार चाहेगी कि उसके कर्मचारी सुखी हों, उनमें संतोष रहे क्योंकि ऐसा होने से ही उनके हाथ से अच्छा काम निकलेगा और हम इसलिये उनकी कंडीशन अच्छी ही करना चाहेंगे। बहुत सी चीजें आप लोगों ने कहीं हैं। मैं उन सब का जबाब नहीं दे सकती, उतना समय नहीं है। यह कहा गया कि हमारे बहुत से मिल मालिक हैं उनसे एरियर नहीं वसूल किया गया। हर साल ८, ७, या ६ करोड़

रुपया एरियर का वसूल किया जाता है। बहुत सी जगह ऐसी कंडीशन पैदा हो गयी है कि हमको मिलों को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है और उनका कर्जा पाट कर उनको चलाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हमने किसी को छोड़ा नहीं है। वह मिल मालिक भी हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं कि उनके लिये हमारे पास कोई हमदर्दी नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा एरियर वसूल करना चाहती हूं और हमारी सरकार उसके लिये प्रयास कर रही है।

उग्रसेन जी ने बहुत सी बातें उग्र रूप से कहीं। वे इतनी तेजी से बोले कि काफी बातें मेरी समझ में नहीं आयीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लेबर के लिये मकान नहीं बनाये। मैं यह कहना चाहती हूं कि २७,००० मकान लेबर के लिये बनाये गये हैं। मेरा खयाल है कि बहुत थोड़े स्टेट्स में लेबर के लिये इतने मकान बने होंगे। और भी पैसा होता तो बना लेते। जितना पैसा है वह पाई पाई लगा दिया। एक करोड़ अगर बना सकते तो हम खुश होंगे। हम तो हर तरीके की फैसिलिटी देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जब गवर्नमेन्ट के मुलाजिम सुखी होंगे तभी गवर्नमेन्ट चल सकती है। अगर हमें हमदर्दी न होती तो पिछले साल इतनी बड़ी रकम हम कैसे निकालते? वह हमारे बस की नहीं है। हम इस परेशानी में हैं कि बिना कर्ज लिये हम उसको कैसे पूरा करेंगे। बचत करके, काट छांट करके फिर भी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। भरसक यह गवर्नमेन्ट प्रयास कर रही है और खासकर जो लो पेड मुलाजिम हैं उनको राहत पहुंचाने के लिये जो भी व्यवस्था हो सकती है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। २-४ रुपये बढाने से कुछ नहीं होगा, हां उसके बजाय अगर एजूकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैलिलिटी, यूटिलिटी गुड्स की फैसिलिटी दें तो हम ज्यादा मदद पहुंचा सकते हैं। इसलिये मैं आपका जो प्रस्ताव है उसका विरोध करती हूं।

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आदरणीय सदन के समक्ष बड़ी विद्वतापूर्ण भाषा में अपने विचारों को व्यक्त किया है, इसमें शक नहीं है। सब से पहली बात तो यह है किसी भी मुख्य मंत्री के लिये कि विरोधी पक्ष की ओर से यदि कोई सुझाव आये हों और वह सही हों तो उनकी कद्र की जाय। जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री ने अपने बिचारों से व्यक्त किया कि काशीनाथ जी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का उन्होंने स्वागत किया। आज इस प्रदेश के अन्दर वर्तमान संकल्प साढे पांच लाख यहां के कर्मचारियों से, उनके जीवन से उनकी भावना व भविष्य से संबंध रखता है। यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उधर के बैठने वाले सदस्यों ने इस संकल्प के महत्व को काफी समझा, लेकिन उनके सामने विशेष कठिनाई यह थी कि इसको स्वीकार करने से इस प्रदेश पर भार पड़ जायगा। माननीय राय साहब ने भी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव इस सरकार को दिये कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा यह रुपया आसानी से वसूल किया जा सकता है और कर्मचारियों को राहत पहुंचाई जा सकती है। यह सही है कि जिस इमारत की नींव कमजोर हो तो ऐसी इमारत ज्यादा दिन नहीं रह सकती। इस सरकार का भार ये साढे पांच लाख कर्मचारी अपने कंधों पर ले सकते हैं। लेकिन जब उनके घर में खाना नहीं, रहने के लिये स्थान नहीं, बच्चों की बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, उनको खाना नहीं दे सकते तो कौन सा ऐसा बदनसीब बाप होगा जो इस सरकार की सेवाओं को सही ढंग पर पूरा करे न जो कि उसका कर्त्तव्य है?

यह बात भी सही है कि माननीय मंत्रिगण इस प्रदेश के बहुत खुशहाल हैं, आराम से उनकी जिन्दगी कटती है और अगर सही रुप में देखा जाय तो उधर के बहुत से माननीय सदस्यों की भी हम दर्दी इस साढे पांच लाख मानव समाज के लिये इसलिये नहीं है क्योंकि उनकी माली हालत बहुत ही अच्छी है। यह सही है कि मुगल बादशाहत में जिस तरह के ऐशो आराम आ करते थे, जिस तरह से उनकी दिन-चर्या चलती थी, आज बहुत से माननीय मंत्री जी उसी

[श्री लखपतराम शर्मा]

रास्ते पर जा रहे हैं। उनको गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, उनको तकलीफों का कोई अहसास नहीं। वह नहीं जानते कि साढे पांच लाख इंसान मंहगाई के कारण कितने ज्यादा दुखी हैं। मैं यह कहने के लिये और मानने के लिये तैयार हूं कि अगर वर्तमान सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढा दे और उनको इतना मंहगाई भत्ता दे ताकि वह अपनी जरुरतों को पूरी कर सकें तो सरकारी कर्मचारी उसको खुशी से स्वीकार कर लेंगे। आज महंगाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि ३० रुपया भी बढाया जाय तो भी उनका काम चलने वाला नहीं है। आज इसलिये जरुरत इस बात की है कि आवश्यकता हो तो डी० आई० आर० को भी सरकार इस्तेमाल करे और इस प्रदेश की मंहगाई को रोके। श्रीमन्, जो मनुष्य की तकलीफ को समझता नहीं, जिसने गरीबी कभी देखी न हो, वह इन्सान तकलीफों को कैसे समझ सकता है। पूज्य महात्मा गांधी के चिन्हों पर अगर यह कांग्रेस की सरकार चलती, हरिजनों की बस्ती में कभी रहती, उनकी तकलीफों को देखती तो इसे कुछ करीबों की तकलीफों का अहसास होता। तभी उसको मालूम होता कि प्रदेश का मजदूर आज किस हालत में है।

श्रीमन्, मैं यहीं दारुलसफा के एक कर्मचारी की हालत बताता हूं। उसकी पत्नी से मेरी बात हुई। उसका पति टी० बी० का मरीज है और आखिरी स्टेज पर है, फिर भी वह नौकरी पर आ रहा है। टी० बी० के आखिरी स्टेज पर पहुंचने पर भी वह कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि तू अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? उसने कहा हास्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता, कहा जाता है वहां जगह खाली नहीं है। मैंने कहा छुट्टी क्यों नहीं ले लेता? उसने कहा छुट्टी ले लूं तो तनख्वाह कट जायेगी। बच्चे भूखे रहेंगे। तो आज जिस कर्मचारी की यह हालत हो, जिसको इलाज की सुविधा भी न हो, अस्पताल में जो भर्ती न हो सके, अगर छुट्टी ले ले तो उसके बच्चों को खाना नसीब न हो तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रदेश के कर्मचारियों की क्या हालत है। बलरामपुर अस्पताल में उसके लिये कई बार कोशिश की, यही कहा गया टी० बी वार्ड में कोई जगह नहीं है। तो इस सरकार का समाजवाद कुछ पूंजीपति लोगों के लिये है। कानून सिर्फ गरीबों के लिये हैं, बड़े-बड़े लोगों के लिये नहीं है।

यह सरकार श्रीमन्, कहती है पैसा कहां से लायें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह सरकार ३२ करोड़ रुपये को जो मिल मालिकों पर बकाया है; वसूल कर ले तो उससे यह सारी समस्या हल हो सकती है। मैं पूछता हूं इस सरकार ने उन मिल मालिकों से जिन्होंने बकाया अदा नहीं किया है कितनों को डी० आई० आर० में बन्द किया, कितनों के खिलाफ कुर्की निकलवाई, कितनों के खिलाफ मुकदमा चलाया। मैं समझता हूं एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपने यह सब किया हो।

श्रीमन्, मैं एक मजदूर का किस्सा बताता हूं। दो माह पहले मेरी एक मजदूर से बात हुई। उसने एक दिन दो रुपया पैदा किया। उसकी औरत उस दिन चक्की पर आटा पिसाने गयी।, आटा पिसा कर उसने कहा आधा आटा यही रख लो, उसको वह कल ले लेगी। चक्की वाले ने कहा इसकी कौन हिफाजत करेगा, तुम क्यों इसको रखना चाहती हो। उसने कहा कि अगर मैं यह आटा सब घर ले जाऊंगी तो हो सकता है बच्चे सब खा जायें, और मुझे कल अगर कहीं मजदूरी नहीं मिली तो कल मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तो यह हालत है आज प्रदेश की। जो मां अपने बच्चों को पेट भर के अन्न नहीं खिला सकती, उस प्रदेश की क्या हालत होगी। अगर यह सरकार किसी को खाना नहीं दे सकती, रहने को मकान नहीं दे सकती, पहनने को कपड़ा नहीं दे सकती, तो श्रीमन्, इस सरकार को रहने का क्या हक है। इन सब बातों को कहते हुए मुझे एक किस्सा याद आता है उस बादशाह का जिसके जमाने में उसकी सल्तनत के दूर हिस्से में एक काफिला जा रहा था और उस काफिले को चोर और डाकुओं ने लूट लिया। उस काफिले में एक बुढिया भी जा रही थी। उस बुढ़िया ने बादशाह के दरबार में फरियाद की कि तेरे सल्तनत में इस तरह की बदइन्तजामी है। बादशाह

ने कहा कि मैं इतनी दूरी पर कैसे इन्तजाम कर सकता हूं। उस पर बुढ़िया ने कहा कि लानत है तुझ पर जो उस काफिले की हिफाजत नहीं कर सकता। तो तुझे वहां तक हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। बादशाह ने उस बुढ़िया के आगे सिर झुका दिया और कहा कि बाकई मुझे हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। बादशाह ने उस काफिले को, जिसे लूट लिया गया था, उससे भी ज्यादा धन अपनी ओर से दे दिया। आराम आप भी पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन आराम पहुंचाने के लिये आपको चापलूसों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और आपको ताज्जुब होगा यहां पर विधान सभा के अन्दर में भी जब आया था तो यहां आने के बाद देखा कि हर माननीय सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी के पास आकर देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, शपथ लेते हैं। उस शपथ के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों की आत्मा यह कहती है कि आज के युग के अन्दर कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता न दिया जाय। लेकिन इसलिये कि वे जानते हैं कि अगर सही बात कही जायेगी तो जी हुजूरी न करने पर कांग्रेस शासन की तलवार चल जायेगी।

लेकिन मैं अपने दोस्तों को बतलाना चाहता हूं कि भूलों को रास्ता बताना इन्सान का फर्ज है। अगर आप वह फर्ज अदा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यह मैं मानता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर चन्द्रभानु गुप्ता के जमाने में, अगर उनकी बात आप सुनें, तो मंत्रियों को इस तरह जकड़ लिया गया है कि अगर प्रदेश का कोई मंत्री सही काम करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। तो इस तरह से आज प्रदेश की हालत बदतर होती जा रही है। आज प्रदेश के अन्दर एक नहीं कई मुख्य मंत्री बने हुए हैं। यदि मुख्य मंत्री सुधार करना भी चाहें तो वह नहीं कर सकती। भूखों को रोटी नहीं दे सकती। जरुरत मन्द आदमी को भी रोटी नहीं दे सकती। उनकी आड़ में दूसरे आदमी हुकूमत कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि आपका शासन आपकी छत्रछाया में काफी दिनों तक प्रदेश पर रहा है। एक और सवाल रह गया। यहां कहा गया है कि सिर्फ चुनाव के लिये ही कर्मचारियों की मांगों को रक्खा जा रहा है जो आदमी इतने बड़े अपराध कर सकता है जनतन्त्र के साथ, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है आदरणीय सदन में कि यह चुनाव के लिये किया जा रहा है...

श्री अधिष्ठाता—

श्री लखपत राम जी, विषय पर बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

इसलिये मैं कहता हूं कि इन्सान की जिन्दगी से खेलना है अगर इन्सान की भूख की आवाज इस सदन में पहुंचाना इस सरकार में पहुंचाना यह समझ लिया जाय कि यह चुनाव का प्रचार है तो जो आदमी चुनाव की आड़ लेकर इस तरह का विवाद खड़ा करके साढे पांच लाख कर्मचारियों के लिये यह कर सकता है तो उसके ऊपर आप डी० आई० आर० चलाइये। हम लोग आपके साथ हैं। श्रीमन्, इन्सान की आवाज आप तक पहुंचाने को और जनता के मौलिक अधिकारों की बात करने को चुनाव का प्रचार कहा जाय तो मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र के ऊपर हमला करना है। आप जानते हैं कि इस देश की हालत क्या है। यहां मंहगाई का बोलबाला है। यहां श्रीमन्, किस कदर बेकारी है। अगर सुबह खाना मिलता है तो शाम को वह खाने के लिये तरसता है, ऐसी हालत है। प्रदेश के कर्मचारियों के लिये कहा गया तो उत्तर मिलता है कि हम साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। आज प्रदेश की हालत यह है कि वह महंगाई की ज्वाला में जल रहा है। मैं दावे के साथ करता हूं कि बहुत से कांग्रेस के भाईयों ने अपोजीशन की लाबी में कहा कि हम चाहते हैं कि तनख्वाह बढ़े, पर हम कह नहीं सकते। जिनकी आत्मा इतनी कमजोर है कि लाबी में हमसे कहें कि तुम कहो और हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन खुल कर यहां नहीं कह सकते, वे जनता का क्या भला करेंगे? चुनाव से ऐसे ही लोग डरते हैं। इतिहास साक्षी है कि पहले अपोजीशन में कितने लोग थे और १९६२ के

[श्री लखपतराम शर्मा

चुनाव के बाद कितने हो गये। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और अगर सरकार उसके कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं कर सकती है तो यह इस्तीफा दें और चुनाव करा के देखें।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से, उग्रसेन जी की तरफ से आना चाहिये था, यह कहते हुए उन्होंने बड़े टूटे दिल से यह प्रस्ताव रखा। श्रीमन् हमारा दिल तो यही सुनकर समाप्त हो गया था। उनका प्रस्ताव पर विश्वास नहीं था लेकिन सिर्फ सरकार की आलोचना के लिये उसे रखा है। प्रस्तावक महोदय ने बहुत ईमानदारी से यह प्रस्ताव रखा है। उनकी अन्तरआत्मा की आवाज यह थी कि जिस संस्कार और परिस्थिति में वह पले हैं और जो रक्त उनकी नाड़ियों में प्रवाहित है उससे और इस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है। इसमें यह है कि वेतन बढायें जावें, गरीबों और कमजोरों की सहायता की जाय और छोटे कर्मचारियों का वेतन बढाया जाय, लेकिन प्रस्तावक महोदय से और इसकी मंशा से जमीन आसमान का अन्तर है। इसलिये इस प्रस्ताव का आधार बिलकुल निराधार है। इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे उन्होंने टूटे दिल से प्रस्ताव रखा वैसे ही १० लाइन बोलकर बैठ भी गये।

हमारे सबसे बड़े कलाकार उग्रसेन जी, ने अपना सारा भाषण रामायण पर आधारित कर दिया। उनके भाषण से हमको एक पौराणिक कथा याद आ गई। नारद कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक लालची सेठ दूकानदार से मुलाकात हुई। सेठ जी ने कहा कि हमारा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, कोई तरकीब बताओ। नारद जी बड़े अन्तर्यामी थे और उन्होंने समझ लिया कि यह बड़ा लालची है उन्होंने कहा कि हम तुमको एक शंख देते हैं और जब तुम आसनी-वासनी बिछाकर पूजा करने बैठो तो उससे कहना कि हमको दो और जितना तुम मांगोगे उससे दुगुना वह देगा। उसका नाम ढपोरसन था। वह पूजा करने के लिये बैठा और हाथ जोड़कर कहा कि शंख देवता, हमको १०० रुपये दो। उसने कहा कि १०० क्या २०० लो। फिर सेठ जी ने कहा कि २०० दो, तो उसने कहा कि ४०० लो। इसके बाद सेठ जी ने कहा कि ४०० दो तो शंख देवता ने कहा कि ८०० लो। तो यह ढपोरसंख जैसी गैर जिम्मेदारी बात हमारे उग्रसेन जी कर रहे थे। उनको हिसाब तो कुछ लगाना है नहीं और चाहे जो कुछ कह डाला। सरकार की जिम्मेदारी वह नहीं जानते हैं कि कितनी कठिनाइयां उसके सामने पड़ती हैं — श्रीमन्, यह बात सर्व सिद्ध है कि जो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार होगी, वह इस बात का सदैव ध्यान रखेगी कि उसके कर्मचारी संतुष्ट रहें, जनता को कोई परेशानी न हो। इस प्रकार जनता की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों की तकलीफों को दूर करते हुए जब सरकार का बजट समाप्त हो जाता है, तब यह ढपोरसंख बोलता है। जिसका कोई खास मतलब नहीं होता। जो केवल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जो कर्मचारी थोड़ी दूर की बात सोचते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अर्थ व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं कि नियोजन काल में किस प्रकार से मुद्रा स्फीति होती है और सरकार के लिये कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं, वे इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वे समझते हैं कि सरकार परेशान करना चाहती है और विरोधी दल हमारा बड़ा समर्थक है। माननीय राममूर्ति जी ने उसी दिन कहा था कि अब इलेक्शन तक इसी प्रकार की बातें विरोधी दल करेगा।

हमारे एक भाई ने कहा कि कई कई मुख्य मंत्री हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यहां केवल एक मुख्य मंत्री माननीया सुचेता कृपालानी है जो अपने साथ बहुमत को लिये हुए चट्टान की तरह बैठी हैं। हम उनके लिये तो १०५ हैं अपने में भले ही १०० और ५

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों। वे किसी खामख्याली में न आ जायं कि आपस में लड़कर हम कोई ऐसा काम कर जायेंगे कि जिससे उनको लाभ पहुंच जाय। उनसे बड़ा तो कोई सोशलिस्ट भी उधर न होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषयान्तर न कीजिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

चूंकि हमारे मित्रों ने इस प्रकार की बातें उठा दी थी इसलिये मुझको कहना पड़ गया। हमारे झारखन्डेराय जी बड़े पुराने मित्र हैं। आजादी के पहले हमारा और उनका थोड़ा सा संबंध भी था। क्रान्तिकारी पार्टी में वे बड़े उग्र कार्यकर्त्ता थे मैं भी उनके साथ थोड़ी दिलचस्पी रखता था। मुझे बड़ा खेद इस बात का होता है कि माननीय उग्रसेन और कुंवर श्रीपाल सिंह जी तो फसली और नये कार्यकर्त्ता हैं लेकिन वे तो पुराने जन सेवी हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इतने पुराने कार्यकर्त्ता, झारखन्डे राय की मति क्यों भ्रष्ट हो गयी? उनके भाषण में मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई ठोस सुझाव होता। जिसको सुनकर हम सरकार से कहते कि यह व्यावहारिक सुझाव है, इसको कर दिया जाय, इससे छोटे छोटे कर्मचारियों को कुछ लाभ हो जायगा। इसलिये श्रीमन्, वह भी तुर्रानी भाषण रहा यानी उसका कुछ मतलब निकले या न निकले, लेकिन कह दिया जाय। सब ने सरकार को एक एक डंडा लगाया, पांचवां डंडा उन्होंने भी लगा दिया। हमारे वीर बहादुर शर्मा जी का भाषण हुआ लेकिन उसमें शुरू से आखिर तक पता ही नहीं चला कि वह क्या कहना चाहते है, क्या विषय उनका था, वह असरकारी दिवस पर बोल रहे है या गोविंद सहाय जी की प्रार्थना कर रहे हैं या वह कांग्रेस में फिर लौट कर आना चाहते है या टिकट चाहते है, वह क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आया। यह असरकारी दिवस की आज हालत हुई है। कुंवर साहब भी शायद चले गए, उन्होंने तो सिद्ध ही कर दिया कि तुम ने हमें फंसा लिया है तो हम जाते है क्योंकि ईमानदार आदमी पर असर जरूर पड़ता है। इसलिए स्थिति यह है कि हमारी और सरकार की सहानुभूति सरकारी कर्मचारियों के साथ है और जैसे-जैसे हमारी उपज बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी उसी हिसाब से उनका वेतन भी बढ़ेगा। आज अगर वेतन बढ़ा देते हैं और मान लीजिए कि १–२ रुपए के नोट छपवा कर बटवा भी दें और ५–८–२ रुपया और उन्हें मिलने लगे और ९–१० करोड़ का बोझ सरकार अपने ऊपर और ले ले तो उस ५–१० रुपए से क्या उनकी हालत सुधर जायेगी। ५ रुपए बढ़ाने से तो गेंहूं की कीमत और बढ़ जायगी। मैं विरोधी दल के भाइयों से कहूंगा कि वह देखें कि इस वक्त गेंहूं कि कीमत गिर रही है, ज्वार बाजरे की कीमत गिर रही है और सरकार ने अपनी दुकाने खुलवा दी हैं और जो कुछ भी अपने साधनों के अन्दर हो सकता है वह सरकार कर रही है और सदन ही वह उनको सुविधा देने को तैय्यार रहती है। हम भी जानते हैं कि हमारी यह मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, मशीन भी खराब होगी तो ड्राइवर क्या करेगा। मैं अपने उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सुनकर कुछ अच्छा लगा होगा कि विरोधी दल के लोगों ने हमारे हक में प्रस्ताव रखा है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह भुलावा केवल इस लिए वह देना चाहते है क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है, उसके दस मास बाकी है। अगर किसी कर्मचारी के दिमाग में यह बात हो जाती है कि श्री उग्रसेन, श्री लखपत राम, श्री झारखंडे राय आदि ने हमारा वेतन और भत्ता बढ़ाने के लिए असेंबली में बड़ी मेहनत की है और किसी की बुद्धि पर उनका यह जादू चल गया तो यह नक्शा उनको अच्छा लगा होगा लेकिन जो दस प्रतिशत वोट किसान बैलट बाक्स के नीचे गिरा देता है उतने वोट अगर कोई कर्मचारी गलती से दस पांच वोट दे दे लेकिन इस की भी कोई आशा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि काम किया भी और बेदिली से।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

दूसरे हम लोग जो सरकार की बेंचेज पर बैठते हैं, उनका काम मैं साफ कहना चाहता हूं कि उधर बैठने वालों से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कम होता है। जब सरकारी कर्मचारी ६० प्रतिशत उन का काम करते है तो ४० प्रतिशत हमारा करते है। यह मिनिस्टर लोग भी विरोधियों का ही काम अधिक करते हैं, हमारा नहीं करते क्योंकि वह समझते हैं कि यह तो हमारे हैं ही, यह कहते हैं कि उस बी० डी० ओ० का तबादला कर दो....

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप का एक मिनट बाकी है, अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर बठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ फरवरी, १९६६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

विवरण

नाम ब्लाक	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
खलिया	२२ अप्रैल, १९६५	२५ जून, १९६५	२५ जून, १९६५	१७ अगस्त, १९६५	१७ अगस्त, १९६५	३० सितम्बर, १९६५
खैराबाद	३० अप्रैल, १९६५	२० मई, १९६५ २५ मई, १९६५ ३१ मई, १९६५ १५ जून, १९६५	१५ जून, १९६५	१२ अगस्त, १९६५ १३ अगस्त, १९६५ २० अगस्त, १९६५	२७ अगस्त, १९६५ ३० अक्तूबर, १९६५ ३ दिसम्बर, १९६५	१५ सितम्बर, १९६५
हरगांव	२० अप्रैल, १९६५	१९ मई, १९६५	१३ अगस्त, १९६५	१३ अगस्त, १९६५	१० अगस्त, १९६५	२० सितम्बर, १९६५
लहरपुर	२८ अप्रैल, १९६५	२८ मई, १९६५	२८ जून, १९६५	१४ अगस्त, १९६५	२८ अगस्त, १९६५	३० सितम्बर १९६५
परसेंडी	२१ अप्रैल, १९६५	१९ मई, १९६५	११ जून, १९६५	२१ अगस्त, १९६५	२१ अगस्त, १९६५	१९ सितम्बर, १९६५

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

क्रम संख्या	नाम सीड स्टोर	अनुदान की राशि
		रु०
१	मेहरावां	२,०००
२	मुगराबादशाहपुर	२,०००
३	सुजानगंज	२,०००
४	बहेरी	३,०००
५	खुटहन	२,९००
६	सिकरारा	१,१२०
७	नौपेडवा	३,५००
८	जलालपुर	२,५००
९	रतनपुर	२,५००
१०	बसगित	२,५००
११	कोईलारी	५,०००
१२	बदलापुर	१,५००
१३	खेतासराय	५,०००
१४	जैसिंहपुर	५,०००
१५	भटहर	५,०००
१६	गरियावं	३,०२५
	योग	४८,५४५

जैसिंह पुर सीड स्टोर के अतिरिक्त सभी स्टोरों की इमारतें बन गई है। जैसिंहपुर सीड स्टोर की इमारत बन रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

प्रतिलिपि पत्र दिनांक ८–११–६५ प्रधान मंत्री, सूती मिल मजदूर संघ उझानी बदायूं, सेवा में श्रम मंत्री, उ० प्रदेश, लखनऊ।

हम बदायूं जिले में आपके आगमन के अवसर पर आपका ध्यान इस जिले की एक मात्र मिल प्रेस स्पिनिंग एण्ड वीविंग काटन मिल्स कं० लि० उझानी में फैली घोर दुर्व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम पहले भी आपको ११ सितम्बर, १९६५ व ११ अक्तूबर, १९६५ को पत्र भेज चुके हैं और आपको समय-समय पर मिल मालिकान को राष्ट्र व मजदूर विरोधी गतिविधियों से अवगत करा चुके हैं।

उझानी मिल में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए एक एवार्ड उत्तर प्रदेश ने सरकारी विज्ञप्ति सं० ६७८० (एच० आई०)/३६ सी०–६ (एस आई) /६०, दिनांक २२ सितम्बर, १९६४ को निकाल कर मजदूरों को अधिक वेतन देने की मालिकान को आज्ञा दी। परन्तु दुर्भाग्यवश आज एक साल से अधिक बीत जाने पर भी सरकार उक्त राजाज्ञा को लागू नहीं करा सकी है।

इसके अतिरिक्त भी मिल मालिकान ने मजदूरों के हितों का गला घोटने की घोषणा कर दी है। मालिकान ने कर्मचारियों को नोटिस दे दिया है कि मिल स्टाक पड़ा होने तथा पैसे की कमी के कारण ८ नवम्बर, १९६५ यानी आज की सुबह से बन्द रहेगी। दोनों ही कारण सर्वथा निर्मूल है। यह है मालिकान के राष्ट्र प्रेम का परिचय। एक ओर तो श्रम सम्मेलन की सिफारिश कि सरकार किसी मालिक को आपतकालीन समय में मिल न बन्द करने दे और दूसरी ओर दृष्टिकोण पर उझानी मिल मालिकान द्वारा प्रत्यक्ष कुठाराघात केवल एक विडम्बना है और कुछ नहीं।

ऐसी स्थिति में हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि—(१) या तो सरकार मिल मालिकान को उझानी सूती मिल बन्द करने से रोके तथा उक्त राजाज्ञा लागू कराए, (२) या जैसी हम पहले भी मांग कर चुके हैं सरकार उझानी मिल के प्रबंध को अपने हाथों में ले जिससे राष्ट्रीय संकट के समय में औद्योगिक शांति बनी रहे तथा राष्ट्र कल्याण में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में प्रमुखों तथा प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव से सम्बंधित सूचनायें ।

	कुल कितने अविश्वास के प्रस्ताव आए	कितने अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए	कितने प्रस्ताव गिर गए	अविश्वास के कितने प्रस्ताव इसलिए गिर गए जिनमें कोरम नहीं पूरा था	रिमार्क
१	२	३	४		५
प्रमुख के विरुद्ध	२	शून्य	शून्य	१	एक अविश्वास के प्रस्ताव को प्रारंम्भिक जांच के उपरांत खारिज कर दिया गया ।
प्रधान के विरुद्ध	६	२	४	शून्य	

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पीछे पृष्ट १३२ पर)

१—सहकारी समितियों पर बकाया

	रु०	पै०
१—फरादाबाद	२३	३८
२—खुटहना	२,६८८	९३
३—खानपुर	६१३	०१
४—करेन्हुआ	१०,०३२	५५
५—वस्ती कपूरी	४९७	७२
६—नरसिंह पुर विस्मिल पट्टी।	११४	११
७—रामशाला	१,०१६	९९
८—सेवडा खुर्द	१०७	१६
९—रामपुर	३९२	९०
१०—हसनपुर	४६	२२
११—जोकहरा	१,५१३	१०
१२—अलीसुर	६२	५२
१३—सगडी	७५३	३७
१४—जीयनपुर कठेरवा	७३५	२७
१५—धनकुला	३९	१०
१६—कैरता	२२०	४४
१७—नेवादा	५,५१३	१८
१८—ससना विश्वनाथपुर	९१	४१
१९—जमुआ रही राम	८९३	०५
२०—डिस्ट्रिक्ट कैन डे० एवं क्रय, विक्रय समितियां ।	१७,६५२	१७
२१—बक्वल संघ	५३४	१२
२२—सिकरौरा	६०९	८१
२३—सहकारी कृषि समिति वडगहन ।	१,२७२	३७
२४—मुरारपुर कासिमपुर	७४९	०३
२५—कारीसाथ	२९१	६४
२६—मसीना	२१६	८४
२७—मानिकपुर हडिया	१८६	०१
२८—बनियापार	९४	८८
२९—बाबूलाल का पुरा	१०९—४१	
३०—मित्तूपुर	२,०३७	५२
३१—कादीपुर	३४२	३०
३२—अपनैल फरसरा	१९४	७४
३३—शाहपुर	२२६	४२
योग	५५,४०१	५९

२—व्यक्तिगत बकायादार

	रु०	पै०
१—फकीर सिंह	६	६५
२—गौरी शंकर	४,३०१	४९
४—रामअवतार	७७९	७५
४—कौ ीखादी भंडार	२४	४६
५—मीमल तिवारी	२१	१५
६—भारत अचहरन फैक्ट्री	३७८	१२
७—कृषक इन्जत वर्क्स	५०	८३
८—ताराचन्द	९२९	००
९—बासदेव प्रसाद	३२	५६
१०—राधेश्याम सीताराम ।	७८	१३
योग	६,६०२	१४

३—अन्य पूंजी

	रु०	पै०
१—को० कांन्फरेंस	१२५	००
२—सुपरवीजन फीस	२,८७३	७५
३—गबन	१४,४९६	८४
४—आडिट फीस	४,०००	००
५—मनी आर्डर कमीशन	५४६	३७
६—एडवांस एकाउन्ट	१५०	१२
७—एजुकेशन एकाउन्ट	२२	२८
८—असिस्टेंट सुप० एकाउन्ट ।	२,६९०	८७
९—पहाडपुर सहकारी समिति ।	२९४	३७
१०—ओल्ड ग्रेनशाप	१,८६५	९०
११—इस्टैबलिशमेंट एकाउन्ट।	४१९	४४
१२—लोन एकाउन्ट	४२४	६६
योग	२७,९०९	६०
कुल योग	८९,९१४	३३

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ १३६ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६६ में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन

"खंड संख्या २ की तीसरी पंक्ति में शब्द 'निम्नलिखित रख दिया जाय' के बाद शब्द 'और उपधारा (७) का भाग (झ) निकाल दिया जाय' बढ़ा दिया जायं।"

मुद्रक—संयुक्त अधीक्षक, राजकीय शाखा मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२१४ एल९ ए० १९६६—८६२।